राजस्थान विधान सभा

३२ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक १७ अप्रेल, सन् १९५६

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८ बजकर १० मिनिट पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

प्रश्न संख्या ५१०

विद्यार्थियों पर फीस लगाने की शासकीय योजना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे— (क) क्या सरकार विद्यार्थियों पर कोई फीस लगाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो किस २ क्लास के छात्रों पर क्या क्या फीस सरकार लगाने का विचार कर रही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप मन्त्राणी)— (क) जी हां।

(ख) इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार नये सिरे से फीस लगाने का विचार कर रही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं आपसे कह रही हूं कि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री चांदमल मेहता—फीस लगाने का निर्णय किया गया है, क्या यह बात सही है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—न तो यह निर्णय किया गया है कि कितनी फीस लगाई जाय और न यह निर्णय किया गया है कि कब से लगाई जाय।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह निर्णय किया जा चुका है कि फीस अवश्य लगाई जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसा कुछ विचार हो रहा है।

श्री चांदमल मेहता—किस किस क्लास पर फीस लगाने का सरकार का विचार है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं आपसे कह रही हूं कि निर्णय नहीं हुआ है, डेफिनिट बताना मुश्किल है।

प्रश्न संख्या ५११

नागौर जिले की विभिन्न तहसीलों में राजस्व व अन्य प्रकार की सरकारी बकाया की वसूली

श्री भैरू सिंह (वि० सं० १६)—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे— (क) नागौर जिले में किस २ तहसील में अब तक की रेवेन्यू व दीगर किस्म की कितनी सरकारी रकम बकाया है ?

(ख) क्या यह सही है कि नागौर जिले में सब से ज्यादा बकाया तहसील नागौर की है ? यदि हां, तो क्यों व इसको वसूल करने की क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)— (क) नागौर जिले की सरकारी रकम की बकाया का विवरण इस प्रकार है; आपको शायद लिस्ट मिल गई है;

(सूची पढ़ना)

नाम तहसील	लगान की रकम	ट्रिब्यूट की रकम	रिज्यूम्ड जागीरों की रकम	कुल
नागौर	२,४५,६४६	१,५०,७३३	१,७८,४४६	१,७५,१३१
जायल	६६,५६२	१,६६,४३०	३६,१४४	३,०५,१३६
मेड़ता	७३,०११	३८,१४६	८८,३६५	१,६६,५२२
डेगाना	१७,८६०	१,०५,४५६	६३,७०४	१,८७,०२०
डीडवाना	३३,८४३	१,८२,६३३	८,५०४	२,२४,६८०
लाडनू	८,३०६	२,३२,३१०	२,७२७	२,४३,३४६
परबतसर	३६,६०६	२,७०,६६५	२,५७,८१८	५,६८,४१६
नांवा	४,०१०	४,२६,६१६	१,६१,३३२	६२४,६६१
कुल	५,१६,४५०	१५,७६,०२२	८,३०,०४२	२६,२८,५११

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) जी नहीं। केवल भू-राजस्व की बकाया तहसील नागौर में अन्य तहसीलों से ज्यादा है। कलेक्टर ने इस बकाया को तीन महीने में वसूल करने के आदेश तहसीलदारों को दे दिये हैं। ट्रिब्यूट अर्थात् चठूंत चाकरी की रकम, जागीरदारों को दिये जाने वाले मुआवजेमें से वसूल करली जावेगी।

श्री भैंरू सिंह—नागौर तहसील में भू राजस्व की रकम कितने वर्षों से बकाया है?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि यह अलग अलग साल के फीगर्स मेरे पास नहीं है और इस सदन में अभी कुछ दिन पहले जवाब दिया गया है उसमें संवत् २००० से २०११ तक के फीगर्स बता दिये हैं। कुल रकम कितनी बाकी है, यह मैंने अर्ज किया।

श्री भैंरू सिंह—किस किस वर्ष के बाकी हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—शुरू से बाकी हैं। अलग अलग वर्ष के फीगर्स नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कितना आज तक का बकाया है। उसका टोटल मैंने अर्ज कर दिया।

श्री भैंरू सिंह—इस बकाया में कौन सा बकाया सबसे ज्यादा वर्षों का है?

श्री दामोदरलाल व्यास—उसके लिये, माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज कर चुका हूं कि मेरे पास अलग अलग साल के फीगर्स नहीं हैं। यह बात मैंने कही है कि नागौर तहसील के संवत् २००० से २०११ के अलग अलग फीगर्स मैं सदन में माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में दे चुका हूँ, ५, ७ दिन पहले।

श्री भैंरू सिंह—२००० से २०११ तक उनकी वसूली क्यों नहीं हुई, इसका क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बात नहीं है। हर साल कुछ न कुछ बकाया रहता आता है उससे इतने फीगर्स हो गये हैं।

श्री भैंरू सिंह—जब कि २००० से बकाया शुरू हुआ है २०११ तक तो २००० के वर्ष का भी बकाया बाकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि निश्चित बकाया शुरू हुआ है। मैं नहीं कह सकता कि कुल रकम कैसे हुई। कितना बकाया है २००० से २०११ तक, अलग अलग वह कुछ दिन पहले ही एक प्रश्न जो कि माननीय सदस्य ने पूछा था उसके जवाब में बता चुका हूँ। तहसील नागौर का मैंने अलग अलग बताया है।

Page No 4

श्री भैंरू सिंह—अलग अलग बताया है तो २००० से २०११ तक का लगान बकाया होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि २००० से २०११ तक का लगान बकाया क्यों रहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कुल बाकी नहीं रहा लेकिन हर साल कुछ न कुछ बकाया रहा है।

श्री भैंरू सिंह—हर साल बाकी रहता है तो २००० का भी बाकी है, तो वह २००० से २०११ तक बाकी क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लगान हर तहसील में बकाया रह जाता है उसके कई कारण होते हैं। किसान की मजबूरियां होती हैं। लगान दे नहीं सकता। किसी तहसील में २००० से बिल्कुल बकाया हो वैसी बात नहीं हैं, लेकिन कुछ न कुछ रकम हर साल किसानों में रह जाती है वह बुढ़ते २ इतने फीगर्स हो गये हैं।

श्री भैंरू सिंह—२ लाख का राजस्व का बकाया बताया हैं, तो यह बकाया २००० से २०११ तक धीरे धीरे बढ़ता गया है तो यह किस किस वर्ष का बकाया बाकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज कर दिया।

श्री अध्यक्ष–Not necessary. धीरे धीरे या जोर जोर से क्या मतलब ?

श्री भैंरू सिंह—एक तो एक बार में ही हो और........

श्री अध्यक्ष—The details are there.

डिटेल्स हैं क्या कि कौन से साल में सबसे ज्यादा वसूली हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सालवार डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तहसील नागौर के बारे में बतला चुका हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ५१२

सन् १९५५-५६ में विभिन्न स्कूलों में हरिजन विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां

श्री घासीराम—क्या मंत्री, समाज कल्याण यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् १९५५-५६ में राजस्थान में कितने रुपये छात्रवृत्ति के किस किस स्कूल के किन किन हरिजन लड़कों को दिये गये, कृपया नाम बतलायें ?

[श्री घासीराम]

(२) कितने आवेदन पत्र आये उनमें से कितने नामन्जूर हुये और कितने मन्जूर हुए।

(३) जिला अलवर के किन किन स्कूल के लड़कों को छात्रवृत्ति दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि तिजारा हाई स्कूल और हरिजन पाठशाला तिजारा के ७० लड़कों ने आवेदन पत्र दिये और उनमें से केवल ७ लड़कों के आवेदन पत्र मन्जूर हुये ? यदि हाँ, तो इतने कम लड़कों के आवेदन पत्र मन्जूर करने के क्या कारण हैं ?

(५) क्या सरकार अब बाकी लड़कों को छात्रवृत्ति देने को तैयार है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (मंत्री, समाज कल्याण विभाग)—(१) सन् ५५-५६ में १,२१,३१४ रूपये हरिजन बालकों को छात्रवृत्ति के स्वीकृत किए गए। यह रकम कुल ६,०६२ लड़कों के नाम स्वीकृत की गई है। यह शिक्षा विभाग के प्रिन्सिपलों, इन्सपेक्टर्स, डिप्टी इंसपेक्टर्स, हेडमास्टर्स, जिन्हें रकम प्राप्त करने व वितरण करने के अधिकार दिये गये हैं। लड़कों के नाम इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(२) संचालक, समाज कल्याण विभाग के समक्ष हरिजन बालकों के ६०६२ प्रार्थना पत्र आये और सब ही स्वीकार किये गये। इन आवेदन पत्रों की छंटनी प्रादेशिक अधिकारियों के दफ्तरों में की गई। सूची अभी उपलब्ध नहीं है।

(३) जिला अलवर के जिन जिन स्कूलों में लड़कों को छात्रवृत्ति दी गई है उसकी सूची प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(४) अलवर जिले में तिजारा ग्राम की स्कूलों से निम्नलिखित आवेदन-पत्र प्राप्त हुए:—

नाम स्कूल	आवेदन पत्र प्राप्त होने की संख्या	आवेदन पत्र स्वीकृत होने की संख्या
हाई स्कूल, तिजारा	८	८
प्राइमरी स्कूल, तिजारा	३	२
हरिजन पाठशाला, तिजारा	५६	५७
	७०	६७

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(५) यह ठीक नहीं है। उपरोक्त ७० आवेदन पत्रों में ६७ आवेदन पत्रों को स्वीकृत किया गया है। ३ छात्रों के आवेदन पत्र ना मन्जूर करने का कारण यह था कि उनकी जाति स्पष्ट नहीं थी और उन जातियो को अनुसूचित जातियों में नहीं माना गया है।

(६) जिन लड़कों की छात्रवृत्ति मन्जूर हो गई है और रकम शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त न होने के कारण नहीं मिली है, उनकी छात्रवृत्ति की रकम इस वर्ष दी जावेगी।

श्री घासीराम—जिनको नहीं दी है उनको कबतक दी जावेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब करीब सभी को दे दी गई है। अगर किसी को देना भूल से रह गया है तो साबित करेंगे तो उनको दे दी जायगी।

श्री घासीराम—कुल ७ लड़कों को स्कोलरशिप मिली है और आप ६७ बता रहे हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—पहले भी आपने एक प्रश्न पूछा था, मैंने उनके नाम बताये थे। ७० में से ६७ को मिली है। आप जाकर पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि किन को मिली है और किनको नहीं मिली है। अगर किसी को भूल से नही मिली है तो अब मिल जायेगी।

प्रश्न संख्या ५१३

सन १९५५—५६ में जि० सवाई माधोपुर की विभिन्न तहसीलों में सरकार द्वारा कृषकों को दी गई भूमि

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सन् १९५५–५६ में जिला सवाई माधोपुर की प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी भूमि किसानों को सरकार द्वारा दी गई ?

(२) उक्त वर्ष में हरिजनों को कुल कितनी भूमि मिली ?

(३) इस भूमि वितरण का क्या आधार था ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) जिला सवाई माधोपुर में सन् १९५५–५६ में तहसीलवार जो भूमि दी गई है उसकी सूची संलग्न है और प्रश्न कर्ता महोदय को भी दे दी गई है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ख) उक्त वर्ष में हरिजनों को कितनी भूमि दी गई है, उसका विवरण संलग्न सूची में अंकित कर दिया गया है।

(ग) भूमि वितरण के नियम नम्बर एफ. ६०८४० राजस्थान।५३ दिनांक ८-१२-५३ के आधार पर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर जिले की पूरी तहसीलों की सूची प्राप्त नहीं हो पाई है इस लिये प्रश्न तो अधूरा रह ही जाता है। इसके साथ साथ मलारनाचौड़, महुवा, खन्डार तहसीलों में भूमि वितरण नहीं की गई, इसका क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—वहां भूमि के लिये दख्वास्तें नहीं पेश हुई होंगी या अनओ-कुपाइड लैंड नहीं होगी।

श्री श्रीदास गोयल—यदि रिकॉर्ड में दर्ख्वास्तें पेश हुई हैं और अनआकुपाइड लैंड भी वहां मौजूद है तो क्या कारण है कि लैंड अलोट नहीं की गई?

श्री दमोदरलाल व्यास—यदि स्पेसिफिक इन्सटान्स आप बतायेंगे तो जांच करके आपको बतायेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—जहां अनओकुपाइड लैंड हजारों बीघा है वहां बहुत कम लैंड भूमिहीन किसानों को दी गई है। सवाईमाधोपुर तहसील में केवल १५ बीघा अन्य किसानों को और २७१ बीघा १० विस्वा हरिजनों को दी गई है, जब इतनी जमीन पड़ी हुई है तो भूमिहीन किसानों को क्यों नहीं दी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—केवल भूमिहीन किसानों को जमीन दी जाती है। भूमिहीन किसानों की यदि दरख्वास्तें आई हैं और उनको जमीन नहीं दी गई है तो इस बारे में अगर आप स्पेसिफिक बात ध्यान में लायेंगे तो जांच करायेंगे। वरना भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिये दरख्वास्तें आने पर दी जाती हैं। सरकार की स्पष्ट आज्ञा है कि १५ बीघा फी फेमेली दी जाय।

श्री श्रीदास गोयल—जहां हजारों बीघा जमीन अनओकुपाइड पड़ी है और चमारों के पास दूसरा धंधा नहीं है, जिससे आजीविका चला सकें। मामूली मजदूरी करके काम चलाना पड़ता है, वे लोग भूमिहीन किसान हैं; उन्होंने दरख्वास्तें कीं, इसके बावजूद भी उनको भूमि नहीं दी गई। क्या इस ओर सक्रिय कदम उठाने के लिये कोई कार्यवाही की जायगी?

Page No 8

श्री दामोदरलाल व्यास—ज्यादा अच्छा हो कि कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा जाता। सवाल तो आपने यह पूछा है कि कितनी कितनी भूमि किसानों को एलॉट हुई। अलग स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहिये था, उसका जवाब दिया जाता।

श्री श्रीदास गोयल—जो मुझे लिस्ट मिली है, उसके अनुसार तमाम जिले में ५००-६०० बीघा जमीन एलॉट हुई है। जहां कम से कम २०,००० बीघा जमीन पड़ी है और वहां पर हरिजन भूमिहीन हैं, महनत मजदूरी करते हैं तो उनको अलॉट करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कहां का सवाल है?

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब तो इन्होंने दे दिया है।

श्री श्रीदास गोयल—उन्होंने जो जवाब दिया वह स्पष्ट नहीं है। सवाई माधोपुर में भूमिहीन किसानों को जमीन देने में क्यों ढिलाई बरती जा रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो मैं नहीं मानता कि ढिलाई बरती जा रही है, इसके लिये रूल्स बने हुए हैं और उसके अनुसार दरख्वास्त देने पर जमीन बराबर दी जाती है। मेरी सूचना यह है कि जिन्होंने दरख्वास्त दी है उनको जमीन दी जाती है। यदि आप स्पेसिफिक चीज की ओर ध्यान दिलावें कि किसने दरख्वास्त दी, किस गांव के लिये दी और उसको जमीन नहीं दी गई तो उसकी जांच कराकर जवाब दे सकता हूँ वरना मेरे लिये जवाब देना मुश्किल है।

अध्यक्ष—चौधरी श्री मोटाराम।

प्रश्न संख्या ५१४

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५१५

नागौर जिले में वर्तमान वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे?

(क) नागौर जिले में चालू वर्ष में कितने छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं?

(ख) छात्रवृत्तियों की अन्तिम तिथि कौन सी थी और उक्त तिथि तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) ८ छात्रों को।

(ख) १-१०-५५,

६६ एम. ए.

१२४ बी. ए., बी. एससी., बी. कॉम.

१६८ इन्टर।

५२१ हाई स्कूल्स।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं आ रही है।

श्री भैरूंसिंह—सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह तो मेरा कुसूर नहीं है। आप दुबारा सुन लीजिये।

(क) ८ छात्रों को।

(ख) १—१०—५५,

६६ एम. ए.

१२४ बी. ए., बी. एस सी., बी. कॉम.

३६८ इन्टर।

५२१ हाई स्कूल्स।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि गजट में आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के लिये जब शाया हुआ उस तारीख तक प्रार्थनापत्र पेश करने की तारीख निकल चुकी थी?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसका मुझे ख्याल नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो आवेदन-पत्र स्वीकार किये गये वे इस तारीख के बाद में आये हैं जो गजट में शाया की गई है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी भी मेरे पास सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या ५१६

उदयपुर महिला विद्यालय से सन १९५४, ५५ व ५६ में अध्यापिकाओं द्वारा त्यागपत्र आदि

श्री भैरूंसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

[श्री भैंरूंसिंह]

(क) सन् ५४-५५-५६ में उदयपुर महिला विद्यालय से किस किस अध्यापिका ने त्याग पत्र दिया और किस किस को जबरन अवकाश ग्रहण कराया गया और क्यों ?

(ख) किन किन अध्यापिकाओं की नई नियुक्ति की गई और किस किस आधार पर ?

(ग) जिन अध्यापिकाओं ने अवकाश प्राप्त किया है क्या उनको विद्यालय की ओर से उनकी तनख्वाह, प्रोविडेन्ट फन्ड आदि का पूरा हिसाब भुगतान दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप शिक्षा मन्त्राणी)—(क व ख) सदस्य महोदय की जानकारी के लिये इनकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है और सदस्य महोदय के पास भी पहुँच गई होगी।

(ग) केवल श्रीमती सुन्दरदेवी के क्लेम नहीं उठाने से रकम रखी हुई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैंरूंसिंह—क्या यह सही है कि श्रीमती सुन्दर देवी ने अब तक १ दर्जन दरख्वास्तें भेजी हैं अधिकारियों के पास, अपना क्लेम करके ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास यह सूचना आई है कि उन्होंने क्लेम नहीं किया है इसलिये उनको नहीं दिया गया। आप यह सूचना देते हैं तो जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री भैंरूंसिंह—नई नियुक्तियों के लिये सरकार ने क्या क्राइटेरिया मंजूर कर रखा है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो अध्यापक जिस योग्यता के चाहिये वे उसी योग्यता के लिये हैं।

श्री भैंरूंसिंह— क्या नियुक्तियों के लिये सिलेक्शन बोर्ड कायम किया गया है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— इतनी सारी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैंरूं सिंह— मैं यह जानना चाहता हूँ कि नियुक्तियां किस प्रकार की जाती है, अधिकारी अपनी इच्छा से कर लेते हैं या सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा की जाती है ?

श्री मती कमलाकुमारी बेनीवाल— मैनेजिंग कमेटी होती है वह इस तरह के अपोइन्ट मेन्ट्स का काम करती है।

श्री भैंरू सिंह—अपोइन्टमेन्ट्स, मैनेजिंग कमेटी करती है। वह अपनी मर्जी से करती है या सिलेक्शन करके करती है। एक आदमी जिस तरह से चाहे, उस तरह से नियुक्तियां कर देता है या एप्लीकेशन काल करके सिलेक्शन किया जाता है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल:—यह प्राइवेट संस्था है। मैनेजिंग कमेटी रूल्स के अनुसार करती होगी। कैसे करती है, यह जानकारी नहीं है।

श्री भैंरू सिंह:—क्या यह सही है कि सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं कि इस प्रकार की नियुक्तियां सेलेक्शन बोर्ड के द्वारा कराई जायं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल:—इस प्रकार की मेरी जानकारी नहीं है, अगर ऐसे आदेश हुए होंगे तो उनका वहां पालन होता होगा।

श्री भैंरू सिंह:—मैंने पूछा है कि आदेश हुए हैं कि नहीं, हुए होंगे तो पालन किया जाता होगा, इस प्रकार का उत्तर मैं नहीं चाहता, मैं डेफिनेट रिप्लाई चाहता हूँ। इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को अपने यहां नियुक्तियां सेलेक्शन बोर्ड द्वारा कराई जायं, इस प्रकार के आदेश सरकार द्वारा दिये गये हैं कि नहीं?

श्रीमतिकमलाकुमारी बेनीवाल:—इस बारे में मैंने अभी अर्ज किया कि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। अगर आप इस बारे में और अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री भैंरूसिंह:—क्या यह सही है कि महिला विद्यालय में नियुक्तियां की गई, वे अपनी इच्छा से कर दी गई?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल:—इसकी भी जानकारी मेरे पास नहीं है, नियुक्तियां जरूर की हैं, इतना जरूर कह सकती हूं।

श्री भैंरू सिंह:—क्या यह सही है कि जिन अध्यापिकाओं को बलात् हटाया गया है उन्होंने अपील की है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल:—अपील करने की जानकारी मेरी निगाह में नहीं है।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५१७

जिला भीलवाड़ा में तहसील वाइज भूमि वितरण समितियों द्वारा दी गई भूमियां

श्री जयसिंह (वि सं० ४६):—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला भीलवाड़ा में तहसील वाईज भूमि वितरण समितियों ने अपने निर्माण से अब तक कितने कितने परिवारों को भूमि दिलाई है ?

(२) यदि उक्त कार्य नहीं हुआ तो क्यों ?

श्री दामोदर लाल व्यास:—माननीय अध्यक्ष, मुझे खेद है कि इस प्रश्न का जवाब मैं आज नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५१८

यज्ञनारायण होस्पिटल किशनगढ के क्वार्टर तैयार न करने सम्बन्धी कारण

श्री चांदमल मेहता:—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) यज्ञनारायण होस्पिटल किशनगढ में कम्पाउन्डरों के रहने के क्वार्टर कितने हैं और उनमें ऐसे कितने हैं जो रहने के काबिल हैं ?

(२) ऐसे कितने क्वार्टर हैं जिन पर छतें तक पड़ी हुई नहीं हैं ?

(३) उक्त क्वार्टर्स को अभी तक तैयार नहीं कराने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता:—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर दिनांक १४.१०.५५ को दिया जा चुका है। इस वर्ष क्वार्टर्स की पूर्ति के लिये धन राशि रखी गई है और आशा की जाती है कि इस वर्ष यह काम पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष:—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५१९

महिला विद्यालय उदयपुर के कार्यकर्ताओं में शेष रकम

श्री भैंरूसिंह:—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

[श्री भैरू सिंह]

(क) महिला विद्यालय उदयपुर के किस किस कार्यकर्ता में कितनी कितनी रकम बाकी है और क्यों ?

(ख) इस विद्यालय को सरकार की ओर से क्या सहायता मिलती है और किस अधार पर ?

(ग) इस विद्यालय का सरकार की ओर से कभी आडिट भी कराया गया या नहीं ? यदि हां, तो कृपया अन्तिम ऑडिट रिपोर्ट सदन को मेज पर रखें।

(घ) क्या यह सही है कि मई सन ५५ की तनख्वाह अभी तक यहां के कार्यकर्ताओं को नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती कमलाकमारी बेनीवाल:—(क) किसी में कोई रकम बाकी नहीं है।

(ख) ४५, २५६ रु० वार्षिक सन् १६५४-५५ में संस्था के वार्षिक गत वर्ष के अनुमोदित खर्च के आधार पर ८० प्रतिशत।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

श्री भैरू सिंह:—सरकार ने ऑडिट अब तक क्यों नहीं करवाया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल:—ऑडिट नहीं करवाने का कारण अभी तक मेरे पास नहीं मिला है, मैंने जानकारी करने की कोशिश की, पर जानकारी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि प्रश्न का उत्तर आने में देर हो गई थी।

श्री भैरू सिंह—क्या सरकार आवश्यक समझती है कि ऑडिट हर वर्ष जरूर कराया जाय ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ऑडिट हर साल कराया जाय।

श्री भैरू सिंह—तो फिर ५३ से ५६ तक ऑडिट क्यों नहीं हुआ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैंने जवाब दे दिया है।

श्री भैंरू सिंह—क्या सरकार का यह नियम है कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का ऑडिट हर साल होना चाहिये ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी हां।

श्री भैंरू सिंह—तो फिर इस संस्था का ऑडिट इतने अर्से तक क्यों नहीं हुआ ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि इसकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। मैंने जानकारी करने की कोशिश की, पर प्रश्न का जवाब देर से आया था इस लिये जानकारी नहीं की जा सकी।

श्री देवी सिंह—अब जानकारी कब तक आ जायगी आपके पास ?

श्री अध्यक्ष—हाफ एन आवर डिस्कशन करिये; नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२०

ग्राम आरजिया (त० भीलवाड़ा) नदी के किनारे होने के कारण भय एवं उस ग्राम को दूसरी जगह बसाने के प्रार्थना-पत्र

श्री तेजमल बापना—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या आरजिया ग्राम तहसील भीलवाड़ा नदी के किनारे पर बसा हुआ होने से वर्षा ऋतु में वहां के निवासियों के जान-माल का पूरा खतरा बना रहता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि वहां के किसानों ने आज से चार वर्ष पहले दूसरी जगह बसाये जाने का प्रार्थना पत्र दिया था ?

(३) यदि हां, तो उस प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई और कब तक ग्राम-वासियों को दूसरी जगह बसा दिया जायगा ?

श्री दामोदर लाल व्यास—(१) जी हां। ग्राम आरजिया कोठारी नदी के किनारे पुराना बसा हुआ है। सिर्फ सम्वत् १९८३ में वर्षा ज्यादा होने से आठ-दस घरों में पानी आया था। अब इस नदी पर मेजा बांध बंध गया है इस लिये खतरे का कोई अन्देशा नहीं है।

(२) जी हां। चन्द किसानों ने सन् १९५२ में दर्खास्त दी थी।

Page No 15

श्री दामोदरलाल व्यास]

(३) काश्तकारान को उनकी मंशा के अनुसार दूसरी जगह बसा दिये जाने के लिये जमीन बताने के आदेश दे दिये गये। २२-२३ काश्तकारों को खसरा नम्बर ११४६ रकबा साढे तीन बीघा में बसाने के लिये पटवारी हल्का को हुक्म दे दिया गया। जिन जिन लोगों ने जागीरदार के हवाला में बसना चाहा है उनको वहां बसने की इजाजत दे दी गई है।

श्री तेजमल बापना—ये आदेश कब दिये गये ?

श्री दामोदर लाल व्यास—तारीख, माननीय अध्यक्ष, इस वक्त मुझे मालूम नहीं।

श्री तेजमल बापना—आप चार साल पहले वहां के किसानों द्वारा दरखास्त दिया जाना मंजूर करते हैं, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास--हो सकता है कि किन्हीं कारणों से देर हुई। वे कारण क्या हैं, यह मेरी जानकारी में नहीं। पर इतना कह सकता हूं कि जिन जिन ने दूसरी जगह बसाने की दर्खास्त दी उन्हें बसाने के आदेश दिये गये हैं और पटवारी हल्का को उन्हें बसाने का हुक्म दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२१

अलवर जिले में मेट्रिक्युलेट अध्यापकों को मिडिल ग्रेड में लेना

श्री घासी राम—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या अलवर जिले में मेट्रिक्युलेट अध्यापकों को मिडिल ग्रेड में लिया गया है ?

(ख) ऐसे कितने अध्यापक हैं जो सन् १९५५–५६ में अलवर जिले में मेट्रिक होते हुए मिडिल ग्रेड में लिये गये हैं और क्यों ?

(ग) सन् १९५५–५६ में कितने अध्यापक जिला अलवर में लगाये गये और किस किस स्कूल में उनको नियुक्त किया गया है ?

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त नियुक्तियों में तृतीय श्रेणी के मेट्रिक और एफ. ए. को लिया गया जब कि मैट्रिक प्रथम तथा एफ. ए. द्वितीय श्रेणी मौजूद हैं ?

Page No 16

[श्री घासीराम]

(ङ) कृष्ण अवतार राव नामक अध्यापक मिडिल स्कूल जोडिया जिला अलवर की क्या योग्यता है, कौनसी श्रेणी में मेट्रिक है कौनसी जाति है तथा किस तारीख को उसको नियुक्त किया गया ?

(च) क्या यह सही है कि वह जिला महेन्द्रगढ़ (पेप्सू) का रहने वाला है? अगर यह ठीक है तो दूसरे प्रान्त के रहने वाले की नियुक्ति राजस्थान में कैसे की गई ?

(छ) क्या यह सही है कि कृष्ण अवतार राव ने जो अपना सर्टिफिकेट पेश किया है उसमें सिरीयल नं० अर्थात् क्रमांक नहीं हैं और वह फर्जी है ? क्या सरकार ने कोई जांच की है और यदि नहीं की है तो क्या अब जांच करायेगी ?

श्रीमती कमला कुमारी बेनीवाल—(क) जी हां।

(ख) ऐसे ३० अध्यापक हैं। अब मैट्रिक से कम योग्यता वाला अध्यापक नहीं लिया जाता है।

(ग) १११ अध्यापक, सदस्य महोदय की जानकारी के लिए इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

(घ) जी हां, एक मैट्रिक तृतीय श्रेणी को जोडिया मिडिल स्कूल में अस्थाई रूप से लिया गया है क्योंकि जोडिया में जाने वाले मुश्कल से मिलते हैं। एक इन्टर साइन्स को इन्टर ग्रेड में मांजरी कलां में लिया गया है। इन्टर साइन्स बाइलोजी कम मिलते हैं।

(ङ) श्री कृष्ण अवतार राव मेट्रिक तृतीय श्रेणी हैं, अहीर जाति के हैं। तारीख ५ दिसम्बर, १९५५ से नियुक्त हैं।

(च) जी नहीं। यह मांजरी तहसील किशनगढ़ (अलवर) के रहने वाले हैं।

(छ) इसकी जांच की जा रही है। जांच समाप्त होने तक इनके वेतन रोकने का हुक्म दे दिया गया है।

श्री घासीराम—जब कि यह नियम है कि सेकिन्ड क्लास मैट्रिक लिये जायेंगे तो थर्ड क्लास मैट्रिक को क्यों लिया गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—सब सेकिन्ड क्लास हैं, सिर्फ एक ही थर्ड क्लास को लिया गया। इसलिये लिया गया है कि वहां आने वाला कोई मिलता नहीं है।

श्री घासीराम—क्या उसी गांव के लोगों की बहुत सी दर्खास्तें इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स अलवर के पास आई हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री घासीराम—क्या सरकार दर्खास्त आने पर जांच करायेगी और जिस अधिकारी ने यह गलत ऑर्डर दिया है उसके खिलाफ एक्शन लेगी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जांच जरूर करायेगी, एक्शन का तो गलत है या सही है, इसके बाद पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२२

रामगढ़ के मीणों को जागीर के मुआवजे की प्रतिवर्ष मिलने वाली रकम बन्द होना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रामगढ़ के मीणों को जागीर के मुआवजे की रकम सालाना मिलती रही है ? यदि हां, तो कितनी और कौन से साल तक मिली ?

(ख) उपरोक्त रकम किस आदेश से बन्द की गई है ?

(ग) क्या मीणों की ओर से जागीर कमिश्नर को आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न के लिए कल असेम्बली सेक्रेटेरियेट को लिखा जा चुका है कि इसका जवाब देने में दुश्वारी है क्यों कि माननीय सदस्य ने पूछा है : "क्या यह सही है कि रामगढ़ के मीणों को जागीर के मुआवजे को रकम सालाना मिलती रही है ?" राजस्थान में कई रामगढ़ हैं, माननीय सदस्य को किस रामगढ़ से मुराद है।

श्री अध्यक्ष—कौनसा रामगढ़ है ?

Page No 18

महाराज श्री केसरी सिंह—बूंदी डिस्ट्रिक्ट में तहसील नेनोन में रामगढ है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२३

धौलपुर में हो रहे बन्दोबस्त में लगान की रकम भरतपुर से अधिक

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर सब डिवीजन में बन्दोबस्त कब हुआ ?

(२) क्या यह सत्य है कि जो बन्दोबस्त इस समय पर चालू है उसमें भूमि का लगान भरतपुर से अधिक है ?

(३) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त निर्धारित अवधि तक नहीं हो सका? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक उपरोक्त (धौलपुर) सब डिविजन में बन्दोबस्त हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) धौलपुर सब डिविजन में पिछला बन्दोबस्त सन् १६११ में हुआ।

(२) जी हां। इसकी वजह यह है कि भरतपुर में जहां जमींदारी है वहां बन्दोबस्त से मालगुजारी कायम हुई है और धौलपुर में वहां रैयतवाड़ी है वहां बन्दोबस्त द्वारा लगान कायम हुआ है, और दोनों जगह बन्दोबस्त एकीकरण से बहुत पहले का पुराना है, और रियासतों के अपने अपने कानून के मुताबिक हुआ है।

(३) उक्त बन्दोबस्त की मियाद समाप्त होने के बाद स्वर्गीय महाराजा धौलपुर ने उसकी मियाद बढ़ा दी, और धौलपुर सब डिविजन को अब बन्दोबस्त के आगामी कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है।

श्री हंसराज जटिया—कब तक खत्म हो जायगा ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि आगामी बन्दोबस्त के समय री-सेटलमेंट करने में धौलपुर को ले लिया है।

श्री हंसराज—धौलपुर महाराज ने जो मियाद बढ़ाई थी वह कब खत्म होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ठीक साल तो मालूम नहीं पर खत्म होने वाली है।

श्री हंसराज—क्या यह सही है कि इसको खत्म हुए ३ वर्ष हो चुके हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री हंसराज—कितने वर्ष हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है, होने वाला है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२४

जनवरी १९५३ में लोक सभा व विधान सभा के चुनावों पर व्यय व उस संबंधी टी० ए०, डी० ए० में दी जाने वाली शेष राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या मन्त्री निर्वाचन विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) १ जनवरी, १९५३ के बाद राजस्थान में लोक सभा और विधान सभा के चुनावों पर कुल कितना खर्चा किया गया ?

(२) उक्त चुनावों में किस किस चुनाव का कितना कितना रुपया टी. ए. व डी. ए. का अभी तक दिया जाना बाकी है ?

(३) उक्त चुनावों में पेट्रोल और ट्रक किराये के कौन कौन से बिलों का पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है ?

(४) उक्त पेमेन्ट नहीं होने के क्या क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(१) रुपये २. ५६. २८८ आ० ३।

(२)

परबतसर	१५६ रु० ६ आना
सिरोंज	५००० रु०
सांचौर	२५८६ रु०
टोंक	६५०० रु०
रतनगढ़	२०६४ रु०

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(३) जिला निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई पेमेन्ट करना बाकी नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार को केवल यह रकम भुगतान करना बाकी है जो ट्रक मालिकों ने लेने से इन्कार कर दिया और जिन्होंने सरकार के विरुद्ध अदालती कार्यवाही कर रक्खी है।

(४) इस सम्बन्ध में सरकार कार्यवाही कर रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चुनावों के पेट्रोल और ट्रकों के पेमेन्ट करना कई व्यक्तियों के अभी तक बाकी हैं, जिसके लिये सरकार यह कह रही है कि बाकी नहीं है?

श्री बद्रीप्रसद गुप्ता—जिनका तनाजा चल रहा है उस सम्बन्ध में रकम भुगतान करना बाकी है।

(अश्रव्य)

जिनकी अदालती कार्यवाही चल रही है उनका पेमेन्ट नहीं किया गया है और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन कौन हैं जिन्होंने लेने से इनकार कर दिया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नाम तो मैं नहीं बता सकता मगर अदालत में उनकी कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष—सब्जुडिस मामला है।

श्री चांदमल मेहता—क्या अदालतों में मामले चल रहे हैं, उसके अलावा किसी को रुपया देना बाकी नहीं है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात कोई जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने माननीय मन्त्री को इसके लिए आवेदन-पत्र दिया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे याद नहीं है। आप बतायेंगे तो पता लगाया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या सांभर के पेट्रोल डीलर्स और कई ट्रक मालिकों ने अपने आवेदनपत्र पेश करके मांग की है कि उनको पैसा दिलाया जावे?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मुझे याद नहीं है अगर आप बतावेंगे तो मैं देखूंगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन के कर्मचारियों को टी. ए. और डी. ए. नहीं मिला है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—किशनगढ़ का कोई बकाया नहीं है। मैंने जो बताया है परबतसर, सिरोंज, सांचोर, टोंक और रतनगढ़ के बाकी हैं।

श्री चांदमल मेहता—टोंक में किशनगढ़ आता है। इसमें किसी को नहीं दिये गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—टोंक के लिये मैंने पहले ही बताया कि बाकी है।

श्री चांदमल मेहता—इनका पेमेन्ट कितने समय में करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कार्यवाही की जा रही है और जल्दी ही पेमेन्ट किया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२५

सन् १९५४-५५ के बजट में पंचायत विभाग के लिये टी. ए. व डी. ए. धनराशि में से व्यय एवं बचत

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

[१] सरकार ने ग्राम पंचायत विभाग को टी. ए., डी. ए. की कितनी रकमें १९५४-५५ के बजट में स्वीकार करके दी थीं ?

[२] इस रकम में से कितनी रकम खर्च हुई और कितनी रकम बचत में रही है ?

[३] १९५४-५५ के बजट में से चीफ पंचायत आफिसर ने कितनी रकम खुद के नाम पर बिल पेश करके हासिल की और कितनी कितनी रकम हर एक डिविजन के डिवीजनल पंचायत ऑफिसर ने बिल पेश करके हासिल की ?

[४] क्या १९५४-५५ के कोई बिल टी. ए. व डी. ए. के इस विभाग में अभी तक रुके हुए हैं ? यदि रुके हुए हैं तो चीफ पंचायत आफिसर के कितनी रकम के और डिविजनल पंचायत ऑफिसर्स के कितनी रकम के व इन्सपेक्टर्स के कितनी रकम के रुके पड़े हैं ?

Page No 22

[श्री छीतरलाल शर्मा]

[५] उपरोक्त बिल्स के रूके रहने और रकम पेमेन्ट समय पर न होने के कारण क्या हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—[क] ४०,००० रू०

[ख] ३९९९५ रू० व्यय हुआ और रू० ५ शेष रकम रहे हैं।

[ग] मुख्य पंचायत अधिकारी ने १,५६३ रू०

डिविजनल पंचायत आफिसर जयपुर ने ३६५ रू०

डिविजनल पंचायत आफिसर कोटा ने ६४० रू०

डिविजनल पंचायत आफिसर उदयपुर ने ५२९ रू

डिविजनल पंचायत आफिसर जोधपुर ने १४१५ रू० की रकम प्राप्त की।

[घ] डिविजनल पंचायत आफिसर्स के २ बिल तादादी रूपये १६६ के व इन्सपेक्टर्स के ८ बिल तादादी रूपये ५२२ के रुके हुए हैं।

[ङ] हिसाब विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा एतराज होने के कारण इन बिलों का समय पर पेमेंट नहीं हो सकता। दो-तीन बार लौटा-फेरी हुई है। अभी बिल पास होकर एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय से वापिस नहीं आये है ?

श्री छीतरलाल शर्मा—इतनी देरी में जाने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने बताया कि एतराज होकर ए. जी के. यहां से आये।

श्री छीतरलाल शर्मा—आपके यहां से कब भेजे गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब हमारे यहां आये तभी भेज दिए गए।

श्री छीतरलाल शर्मा— मैं यह जानना चाहता हूँ कि कब आपके यहां पर बिल आए और कब भेजे गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने बताया कि बिल आये उसके तुरन्त बाद भेज दिये गये।

श्री छीतरलाल शर्मा—आपके यहां बिल कब आए और ए. जी. के यहां आपने कौन सी तारीख को भेजे, यह मैं पूछना चाहता हूँ। कितने अर्से तक आपके यहां पड़े रहे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है कि कौनसी तारीख को आए और कौनसी तारीख को भेजे गए, मगर यह कह सकता हूं कि आते ही हम भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५२६.

श्री केसरियाजी [उदयपुर] के मन्दिर की व्यवस्था और पिछले ७ वर्ष में गबन

श्री चांदमल मेहता—क्या मंत्री, देवस्थान विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) श्री केसरियाजी (डि० उदयपुर) के मन्दिर की व्यवस्था कब से किसके चार्ज में है ?

(२) पिछले ७ साल में उक्त मन्दिर में कितने कितने माल का गबन हुआ है ?

(३) उक्त गबन कब कब हुआ और उस पर सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) श्री केसरियाजी के मन्दिर की व्यवस्था सम्वत् १६३६ से देवस्थान विभाग के आधीन है।

(२) राजस्थान बनने के बाद अर्थात् पिछले ७ वर्षों में इस मन्दिर में कोई गबन नहीं हुआ। अलबत्ता इस मन्दिर में पुराने जमाने के दो गबन हैं।

(क) मेवाड़ राज्य के समय में एक सोने का कलस व एक सोने का प्याला वजन ४४।।) तोला तहसीलदार श्री नवलचन्द की तहवील से कम हुआ।

(ख) जब सन् १६५४ में सम्भाला लिया गया तो ७११।।।) तोला जेवर कम निकला। यह कमी भी सम्वत २००१ याने राजस्थान बनने से पहले की पाई गई।

(३) ४४।। तोला सोने की कमी बाबत जामिन से वसूली की कार्यवाही राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत जारी है। ७११।।।) तोले के सम्बन्ध में तहवीलदार की बाबत मुकदमा सेशन्स कोर्ट में चल रहा है।

श्री चांदमल मेहता—यह जो पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही की जा रही है वह कब से शुरू की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी तारीख तो मेरे पास नहीं है लेकिन यह कह सकता हूं कि वह कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद कार्यवाही शुरू की, पहले कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने पहले ही अर्ज किया कि मेरे पास तारीख नहीं है, इसलिये नहीं कह सकता कि पहले शुरू की गई थी या बाद में ?

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्थान निर्माण होने के बाद भी कोई गबन हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मंत्री महोदय इसको जांच कराने को तैयार हैं कि गबन हुए ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने कहा कि ७११।।।) तोले के बाबत मुकदमा चल रहा है। यह १६५४ में पता चला। मगर यह गबन राजस्थान बनने से पहले का है।

श्री सोहनलाल भटनागर—संभाल साल में कितनी बार होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—साल में संभाल एक दफा होती है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जब साल में एक बार संभाल होती है तो फिर गबन का पता नहीं लगने का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सन् ५४ में गबन का पता लगा। जब पता लगा उसके बाद यह नियम बना दिया कि साल में एक दफा संभाल होनी चाहिये।

प्रश्न संख्या ५२७

श्री अध्यक्ष—श्री कंवरलाल जेलिया।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५२८

शाहपुरा में इन्टर कॉलेज खोलने व जहाजपुर में छात्रावास खोलने संबन्धी शासकीय योजना

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(अ) शाहपुरा में इन्टर कालेज कब तक खोला जावेगा ?

(ब) क्या जहाजपुर में सरकार शीघ्र ही एक छात्रावास बनवा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल— (अ) जी नहीं।

(ब) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ५२६

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री बृजेन्द्रपाल

(अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३०

मार्च, सन १६५६ में ओलों से नुकसान ग्रस्त क्षेत्रों में दी गई सुविधायें

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) मार्च, सन् १६५६ में राजस्थान की किस किस तहसील में ओलों से कितना कितना नुकसान हुआ है ?

(२) नुकसान ग्रस्त इलाके को सरकार द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) २ मार्च, १६५६ राजस्थान की जिन जिन तहसीलों में जहां जहां ओले गिरे उनकी सूची अभी तैयार हो रही है और गश्त गिरदावरी मौके पर की जा रही है।

(२) जिला अलवर से इस प्रकार तत्कालीन सहायता के लिये प्रार्थनापत्र आए थे और उनको २० हजार रुपये तकावी के रूप में और १० हजार चारे की तकावी और २००० आर्थिक सहायता के के लिये रखे हैं जो अनाज आदि के रूप में दे दी जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या आपके पास जयपुर जिले के भी आवेदन पत्र इस सिलसिले में आये हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस तरह की सूचना आई है कि नुकसान ओलों से हुआ है। कितना नुकसान हुआ और कहां कहां पर हुआ इस तरह के डेफिनेट सुझाव नहीं आये हैं। आने पर कार्यवाही की जावेगी।

एक माननीय सदस्य—अलवर में ओले पड़े उन सब तहसीलों को सहायता दी गई?

श्री दामोदरलाल व्यास—जहां जहां ओलों से नुकसान हुआ उनके लिये यह सहायता दी गई।

प्रश्न संख्या ५३१

विकास योजना की ट्रेनिंग हेतु (राजस्थान से) पूना भेजे जाने वाले अध्यापक एवं उन पर व्यय

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान से विकास योजना की ट्रेनिंग के लिये कितने अध्यापक पूना भेजे गये थे और उनकी ट्रेनिंग में कितना व्यय हुआ?

(ख) उपरोक्त अध्यापक अब क्या कर रहे हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—[क] कोई नहीं।

[ख] प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३२

समाज कल्याण विभाग में आदिवासी कर्मचारी

श्री लक्ष्मण हीरात—क्या समाज कल्याण विभाग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[क] समाज कल्याण विभाग में कितने और किस किस पद पर तथा कहां कहां आदिवासी कर्मचारी हैं ?

[ख] क्या यह सही है कि आदिवासियों को इस विभाग में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाकर अन्य लोगों को दी जाती है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—

[क] इसकी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रखे गये हैं।

(ख) यह ठीक नहीं है। आदिवासियों के मिलने पर प्राथमिकता दी जा सकती है।

प्रश्न संख्या ५३३

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री प्रभुदयाल।

(अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३४

कोटा कालेज की लॉ कक्षा के एक मीणा छात्र की फीस माफ करने सम्बन्धी आवेदन-पत्र

श्री भैरवलाल कालाबादल—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या कोटा कालेज की लॉ कक्षा में १ छात्र मीणा (पिछड़ी जाति) का भी पढ़ता है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस छात्र द्वारा फीस माफ करने के लिये दरख्वास्तें दी गई थीं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) जी हां।

(ख) जी हां। फीस माफ कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३५

पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों के मनोनीत पंच सरपंच व उप सरपंच

श्री भैंरू सिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(क) राजस्थान में पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत किस-किस ग्राम पंचायत में किन किन को ग्राम पंचायत का पंच, सरपंच या उपसरपंच मनोतीत किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

(ख) क्या मनोनीत करने में उस ग्राम पंचायत का चुनाव कराने वाले अधिकारी या निरीक्षक पंचायत विभाग की राय का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ग) मनोनीत करने में किन किन अधिकारियों की राय मांगी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) सूची संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) डिविजन पंचायत आफीसर निर्वाचनाधिकार तथा जिला इन्स्पेक्टर की राय के आधार पर ही मनोनीत किये गये थे।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि जिस जगह पंचायतों के पंचों को मनोनीत किया गया क्या उन सभी स्थानों पर एक से अधिक बार चुनाव कराने का प्रयत्न किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसके लिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। प्रयत्न जरूर किया गया होगा।

Page No 29

श्री भैरूं सिंह—अमूमन क्या होता है ? आपने इस संबन्ध में क्या निश्चित नीति अपना रखी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगर कोई कानून से होता है, तो होता है।

श्री भैरूं सिंह—कानून में तो बहुत सी बातें हैं। मगर इसको अमल में लाना है। क्या एक दफे चुनाव होने पर दुबारा फिर कराया जाता है और बाद में मनोनीत किये जाते हैं ?

कुछ स्थान; पर जैसा कि आपने कहा पार्टी बाजी के कारण चुनाव नहीं होसके उस पार्टी बाजी से आपका क्या मतलब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—पार्टी बाजी का मतलब आपसी गांव वालों का झगड़ा, तनातनी।

श्री भैरूं सिंह—पार्टी बाजी तथा लड़ाई की सूरत होने से चुनाव नहीं हो सके, इस पार्टी बाजी से आपकी क्या मंशा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपसी झगड़े गांव वालों के बीच।

श्री भैरूं सिंह—क्या कई स्थान ऐसे हैं जहां तीन तीन दफा चुनाव कराये गये फिर भी नामजद नहीं किये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में तो नहीं हैं आप बतायेंगे तो देख लूंगा।

श्री भैरूं सिंह—जिन स्थानों पर पंचों को नामजद किया गया वहां दुबारा चुनाव हुए या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वैसे छः महिनों में होजाने का नियम है। उसमें हो जाना चाहिये।

श्री भैरूं सिंह—कुछ स्थानों पर व्यक्तियों को नामजद किया गया वहां कलेक्टर की राय ली गई कि यहां पर दुबारा चुनाव हो सकते हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कलेक्टर की राय इस सम्बन्ध में लेने का सवाल ही नहीं डिवीजनल पंचायत आफिसर, निर्वाचनाधिकारी, जिला इन्सपेक्टर आदि की राय ली जाती है।

श्री भैरूं सिंह—सरकार यह किस तरह से डिटरमिन करती है कि इस स्थान पर चुनाव नहीं हो सकते इसलिये नामजद किये जांय ?

Page No 30

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो तारीख चुनाव की मुकर्रर की जाती है उस तारीख को लोग टर्न अप नहीं होते या ब्रीच ऑफ पीस होने का अन्देशा होता है ऐसी सूरत में चुनाव नहीं।

श्री भैंरू सिंह—लेकिन एक दफा चुनाव हुआ फिर तसल्ली किस प्रकार होती है कि यहां दुबारा चुनाव नहीं हो सकते इसलिये नामजद किये जावें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—एक बार ही कोई गड़बडी हो यह बात नहीं, बहुत से ऐसे मौके आये हैं चुनाव के दिन गांव वाले आये नहीं तो फिर उसके लिये क्या करें ?

श्री भैंरू सिंह—गांव वाले नहीं आये यह ठीक है, चुनाव में गड़बड़ी होने का अन्देशा हो उस सूरत में यदि चुनाव स्थगित होते हैं और बाद में नामजद किये जाते हैं तो उन चुनावों को स्थगित करने की तसल्ली किस तरह से आप करते हैं कि दुबारा भी अगर चुनाव करायेंगे तो फिर भी दंगा होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जो जो रिपोर्ट होती है हमारे पास आती रहती है।

श्री भैंरू सिंह—रिपोर्ट आपके पास निर्वाचनाधिकारी इन्सपेक्टर पंचायत विभाग की आती है तो इसके लिये आप कलेक्टर की राय को जानना आवश्यक नहीं समझते हैं क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नियमों में ऐसा प्रोवीजन है कि कलेक्टर का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता।

श्री भैंरू सिंह—कलेक्टर का हस्तक्षेप तो नहीं किन्तु कलेक्टर को इस बारे में पूछना क्या वहां चुनाव हो सकते हैं या नहीं आवश्यक है या नहीं ? वहां लॉ एन्ड आर्डर रह सकता है या नहीं इस विषय में कलेक्टर को पूछना आवश्यक है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री छीतरलाल शर्मा—क्या यह सही है कि बूंदी जिले की ग्राम पंचायत में नोमीनेशन को हुए छः महिने से ज्यादा होगये किन्तु वहां दुबारा चुनाव नहीं हुआ ?

श्री अध्यक्ष—आप कहां से कहां चले गये, बूंदी जिले का सवाल नहीं है।

श्री छीतरलाल शर्मा—यह सवाल तो सारे राजस्थान का है इसमें बून्दी भी है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५३

श्री रावराजा सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया-परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ५३७

गत वर्ष बन्दोबस्त विभाग के मालपुरा स्थित कार्यालय में २०० फाइलों के जलने सम्बन्धी शासकीय जांच एंव उसका परिणाम

श्री भैंरू सिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष बन्दोबस्त विभाग के मालपुरा स्थित कार्यालय की लगभग २०० फाइलें जला दी गईं थीं ?

(२) यदि हां, तो ये फाइलें किसने और क्यों जलाईं ?

(३) क्या इस मामले की जांच किसी अधिकारी से करवाई गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा और उसके आधार पर किन किन मुख्य बातों का नतीजा निकाला गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) जी हां यह सही है कि गत वर्ष मालपुरा तहसील के बन्दोबस्त विभाग की करीब २०० मिसलें जो इन्सपेक्टर स्वर्गीय श्री दीदारसिंह के सुपुर्द थीं जल गईं ।

(२) आकस्मिक घटना से ऐसा हुआ मालूम हुआ ।

(३) जी हां । इसकी जांच सेटिलमेन्ट आफिसर ने की थी । परिणाम यह निकला कि आग आकस्मिक तौर पर लगी थी और स्वर्गीय इन्सपेक्टर ने जांच प्रारम्भ होने से पहले ही बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली ।

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि इन फाइलों के जलने से पहले ही श्री दीदारसिंह बावड़ी में कूद कर मर गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं उसके बाद उनके गिरने का मालूम हुआ ।

श्री भैंरु सिंह—कितनी देर बाद ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी लाश तो चार दिन बाद बरामद हुई किन्तु यह मालूम हुआ है कि उनकी मृत्यु आग लगने के बाद हुई है ।

Page No 32

श्री भैंरू सिंह—क्या यह सही है कि मालपुरा की जनता ने कुछ व्यक्तियों की शिकायत इस बात की की थी कि श्री दीदारसिंह की मौत का फ़ायदा उठा कर इन फाइलों को जलाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बिल्कुल गलत है।

श्री भैंरू सिंह—क्या किसी ने इस बात की जांच की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच की गई है तो यह पता चला कि आग लगने के दूसरे रोज श्री दीदारसिंह की मृत्यु हुई है।

श्री भैंरू सिंह—क्या इन फाइलों के जलने के संबन्ध में किसी पटवारी को सजा दी गई।

श्री दामोररलाल व्यास—यह मेरी मालूमात में नहीं है। मुझे तो यही सूचना मिली है आकस्मिक घटना के कारण, यह आग लगी।

श्री मानसिंह महार—क्या यह सही है कि किसी पटवारी को इस सिल सिले में बरखास्त किया गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास—मेरी जानकारी में नहीं है यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री भैंरू सिंह—मैंने जो सवाल पूछा है उसमें जांच कराने संबन्धी सवाल है तो इन सारी बातों को मालूम करके आना चाहिये। क्या यह माना जाय कि किसी भी अधिकारी को किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिली ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब आग लगने का कारण ही आकस्मिक है तो किसी को सज़ा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री मानसिंह महार—किसी पटवारी को इस सिलसिले में बरखास्त किया गया क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप नाम बतलाइये तो मैं पूछ कर बता सकता हूं।

श्री भैंरु सिंह—तो क्या यह मान लिया जाय कि किसी को किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं मिली ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कयास तो यही है कि जब आकस्मिक घटना से आग लगी है।

Page No 33

श्री अध्यक्ष—आग के लिये किसी को पनिशमेन्ट दी गई है या नहीं यह इनफोरमेशन चाहते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—पटवारी का नाम यदि आप दें तो मैं बता सकता हूँ।

श्री भैरुसिंह—किसी अधिकारी को सजा मिली है या नहीं।

श्री अध्यक्ष—He is also groping in the dark.

श्री दामोदरलाल व्यास—किसी को नहीं मिली। I am quite positive about it.

प्रश्न संख्या ५३८

ग्राम सराय (त० उदयपुर) जि० भूंझुनू के एक अध्यापक को ५ माह से वेतन न मिलना

श्री हंसराज जटिया—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम सराय तहसील उदयपुर जिला भूंझुनू के किसी अध्यापक को ५ माह से वेतन नहीं मिला है?

(२) यदि हां तो क्यों?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भू-स्वामी आन्दोलन सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय अध्यक्ष, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मुझे आशा है कि आप मुझे उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा देंगे। उस स्थगन प्रस्ताव को पढ़ दिया जावे जिसमें एक भूस्वामी की मृत्यु जेल में हुई है उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष—आपने उसमें कई बातें उठायी हैं। उसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती; Public agitation, public commotion etc. How these things are relevant?

रावत श्री शम्भूसिंह—जनता में बहुत सैन्सेशन फैल रहा है; आप उसे पढ़ ही दें।

श्री अध्यक्ष—Order! The question was raised a few days ago about Bhooswamis and that was replied to. As regards the death which is reported to have occurred, the Hon'ble Member can draw the attention by a

[श्री अध्यक्ष]

short notice question. If that is given today it will be replied tomorrow. Then the attention of the House can be drawn tomorrow.

रावत श्री शम्भूसिंह—जब तक क्वेश्चन का समय आयगा और भी ज्यादा सेन्सेशन फैल जायगा ?

श्री क्ष—The Government is rosponsihle, not this House.

श्री श्रीदासगोयल—अध्यक्ष महोदय, गत सप्ताह इसी दिन माननीय राजस्व मंत्री से एक सवाल जो मैंने पूछा था, सवाई माधोपुर के खन्डहरों के बारे में उसके लिये कहा था कि इसकी सूचना नहीं आ सकी है, नेक्स्ट वीक में अपनी टर्न पर जवाब दे दूंगा, क्या वे आज उस प्रश्न का जवाब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—किसी दिन गैर हाजिर रहिये उस दिन ले लिया जायगा।
Yes, Shri Damodar Lal Vyas.

सवाई माधोपुर के खण्डहरों सम्बन्धी तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४०८

सवाई माधोपुर के नगर के ढूढे खन्डहरों को नगर पालिका के सुपुर्द करने सम्बन्धी

श्री श्रीदास यल—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) नगर सवाई माधोपुर में कितने ढूढें खन्डहर मकानात हैं ?

(२) क्या सरकार इन ढूढों को नगरपालिका के सुपुर्द करना चाहती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(१) ३००. ३५० खन्डहर मकान।

(२) विचाराधीन है।

श्री श्रीदासगोयल—कितने वर्षों से विचाराधीन है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पिछले कुछ महिनों से विचाराधीन हैं इस संबन्ध में जांच करना आवश्यक है कि इसमें से कितने खन्डहर सरकारी हैं और कितने प्राइवेट। इसके बाद यह तय किया जायगा कि इनका क्या किया जाय।

श्री श्रीदासगोयल—क्या यह सही है गत दो वर्षों से जब कि श्री टीकाराम पालीवाल राजस्व मंत्री थे उसी समय से यह मामला चल रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—अब आप कितने दिनों में मुकम्मिल जांच करके निर्णय ले लेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब जांच मुकम्मिल हो जायगी कि कौन कौन खन्डहर सरकारी है और कौन कौन प्राइवेट, यह तय हो जाने पर सरकार यह तय करेगी कि जो सरकारी खन्डहर हैं उनका क्या किया जाय ?

श्री श्रीदास गोयल—जब की सरकार इसको दो वर्ष से तय नहीं कर पाई तो क्या इस संबन्ध में म्युनिसिपलिटी को अधिकार देना जरूरी नहीं समझती, नगर विकास की दृष्टि से?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप इस सम्बन्ध में म्युनिसिपल एक्ट को मुलाहिजा करिये। जहां तक सरकारी खन्डहरों का सवाल है उसके सम्बन्ध में जो निर्णय होगा सूचित कर दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या अब इस मामले में जल्दी ही निर्णय लिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जैसा मैंने निवेदन किया हम जल्दी कर रहे हैं, विचाराधीन है, जल्दी निर्णय के बारे में और मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या दो तीन महिनों में निर्णय हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—उम्मीद तो ऐसी ही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या आप इस सम्बन्ध में कलेक्टर या स्थानीय अधिकारी को इस सम्बन्ध में आदेश देंगे कि कोई निश्चित तारीख बतलाते हुए कि इस अवधि में यह कार्य हो जाना चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—निश्चित तारीख तो नहीं बतला सकते, जब इस बात की जांच हो जायगी कि कितने सरकारी खन्डहर हैं और कितने प्राइवेट, उसके सम्बन्ध में उन अधिकारियों द्वारा प्रोपोज़ल्स भी मागें हैं कि इनको किस तरह से डिसपोज़ ओफ किया जाय, उसके बाद निर्णय हो सकेगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि स्थानीय कलेक्टर ने इसके लिये प्रोपोजल्स भी भेज दिये हैं ?

Page No 36

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—अगर सरकार के पास कलेक्टर के प्रोपोज़ल्स आये हों तो सरकार कितने अरसे में निर्णय ले लेगी?

श्री अध्यक्ष—Very enthusiastic about old houses.

श्री घीसीसिंह—क्या यह सही है कि आबादी की कमी की वजह से टूटें पड़े हैं।

राजस्थान विधवा तथा द्वितीय पत्नि पोषण विधेयक, १९५६

(अशासकीय विधेयक-पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष—श्री माधोसिंह!

श्री माधोसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधवा तथा द्वितीय पत्नी पोषण विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय?

('हां' व 'नां' की कोई आवाज प्राप्त नहीं होने पर)

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसे पेंडिंग रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री माधोसिंह—मैं इस विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

राजस्थान अनमेल व द्वितीय विवाह निरोधक विधेयक, १९५६

(अशासकीय विधेयक--पुरःस्थापन)

श्री माधोसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अनमेल एवं द्वितीय विवाह निरोधक विधेयक, १९५६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ।

श्री जवान सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विधान के अन्तर्गत विरोध करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—ये बिल को पुरः स्थापित करने की आज्ञा चाहते हैं। यह तो पहली स्टेज है, इस पर विरोध नहीं हो सकता। यह तो सेकन्ड स्टेज पर होना चाहिये।

श्री जवानसिंह—अध्यक्ष महोदय, कोन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट पर यही स्टेज है जिस समय विरोध हो सकता है। इसी प्रकार का कनवेन्शन पहले भी हमारे यहां पड़ चुका है। जब कि एनीमल एण्ड बर्डस सेकरीफाइसेज़ बिल इस सदन में पेश होने वाला था उस समय विधान के अन्तर्गत एतराज किया गया और उस पर बहस हुई, वही स्टेज इस समय इस बिल की है। यही एक ऐसी स्टेज है जिस पर कोन्स्टीट्यूशनल पोइन्ट पर ओब्जेक्शन रेज़ किया जा सकता है। मैं इस अनमेल एवं द्वितीय विवाह निरोधक विधेयक के सम्बन्ध में, इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हमारे भारत के विधान के पार्ट ३ के खंड १४ के आर्टिकल के तहत एतराज पेश करता हूँ, वह आर्टिकल इस प्रकार से है :—

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

इस आर्टिकल की तहत में, मैं अपना एतराज पेश करते हुए कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हमने अपने भारत के संविधान में न तो एक स्त्री और न एक पुरुष में भेद ही किया। आज हमारे सामने ऐसा कानून लाये जाने का प्रस्ताव है जिससे स्त्री और पुरुष में भेद किया जायगा। जैसे पुरुष की उम्र इतनी हो और स्त्री की उम्र इतनी हो या स्त्री से पुरुष की उम्र इतनी ज्यादा हो तभी विवाह हो सकता है। इस आधार पर अगर पाबन्द किया गया तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम कहां पर चले जायेंगे ? अगर हम किसी निश्चित आधार पर जाकर कहेंगे कि पुरुष और स्त्री को कम्पार्टमेंटस के आधार पर ही तय कर सकते हैं जैसे पचास साल का आदमी हो तो ४७ साल की स्त्री हो। साठ साल का आदमी हो तो स्त्री ५७ साल की हो ऐसा हो तभी विवाह हो सकता है अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार का जो हम एक निश्चित कम्पार्टमेन्ट के अन्दर औरतों और आदमियों को डालकर उनसे भविष्यमें समानता की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यह बात नहीं आती। हमारे दिमाग काम नहीं करते कि आखिर हम इन्सान को इन्सान समझते हैं या पशुओं से भी बदतर वस्तु समझते हैं। जहां तक हमारे हिन्दु शास्त्रों का सवाल है हमारे यहां शादी एक बहुत बड़ी, पवित्र चीज समझी गई है कि जिससे.........

श्री अध्यक्ष—कॉन्स्टीट्यूशन पर ही बोलें आप। कौन से आर्टिकल पर बोल रहे हैं ?

श्री जवानसिंह—मैंने निवेदन यह किया है कि पार्ट थ्री, आर्टिकल १४१ के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष—क्या ?

श्री जवानसिंह—पार्ट ३ आर्टिकल १४१ की तहत।

श्री अध्यक्ष—लेकिन यह तो नेक्स्ट कन्सीडरेशन की स्टेज पर होना चाहिये।

The Bill is not before the House. In this Bill as presented before the House there can be no objection. The preliminary thing is that the House should accord its sanction for its introduction and when it is introduced, then whether it is ultravires of the Constitution, whether it is against the spirit of the Constitution, it can be discussed at that stage and the Bill can be rejected if it is so. At this stage, I think it will not be proper to discuss in detail about the Bill. This is Parliamentary practice that ordinarilly at the introduction stage no Bill is opposed. I will request the Hon'ble Member to follow that convention.

श्री जवानसिंह—All right. I shall take a chance later on.

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)—विरोधी दल ने जो दो-तीन बातें कही हैं उनके बारे मैं कहना जरूरी समझता हूं........

श्री अध्यक्ष—कोई जरूरत नहीं है।

श्री माधोसिंह—दो-तीन बातें कहनी जरूरी हैं।

श्री अध्यक्ष—वह नेक्स्ट स्टेज पर कहना।

श्री माधोसिंह—नहीं साहब जरूरी हैं, अभी कहने........

श्री अध्यक्ष—order please!

प्रश्न यह है कि जो विधेयक राजस्थान में अनमेल व द्वितीय विवाह को रोकने का एवं उस पर प्रतिबन्ध लगाने का माधोसिंहजी ने रक्खा है उसे पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री माधोसिंह—इसलिये मैंने अर्ज किया था कि दो-चार मिनिट का टाइम दिया जावे, ताकि जो गलतफहमी हो गई है वह दूर हो जाय।

श्री अध्यक्ष—विधेयक को आप पुरःस्थापित करना चाहते हैं या नहीं?

श्री माधोसिंह—चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर पुरः स्थापित करिये न।

(हंसी)

श्री माधोसिंह—मैं पुरः स्थापित करता हूँ। मुझे बोलने की इजाजत दी जावे।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष—आप विचार कर बोलिदेगा, जो भी कुछ कहना है बाद में कहियेगा।

श्री जवानसिंह—मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री भैरूं सिंह—एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करवाना है।

श्री अध्यक्ष—किस बारे में ?

श्री भैरूं सिंह—इसी बिल के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष—Then the House should turn into a House Committee and the Speaker should retire?

There should be some segacity. Yes, Bills for consideration. Further consideration of the Rajasthan Animals and Birds Sacrifices (Abolition Bill, 1952.)

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (प्रतिषेध) विधेयक, १६५२
(विचार-विमर्श, स्थगित)

श्री भीमसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि मूवर उपस्थित नहीं हैं। हमारी दलीलें सुनावें किस को ? अरण्यरोदन होगा केवल। हमें आशा है कि हम अपनी दलीलों से उन्हें कन्विन्स करा सकेंगे। इसलिये जब तक वे नहीं आवें तब तक नेक्स्ट आइटम ले लिये जावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष—I should put it to vote rather than postpone it. This is not the precedent.

कोई बोलना चाहें तो बोलें।

श्री चांदमल मेहता—अध्यक्ष महोदय,............

श्री भीमसिंह—मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे पोस्टपोन कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दे दें।

श्री चांदमल मेहता—नहीं साहब, इसे पोस्टपोन नहीं किया जावे, यह बड़ा जरूरी है। मूवर की अनुपस्थिति में भी लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—जो इसको पोस्टपोन करने के अगेन्स्ट में हों वे खड़े हो जावें।

(कुछ लोग खड़े हुए)

Is it the wish of the House to postpone this Bill ?

('Yes'-'Yes', 'No'-'No' की ध्वनियां).

It should be unanimous.

It is not the agenda and if the House wants to postpone it, the wish should be unanimous.

('No, Sir' व 'Yes Sir' की ध्वनियां)

जो इसका पोस्टपोनमेंट नहीं चाहते हैं और यह चाहते हैं कि यह बिल अभी कन्सीडिरेशन में लिया जाय वे 'हां' कहें।

(कुछ सदस्य खड़े हो जाते हैं।)

और जो शेष हैं उनके लिये यह समझा जाय कि वे पोस्टपोनमेंट चाहते हैं।

('नहीं', 'नहीं' की आवाजें)

श्री श्रीदास गोयल—So many are neuterals, Sir.

श्री अध्यक्ष—जो न्यूटरल्स हैं वे खड़े हो जांय।

(हंसी)

जो यह चाहते हैं कि इसको पोस्टपोन (कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) किया जाय, वे खड़े हो जांय।

So the majority is for postponement.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

Postponed.

(करतलध्वनि)

The motion is carried-out. So the majority for postponement is not disputed.

श्री चांदमल मेहता—It is disputed, Sir.

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)—The decision has been given Sir. It cannot be challenged now.

श्री अध्यक्ष—I am open to correction.

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)—वह सवाल ही नहीं आना चाहिए कि इस पर कन्सीडरेशन किया जाय या नहीं किया जाय। इसका कन्सीडरेशन कर के पास किया जाय या रद्द किया जाय। पोस्टपोनमेंट का प्रोसीजर कौन सा है ?

श्री अध्यक्ष—The procedure is regulated by the wish of the House. I wanted to know the wish of the House whether they want to take into consideration the Bill just now or postpone it if the majority of the members of the House want to postpon it, I can postpone it. It is better that the wish of the House would have been unanimous, but if it is not unanimous then I can go with the majority wish of the House. What I wanted that if the Hon' ble Members want to know what is the majority exactly, I say it is majority wish for the postponement, but if the Hon' ble members say that the majority is in their favour, I can put it for the division.

श्री चांदमल मेहता—Yes Sir, Division में रख दें।

श्री अध्यक्ष—The motion is that the Rajasthan Animal and Bird Sacrifices (Abolition) Bill, 1952, be postponed for further consideration.

(विराम)

प्रश्न यह है कि "राजस्थान एनीमल एन्ड बर्ड सेक्रीफाइसेज़ एबोलिशन बिल, १६५२" को विचारार्थ स्थगित किया जाय।

[श्री अध्यक्ष]

जो इसके पक्ष में हों वे 'एज' की तरफ चले जांय और जो इसके विपक्ष में हों वे 'नोज़' की तरफ चले जांय।

(मत-विभाजन के पश्चात्)

Order please !

The results are not very encouraging neither this party not that party is interested The presence of the House is very thin. 36 for 'Ayes' and 26 for 'Noes.'

(विभाजन सूची के लिए कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

So the Ayes have it, the Ayes have it.
Only 63 members voted.

श्री जवान सिंह—The neutrals are unaccounted.

श्री अध्यक्ष— I am very sorry. The mover of the Bill was not present otherwise if he would have pressed I would have seen that the Bill would have gone through.

Next. Shri Ram Ratan Tikkiwal.

राजस्थान प्रिज़र्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स (संशोधन) विधेयक, १६५४

(खण्डशः विचार-विमर्श स्वीकृति)

श्री रामरतन टिक्कीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान प्रिजरवेशन ऑफ सरटेन एनिमल्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन विधेयक श्री रामरतन टिक्कीवाल ने राजस्थान प्रिजरवेशन ऑफ सरटेन एनिमल्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५४ को रखा है वह विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

Page No 43

श्री अध्यक्ष—ज़रा जोर से बोलिये, सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इससे पहले श्री सोहनलाल भटनागर ने एक संशोधन पेश किया जो आज ही प्राप्त हुआ है।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय अध्यक्ष, इस संशोधन विधेयक में "पीफ़ल" शब्द के बाद में पिज़न और एड करने के बारे में कहा गया है। साथ ही इसमें ये शब्द और बढ़ाये गये हैं shall be and be deemed always to have been inserted.' इसका मतलब यह है कि इसको रिट्रोस्पिक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं। इस शब्द को बढ़ाने में कोई एतराजन नहीं है लेकिन इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना उचित नहीं होगा क्योंकि ऐसा करने से पहले कोई काम हुआ है या पहले किसी ने कबूतर मारे हैं तो उसको वापिस ओपन किया जा सकता है। पेनल ओफेन्सेज़ में रिट्रोसपेक्ट इफेक्ट नहीं दिया जाता इसलिये मैंने यह अमेन्डमेन्ट रखा है कि शब्द एण्ड बी डीम्ड आलवेज़ टू हेव बीन को निकाल दिया जाय। मैं आशा करता हूं मेरा संशोधन मंजूर कर लिया जायगा।

श्री भैरूं सिंह (१६)—यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस संबंध में सदन आभारी होगा यदि माननीय सदस्य जिन्होंने इसे उपस्थित किया है वे इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे और सदन के सदस्यों को भी इस बहस में भाग लेने को मौका दें। यह बिल पहले सर्क्यूलेट किया गया है लेकिन ओरिजनल बिल किसी को भी नहीं मिला है, इसलिये हम नहीं कह सकते कि कैसी धारा होगी क्या होगा? प्रेस में भी हमने तलाश किया लेकिन वहां भी उपलब्ध नहीं हो सका इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि आप माननीय सदस्य को आदेश दें कि वे इस विधेयक के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें ताकि बहस में भाग लिया जा सके।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—कबूतर एक भोला भाला जानवर है। जिस तरह से मोर को मारने पर पाबन्दी है उसी तरह से इसको भी नहीं मारना चाहिये और इस को मारने पर भी पाबन्दी लगानी चाहिये इसलिये मैंने संशोधन रखा है।

श्री भैरूं सिंह—Not audible, Sir. सुनाई नहीं दे रहा है, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष—Satisfied.

श्री भैरूं सिंह—सुना नहीं है साहब।

श्री अध्यक्ष—उनको जो कहना था, वह कह दिया। जो समझने वाले थे, वे समझ गये और नहीं समझने वाले नहीं समझे।

श्री भैंरूसिंह—सुना नहीं है साहब। एक्सप्लेनेशन दे दें तो अच्छा है।

श्री चंदनमल वैद—रेवेन्यू मिनिस्टर साहब प्रोम्प्ट कर रहे हैं उनके बजाय खुद ही बतादें तो अच्छा हो।

श्री मानसिंह महार—इस विधेयक के द्वारा वे क्या चाहते हैं, यह तो कहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—order please! जो उनको कहना था वह कह चुके और लिखकर भी दे चुके। यह चेयर किसी को बाध्य नहीं कर सकती, कहने के लिये।

श्री भैंरूसिंह—चेयर की मार्फत मैं उनसे दुबारा निवेदन करूंगा कि वे कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष—वे कुछ कहना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—अध्यक्ष महोदय, कबूतर बहुत ही भोला-भाला जानवर है उसको चुग्गा डालते हैं कुछ लोग। उनको अपनी खुशी के लिये मार डालते हैं। मोर को मारने पर हमारे यहां पाबन्दी है। मैं चाहता हूं कि इस कानून में कबूतर शब्द और जोड़ दिया जाय और उनको मारने पर पाबन्दी लगादी जाय। इसलिये मैंने यह विधेयक रखा है।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेन्ट है वह साफ और सीधा सा है और यह परंपरा चली आ रही है कि मोर और कबूतरों को नगरों और गांवों में ज्वार आम तौर से डाली जाती है और जगह जगह डाली जाती है और कबूतर हजारों की तादाद में, मोर चुगे पर इकट्ठे होते हैं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जो उनको मारते हैं। लोग इनको चुग्गा इसलिये डालते हैं कि यह भोला भाला पक्षी बडा ही सुहावना नजर आता है। कुछ व्यक्ति इनको पालते भी हैं। लेकिन मौजूदा एक्ट में कुछ कमी है। पीफाउल को तो शामिल किया गया है in The preservation of Certain Animals Act लेकिन जहां तक कबूतरों का सवाल है इसके लिये कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया था। इसको प्रोटेक्शन नहीं देने से बहुत से प्राणी जिनको क्रूअल्टी में स्वाद आता है, कबूतरों को मार डालते है और देखते नहीं कि प्राण लेना कितना मुश्किल, कितना कठिन और दुःख भरा होना चाहिये। यदि उनको सुई भी चुभाई जाय तो चीं चीं करते हैं लेकिन कबूतरों को फंदा डालकर मार दिया जाता है, यह बड़े दुःख की बात है। टोंक जिले से आने वाले मित्र ने अपने अनुभव के अवसर पर कबूतर की बदकिस्मती को देखा होगा उसी भावना से प्रेरित होकर, दया की भावना से ओत-प्रोत होकर यह रखा है। यह सीधा साधा संशोधन है इसको मानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात जो उन्होंने संशोधन में रखी है वह नहीं होनी चाहिये क्योंकि पीनल कोड में रिट्रोसपेक्ट इफेक्ट नहीं देना चाहिये। यदि किसी ने पहले इन पक्षियों को मारा है अब कि मारना

Page No 45

[श्री श्रीदास गोयल]

ओफेन्स नहीं था तो उनको पनिशमेन्ट नहीं मिलना चाहिये । यह फंडामेन्टल रूल ऑफ लॉ है और जुरिसपूडेन्स के अनुसार भी रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट नहीं देना चाहिये इसलिये इस अमेन्डिंग बिल पर जो संशोधन श्री भटनागर जी ने रखा है उसको भी स्वीकार करना चाहिये ।

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)—माननीय चेयरमेन, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्री रामरतनजी टिक्कीवाल ने जो संशोधन रखा है और श्री भटनागर ने संशोधन रक्खा है वे दोनों कितने वाजिब हैं । जहां तक इस पक्षी को नहीं मारने का सवाल है राजस्थान के अन्दर बहुत से आदमी इसका समर्थन करेंगे । जैसा कि श्री भटनागरजी ने रक्खा है इन पक्षियों में नर और मादा का पता लगाना मुश्किल होता है, इस लिए इन दोनों की ही रक्षा की जाय । इस लिये मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि श्री भटनागरजी ने जो यह संशोधन रखा है उसे सर्व सम्मति से स्वीकार किया जाय ।

श्री कस्तूरचन्द—माननीय चेयरमेन, जो संशोधन श्री रामरतनजी टिक्कीवाल ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूँ । जो कि राजस्थान के अन्दर मोर का कानून बना हुआ है उसके साथ कबूतर को भी लगा दिया जाय । इसके बारे में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि कबूतर जैसे जानवरों को भी चुग्गा डाल कर जब वे झुंड के झुंड में इकट्ठे हो जाते हैं तो जाल डाल कर फंसा लेते हैं या टोकरा डाल कर उनको मार डालते हैं, यह हत्या बहुत बुरी है । इस लिए श्री टिक्कीवालजी ने बहुत ही शानदार, इज्जतदार संशोधन रक्खा है

(हंसी)

वह बहुत ही सुन्दर । उसे सदन को एक मत हो कर स्वीकार कर लेना चाहिये, अच्छा होगा । जो प्रस्ताव श्री टिक्कीवालजी ने रक्खा है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीभानसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, श्री रामरतनजी टिक्कीवाल ने जो संशोधन बिल इस विधेयक में रखा है, मैं उसकी खिलाफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हिन्दू धर्म के आधार पर अगर यह परिभाषा ली जाय तो यह इतनी विस्तृत है कि हर एक जानवर इसमें आजाता है, सब पक्षी आजाते हैं । सभी ऐसे जानवर (पक्षी) हार्मलैस हैं, मेन ईटर्स तो पक्षी देखे नहीं । अगर किसी ने तीतर वगैरह को भी दाना डालना शुरू कर दिया तो इससे बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ हैं, उनसे लोगों को वंचित रक्खा जायगा । बहुत से आदमियों को पेरेलिसिस होता है उनके लिये पेरेलिसिस वालों के लिये कबूतर की डाइट अच्छी है ।

हार्मलेस का मतलब तो यह है कि मुर्ग भी हार्मलैस है । मुर्ग किसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो इस डेफिनेशन में तो मुर्ग भी आजायेंगे और इस तरह नीरोज़ वगैरह में हमेशा अच्छे अच्छे

[श्री श्रीभानसिंह]

चिकन्स खाने को मिलते हैं उनसे लोगों को वंचित रहना पड़ेगा, और यह एक ऐसा जानवर है जो हर जगह बैठ कर गंदगी फैलाता है। जिनको धर्म करना है वे धर्म करें, जिनको अधर्म हो मोल लेना है उनको क्यों रोकते हैं, मैं इसका इस लिये अपोज करता हूं।

रावत श्री शम्भूसिंह—माननीय चेयरमेन, श्री टिक्कीवालजी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मोर और कबूतर हमारे यहां पहले से ही अवध्य पक्षी माने जाते हैं और उनको मारने वालों के लिये अलग अलग रियासतों में कानून बने हुए थे। किन्तु राजस्थान के एकीकरण के बाद इन अवध्य पक्षियों का वध करने वालों के लिये कोई कानून सजा देने वाला नहीं था, उनको पूरा करने के लिये श्री टिक्कीवालजी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

माननीय चेयरमेन, जहां तक हिन्दू धर्म और हिन्दू भावना का प्रश्न है कबूतर अवध्य पक्षी है, उसको मारना हिन्दू धर्म और हिन्दू भावना को ठेस पहुंचाना है। माननीय चेयरमेन, यह बात सर्व विदित है कि कबूतर को दाना चुगाया जाता है, इसका पालन पोषण किया जाता है और इनकी रक्षा की जाती है। मैं समझता हूं कि कोई भी हिन्दू धर्म अनुयायी इसको मारना पसन्द नहीं करेगा और इसी प्रकार मोर भी हैं। पर इनके वध को रोकने के लिये कोई कानून नहीं होने के कारण कुछ जाति के लोग और कुछ व्यक्ति लुक छिप कर इनको मार डालते हैं, इससे हिन्दू जाति की धार्मिक भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंचती है इस लिये यह आवश्यक कानून प्रस्तुत हुआ है इसे बहुमत से पास कर देना चाहिये। इसमें तो मैं दो मत होने की बात ही नहीं देखता और न इसको वाद-विवाद का विषय ही समझता हूं, यह तो बहुत आवश्यक कानून है।

अभी मेरे पूर्व वक्ता एक माननीय सदस्य ने कहा कि पेरेलिसिस या पक्षाघात के रोग में कबूतर के मांस को उपयोग में लिया जाता है और उन्होंने कहा कि इसको मार कर के इसके मांस को काम में लिया जाता है पर माननीय सदस्य को भ्रम हो रहा है, कबूतर के मांस को पक्षाघात की बीमारी में उपयोग में लाने का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। केवल इसकी हवा से पेरेलिसिस के रोगियों को लाभ पहुँचता है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य न आयुर्वेद के माहिर हैं और न विशेषज्ञ हैं। फिर उन्होंने किस आधार पर ऐसी बात कह डाली कि पक्षाघात के रोगी कबूतर के मांस को काम में लेते हैं? इसकी हवा को काम में लेते हैं न कि इसके मांस को यह बात माननीय सदस्य को अच्छी तरह से विदित हो जानी चाहिये।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि और कई पक्षी हैं, इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभी पक्षी एक श्रेणी में नहीं लिये जा सकते। जो पक्षी अवध्य माने जाते हैं, जिनको मारने से हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, उनके ही वध को रोकने का प्रयत्न करें। कबूतर प्रारम्भ से अवध्य पक्षी माना जाता है और इसके वध के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना नितान्त आवश्यक है। इसलिये माननीय सदस्य श्री टिक्कीवालजी ने यह विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है और इस पर विचार करने का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं और आज कल जो एक

[रावत श्री शम्भूसिंह]

धर्मविहीन भावना की प्रवृति नजर आती है, मैं समझता हूं हमारे सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य इस प्रकार की भावना में जो कि धर्म की विरोधी हो सकती है, उसमें नहीं बहेंगे और सर्व सम्मति से इस आवश्यक विधेयक को स्वीकार करेंगे।

श्री जगतसिंह झाला—माननीय चेअरमेन, मैं भी टोंक से आने वाले माननीय सदस्य के इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कबूतर एक ऐसा जानवर है जिसको मारना धर्म में मना है। और इसे मोर के साथ में जोड़ देना बहुत अच्छा होगा। एक माननीय सदस्य ने यह फरमाया कि पक्षाघात में इसका मांस उपयोगी होता है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पक्षाघात में भी अगर कबूतर की हवा काम में ली जावे तो उसे फायदा होता है और इसलिये हमको उनकी रक्षा करनी चाहिये। इसके मांस को काम में लाने का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। इसलिये इसको अवश्य मारने से रोकना चाहिये। माननीय सदस्य जिस क्षेत्र से आये हैं वहां पर इनको ज्यादा तादाद में मारे जाने की प्रथा होगी। मगर हमारे हिन्दू धर्म में और शास्त्रों में इनको मारने का निषेध रखा है। इनको तो चुगाने के लिये जगह जगह पर फन्ड इकठे किये जाते हैं और इनको चुगाने का प्रबन्ध किया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार की बात होती है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करना चाहिए और इनको मारने से रोका जावे। यह एक बहुत ही अच्छा विधेयक होगा।

श्री मानसिंह महार— सभापति महोदय, सदन के समक्ष टोंक से आये हुए माननीय सदस्य ने राजस्थान प्रीजरवेशन आफ सरटेन एनिमल्स (एमेन्डमेंट) बिल १६५४ प्रस्तुत किया है उसके बारे में भी दो शब्द निवेदन करूंगा। इस पर मेवाड़ इलाके से आये हुए मेरे माननीय मित्र श्री सोहनलालजी ने संशोधन रखा है, वह तो बहुत ही उपयुक्त है मगर मैं यह कहूंगा कि कोई भी मामला हो उसको अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है तो वह सरासर गलत बात है। जब एक जगह पर कोई कानून नहीं था वहां के रहने वाले लोगों को उस एक्ट के नीचे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू कर के सजा दी जावे तो मैं यह कहूंगा कि यह न्याय संगत नहीं है। इस प्रकार का कानून अब नया लागू करके बेचारे गरीबों को लागू करके सजा दी जावे, यह तो सरासर अन्यायपूर्ण होगा। मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं मानता कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जावे। जिस दिन से लागू हो उस दिन से रखा जावे : In Section 4 of the Rajasthan Preservation of Certain Animals Act, 1950, after the word 'Pea-fowl' wherever it occurs the words 'or pigeon' shall be and be Deemed always to have been Inserted."

क्यों कि इनको हटाया जाना यह अन्यायपूर्ण बात होगी। एक और, माननीय चेयरमेन, बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि राजस्थान प्रीजरवेशन ऑफ ऐनिमल एक्ट, १६५० के मूल एक्ट में जो संशोधन लाया गया है उसमें धारा ४ के अन्दर पीकोक शब्द के आगे लिखा है :

[श्री मानसिंह महार]

"Killing or injuring a pea-fowl:-- Whoever intentionally kills or injures a pea-fowl shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one hundred rupees or with both."

मैं यह समझता हूं कि कबूतर और मोर में बहुत फरक है। मोर के लिये हम ६ महिनों की सजा रखते हैं तो वह उचित ही है। कबूतर के लिये इतनी सजा नहीं होनी चाहिये। अगर कोई कबूतर मार दे तो उसको ६ महीनों की जेल भेज दिया जावे। मैं समझता हूं कि महीने दो महिने की सजा का प्रोविजन रखा जावे तो ज्यादा उचित होगा। मैं समझता हूं कि मोर को मारना धर्म की तहत में पाप माना जाता है और खराब माना जाता है और खराब माना जाता है उतना खराब कबूतर मारना नहीं माना जाता है।

मेरे एक माननीय मित्र ने कहा कि आज आप कहते हैं कि कबूतर मारने पर रोक लगाते हैं कल आप तीतर और परसों हरियल, बटेर आदि पर रोक लगावेंगे और इस प्रकार मुर्गा मुर्गी पर भी थोड़े दिनों के बाद पहुँच जावेंगे कि उनको भी नहीं मारना चाहिये। मगर मैं यह कहूंगा कि उनकी यह धारणा गलत है। हिन्दु धर्म में किसी प्रकार की रोक लगाई जावे, वह कोई विचार और धारणा नहीं थी लेकिन कबूतर को ऐसा जानवर माना जाता है जिसको मारना हिन्दू धर्म के खिलाफ है। इसलिये कबूतर के मारने पर सजा देना तो बिल्कुल वाजिब चीज है। इसलिये इस बात पर मैं माननीय मूवर ऑफ दी बिल से निवेदन करूंगा कि ६ महीनों की सजा है उसको कबूतर के लिये लागू करने में, मैं इसको अन्यायपूर्ण मानता हूँ। मेरी राय में कानून में ७ वर्ष की गाय मारने की सजा रखी है और मोर को मारने के लिये ६ महीनों की सजा रखी है तो कबूतर के लिये एक महीने या दो महीने की सजा रखदी जावेगी तो मैं समझता हूँ कि परपज़ सर्व हो जावेगा। मेरे मित्र टोंक से आये हैं उन्होंने वहां पर बहुत बार कबूतरों को मारते हुए देखा है और हैरान होकर यहां पर कह रहे हैं। मैं इस प्रकार का एक एमेन्डमेंट अभी प्रस्तुत कर दूंगा। मगर मैं सदन से प्रार्थना करूंगा वे इस पर विचार करें। हांला कि मेरा एमेन्डमेंट समय में नहीं है मगर जब मैंने यह देखा तो मुझे महसूस हुआ कि यह ६ महीनों की सजा ज्यादा है। इसलिये मैं सदन और सभापति महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को जोड़ते हुए क्लॉज ४ में सब क्लॉज एक और एड किया जावे जो सब क्लाज इस प्रकार की बात रखे कि कबूतर मारने में एक या दो महीने की सजा रखी जावे। अगर ऐसा हो कि अलग से इसके लिये एमेन्डमेंट लाया जावे तो मैं अलग से एमेन्डमेंट ले आऊंगा। मगर इसमें समय लगेगा। मगर यह एक बहुत जरूरी चीज है इसलिये इसके लिये जरूर होना चाहिये कि कबूतर मारने वाले को सजा दी जावे। मगर कबूतर और मोर को एक ही केटेगरी में रख कर सजा न कर दें। अगर ऐसा करते हैं तो यह नावाजिब मालूम होता है इसलिये श्री सोहनलालजी भटनागर ने मूल एक्ट में रखा है वह हिन्दू धर्म पर कुठाराघात को देखते हुए ही किया है। इसलिये मैं सदन से अपील करूंगा कि सब लोग इसको सर्व सम्मति से पास करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय सभापति, जो एमेन्डमेंट में एमेन्डमेंट मानसिंह महार ने सुझाव के तौर पर दिया है उसकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती और वह इसलिये नहीं होती कि पेनल कोड को देखें तो आपको मालूम होगा कि थेफ्ट ५ रुपये की भी होती है और ५ लाख की भी होती है। उन दोनों के लिये ३७६ दफा का जिक्र है और उसमें तीन साल की सजा दी जाने का जिक्र है। मगर सबको सजा बराबर नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में जो कोर्ट न्याय करती है उसका यह डिस्क्रिशन होता है कि आया ओफेन्स ज्यादा सीरियस है या कम सीरियस। एक दिन की सजा दी जावे या ३ महीने की सजा दी जावे या एक साल की सजा दी जावे। सजा तो जुर्म की सीरयसनेस को देख कर दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कबूतर मारने और मोर मारने की स्थिति में बहुत फर्क है। कबूतर के लिये कम सजा कर दी जावे इसकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ऑफ लॉ जिसका जैसा जुर्म समझेगी वैसी सजा देगी, इसलिये इसमें उनको किसी प्रकार का भय और सन्देह नहीं होना चाहिये। इसलिये जो एमेन्डमेंट है उसको स्वीकार फरमा लिया जावे।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय सभापति, वैसे जो बिल टोंक से आने वाले साथी ने रखा है उसके बारे में सदन में दो राय नहीं हो सकती कि कबूतर मारने पर मुमानियत होनी चाहिये। मगर मैं यह कहूँगा कि एक सुझाव अगर वह एमेन्डमेन्ट के रूप में मंजूर कर लिया जावे तो बहुत बहतर है। एमेन्डमेन्ट समय में नहीं होने से नहीं लिया जावे, मगर मैं यह कहूँगा कि कबूतर जो बी. एस. सी. में बाइलोजी पढ़ते या पढ़ाया करते हैं उन लोगों के लिये कबूतर डिसेक्शन में काम आते हैं।

और मेरा खयाल है कि जहां बी. एस. सी और एम. एस. सी की फरदर स्टडीज़ में जाने वाले विद्यार्थी हैं ऐसी जहां जहां संस्थायें हैं वहाँ पर कबूतरों का डिसेक्शन होता है। कालेजों और ऐसी संस्थाओं के अन्दर जो बी. एस. सी. जिओलोजी के स्टूडेन्ट्स हैं, मैं भी बी. एस. सी का स्टूडेन्ड रहा हूं मुझे भी चालीस पचास कबूतरों को डिससेक्ट करने का अवसर मिला है बर्ड्स के अन्दर एक स्पेसीज़ कबूतर को भी माना गया है जिसका डिससेक्शन कालेजों के अन्दर हर रोज होता है अगर आपका बिल इसी तरह से पास हो जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि कालेजों के अन्दर डिससेक्शन बन्द कर दिया जावे। इससे कालेजों में इस प्रकार की स्टड़ी करने वालों को नुकसान होगा। कालेजों में क्या होता है कि ठेका दे दिया जाता है कबूतर को पकड़ लाते हैं और वे कालेज में बेच देते हैं और उन कबूतरों को क्लोरोफार्म सूंघाकर वह लड़कों में बांट दिये जाते हैं। इस तरह एक प्रकार से उनका डिससेक्शन होता हैं। मेरा अदब से यह निवेदन है कि जिन साथी ने यह बिल रखा है वे इस बात का एक्जेम्प्शन रखें कि साइन्टिफिक और एज्यूकेशन परपज के लिए यह एक्जेम्प्शन होगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो विज्ञान की, साइन्स की प्रगति रुक जायगी।

दूसरी बात यह है कि कहीं कहीं मेडीशनल परपज के लिये भी इसका उपयोग होता है कई पक्षियों का और पशुओं का उसके लिए भी एक्जेम्पशन होना चाहिये। इस एक्जेम्प्शन के लिये यह एड कर दिया जाय "except for scientific studies and medicinal purposes."

[श्री मथुरादास माथुर]

मैं समझता हूँ इस प्रकार की तरमीम एड कर दी जायगी तो मुनासिब होगा। बाकी जो मारते हैं खाने के लिये वह बन्द होना चाहिये। मैं यह आशा करता हूं कि यदि माननीय सदस्य इस एक्सेप्शन को स्वीकार करेंगे और मेरे सुझाव को स्वीकर करेंगे, तो बहुत बेहतर होगा।

श्री देवीसिंह—माननीय चेयरमेन, मैंने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है उसी पाइन्ट पर श्री मथुरादासजी माथुर बोल चुके हैं, इसलिये मैं समझता हूं इस विषय पर ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। इस लिये मैं अपना अमेन्डमेन्ट हाउस के सामने पेश करता हूँ। मुझे आशा है मूवर आफ दी बिल इसको अवश्य मन्जूर करेंगे। मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :

"A proviso to be added after clause 2—

Provided that except when prescribed by a competant physician in the case of a paralysis patient or other disease and when used for experimental purpose by medical and other science Colleges."

यह इसमें और एड कर दिया जाय, बाकी जो कुछ है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मोटाराम—माननीय चेयरमेन, जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कबूतर ऐसा भोला और पवित्र जानवर है जिसे वास्तव में नहीं मारना चाहिये। गांवों में कबूतर और गाय दोनों को बराबर मानते हैं। हमारे गांवों के अन्दर किसान जो हैं वे प्रभात में हमेशा कबूतर को दाने डालते हैं, दाने डाले बिना कोई काम नहीं करते। यह बहुत पवित्र और भोला जानवर है इससे किसी प्रकार का खतरा नहीं है, यह न खेत को नुकसान करता है और न किसी का नुकसान ही करता है, ऐसे भोले जानवर को नहीं मारना चाहिये। गांवों के अन्दर अगर कोई लकवे का बीमार होता है, उस बीमारी में कबूतर के पंखों की हवा १५–२० रोज ले लेता है तो उसकी लकवे की बीमारी दूर हो जाती है। यह बड़ा गरीब जानवर है इसलिये इसको नहीं मारना चाहिये इस पर रोकथाम लगानी चाहिये। इसकी रोकथाम के लिये कड़े से कड़ा कानून लागू करना चाहिये।

श्री भैंरूसिंह (१६)—यह विधेयक जो प्रस्तुत हुआ है उसके Statement of objects and reasons में आगे चलकर यह लिखा है कि :

"But still innocent bird like pigeon is being brutally killed in many parts of Rajasthan by some people."

और आगे लिखा है माननीय चेयरमेन, कि :

"Majority of our masses regard the pigeon as a religious bird."

और जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि माननीय सदस्य ने, जिन्होंने यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया

[श्री भैंरु सिंह]

है, कबूतर की रक्षा करने के लिये, उसमें उनका दृष्टिकोण यह अवश्य है कि कबूतर को भारत में अधिकांश लोग धार्मिक महत्व का समझते हैं और कबूतर को मारने से किसी के धर्म में एक प्रकार का आघात होता है तो उस आघात से बचाने के लिये यह विधेयक हमारे सामने विचाराधीन है।

यदि हम यह मानकर चलते हैं कि जिस प्रकार की भावना इस बिल को प्रस्तुत करने के समय थी, जबकि प्रस्तुत करने के बाद इस सदन के माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, यदि इसको महत्वपूर्ण समझ कर हम इसको पास करना चाहते हैं तो जितने भी संशोधन आये हैं वे बिलकुल निरर्थक हैं! एक तरफ है धर्म और एक तरफ है हमारा एक्सपेरीमेंट। यदि हम धार्मिक चीज बनाते हैं और उनको केवल एक्सपरीमेंट के लिये कबूतर को मारना पड़ेगा, जितने भी हमारे डाक्टर्स हैं, एक्सपरीमेंट करते हैं, लोगों को साइन्स की ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को नोलेज के विषय में जानवरों में जो विशेषताएं होती हैं उनके विषय में और भी जो टेकनिक है उनके विषय में कबूतर को मारने की छूट दिलवाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ ज्ञान का प्रोवीजन दोनों कन्ट्राडिक्टरी हैं। माननीय सदस्य इसे स्वीकार करेंगे या नहीं यह उनकी मरजी की बात है पर जो उद्देश्य रक्खा है, मैं स्पष्ट बताऊं कि यह संशोधन का प्रोवीजन अगर स्वीकार कर लिया तो मूल भावना को आघात पहुँचेगा, यह मूल भावना के खिलाफ होगा। आज कोई कह नहीं सकता कि यह मारने की चीज नहीं। हम जो आवश्यक एक्सपेरीमेंट करना चाहते हैं उसके लिये कल वे कहेंगे कि कबूतर नहीं, हमें तो मोर का एक्सपेरीमेंट करवाना है, आगे जाकर कह देंगे कि बैल पर भी एक्सपेरीमेंट करना है-इसलिये उसके लिए भी मारने का ऐसा प्रोवीजन किया जाय, सांड़ को मार कर एक्सपरीमेंट करना है यह भी कह दिया जावेगा और वह डाक्टर भी कह देगा। वह डाक्टर जिनको ऐसी ही ट्रेनिंग दी गई है वह भी कह देगा, आपका अच्छा से अच्छा टेकनिशयन भी कह देगा कि गाय को मार कर जिस नेचर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं वह दूसरे से नहीं कर सकते इसलिये उसके लिये भी प्रोवीज़न रक्खा जावे। आगे जाकर आप सांड और बैल मांगेंगे। तो या तो आप कह दें कि ये धार्मिक चीजें नहीं हैं ये उपयोगी चीजें हैं, डेमोस्टिक उपयोग की चीजें हैं। पर इसके साथ साथ हमने इसे धर्म के तत्व के रूप में मान कर हमने रक्षा करने का बीड़ा उटाया है, तो जहां हम धर्म की रक्षा करना चाहते हैं वहां एक्सपेरीमेंट की परवाह नहीं करनी होगी और मैं यह बताऊं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे अधिकांश डाक्टरों ने विदेशों में जाकर ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में वहां के कालेजों में जाकर ज्ञान प्राप्त किया है उनके सामने गाय का, कबूतर का, मोर का या बैल और सांड का क्या महत्व है यह चीज उनको नहीं बताई गई। पर यहां भी अंग्रेजों की एक चाल थी। लोगों के मस्तिष्क में भारतीयता के खिलाफ, यहां की संस्कृति के खिलाफ, यहां की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ नास्तिक तैयार करने के उद्देश्य से इन्हीं चीजों को खासतौर से उन्होंने एक्सपेरीमेन्ट के लिये रक्खा। नहीं तो कोई कारण नहीं कि इस

[श्री भैरुंसिंह]

दूसरे भी जानवर हैं, जिनके बारे में कोई धार्मिक भावना का सवाल नहीं, और जिनको मारकर भी इसी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं। पर जानबूझ कर उन अंग्रेजों ने इस प्रकार की ट्रेनिंग दी है जिनके दिमाग में धार्मिक नाम की, भारतीयता नाम की कोई वस्तु बाकी नहीं रहे। वे शिक्षा लेने इगलैंड अमेरिका चले गये और उनको ट्रेनिंग ही खास तौर से इसी बात की दी जाती है कि जिन लोगों को भारतीयता की प्रेरणा मिल सकती है इस प्रकार की ट्रेनिंग के द्वारा उस भावना को ही नष्ट कर दिया जावे। वे वहां से भारतीय भावना, धार्मिक भावना नष्ट करने की ट्रेनिंग लेकर आते हैं और यहां कहते हैं कि कबूतर की चीरफाड़ के बिना हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मैं कहता हूं आज कबूतर पर ऐसा प्रोविजन लेकर आये हैं वे लोग तो कल यह अमेन्डमेंट लेकर आवेंगे कि साइन्टिस्ट की राय है कि गाय और सांड को मारने से एक विशेष प्रकार का ज्ञान मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये दो प्रकार की बातें समझ में नहीं आई। अगर धार्मिक बात हमने मान ली तो फिर किसी भी स्थिति में उनके मारे जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। इसलिए ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा कि यदि इस प्रकार का प्रोविज़ो जो संशोधन के रूप में हमारे सामने आया है स्वीकार कर लिया गया तो फिर इस बिल को पास करने की जरूरत ही नहीं और निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को कभी स्वीकार नहीं किया जावे।

मैं तो निवेदन करता हूं कि हम अच्छी तरह से सोच लें, इस बात को। हम एक निश्चय पर पहुंच जावें कि ये ये चिड़ियां और ये जानवर धार्मिक सम्बन्ध रखते हैं और जब इस निश्चय पर पहुंच जावें तो धार्मिक विश्वास को जागृत करने वाले, धार्मिक तत्व को जागृत करने वाले हैं, उनको कोई कहीं नहीं मार सकता, कॉलेज में भी नहीं मार सकते। कोई साइन्टिस्ट भी उन पर एक्सपेरीमेंट के लिए मारने का दावा नहीं कर सकता। कोई उन पर आघात नहीं कर सकता। किसी को किसी तरह की छूट इस मामले में नहीं दी जा सकती। इन पर कोई एक्सपेरीमेन्ट नहीं कर सकते।

यदि कोई यह कहे कि कबूतर से हमारी धार्मिक सेन्टीमेन्ट का क्या सम्बन्ध है तो मैं कहूँगा कि वह कानून में जिन चिड़ियों को, मोर आदि को धार्मिक भावना के एकमात्र कारण से ही इसमें शामिल किया गया है और धार्मिक सेन्टीमेन्ट का इससे सम्बन्ध है उसी तरह से इसका भी धार्मिक सेन्टीमेन्ट से सम्बन्ध है। और जब इसको भी इसमें शामिल करने का संशोधन लाया गया है तो हमें यह मानकर चलना चाहिये कि हमारी धार्मिक भावनाओं का इससे पूर्णतया सम्बन्ध है। इसलिए निवेदन करूंगा कि जिसका हमारे धर्म से सम्बन्ध है, और इस प्रकार से यह कहना चाहिये कि जिसको मारना पाप है, तो उसमें फिर कॉलेज के लड़के हों, साइन्टिस्ट हों, कोई हो उनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। उनकी यह दलील कि उन पर ही एक्सपेरीमेंट करने से कोई सही ज्ञान हासिल होता हो, निरर्थक है। इसलिये निवेदन करूंगा कि कबूतर को एक्सपेरीमेन्ट के लिये खुला रखने की भावना का जो संशोधन है वह किसी हालत में स्वीकार न किया जाय। इनकी किसी प्रकार की हिंसा को किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर—देवीसिंहजी ने जो अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है वह जरूर विचारणीय है पर जो भाषा का रूप है उसमें जरूर थोड़ा परिवर्तन करना जरूरी है। आपने बताया

[श्री सोहनलाल भटनागर]

कि मेडीकल परपज़ के लिए इसकी हिंसा की जा सकती है। पेरेलाइसिस की बीमारी के लिए और अन्य काम के लिये आ सकता है, दूसरे काम के लिए नहीं। मेरा निवेदन यह है कि यदि एक आदमी मार कर लावेगा तो कहेगा कि यह तो मैं मेडिकल परपज़ के लिए लाया हूँ और रिलीफ की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। इसलिए यह भी इसमें इनसर्ट होना चाहिये कि मेडीकल सरटीफिकेट इसके लिए प्राप्त करने पर ही इसे मारा जा सकता है।

दूसरा निवेदन करना मेरा यह है कि दांता रामगढ के माननीय सदस्य ने जो यह कहा है कि किसी भी कारण से मारने की परमिट नहीं दी जानी चाहिये। पर राष्ट्र पर आपत्ति आती है तो किसी का बलिदान हिंसा में नहीं गिना जा सकता। राष्ट्र के लिये धर्म भी स्वीकृति देता है। यह राष्ट्र का बहुत बड़ा कार्य है, साइन्टिफिक परपज़ है जिससे कई जानें बचाई जा सकती हैं जिससे देश को और समाज को काफी लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में कबूतर की अगर हिंसा की अनुमति दी जाय तो राष्ट्र का एक बहुत बड़ा लाभ होता है और फिर कबूतरों को कोई कमी आती नहीं, हजारों लाखों की संख्या में पैदा होते हैं। इसलिये देवीसिंहजी ने जो प्रस्ताव रक्खा है वह ठीक है, भाषा को ठीक कर लिया जावे।

श्री श्रीदास गोयल—श्री माथुर ने जो सुझाव दिया उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि वैसे ही प्राइवेट बिलों के लिये समय हमारे यहां कम दिया जाता है जबकि दिल्ली में पार्लियामेन्ट में हरेक फ्राइडे का दिन मिल जाता है और उसमें सबको अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर मिल जाता है। तो हमें यहां भी कुछ अधिक सुविधायें इस बारे में मिलें तो अधिक अच्छा हो।

अब यह साधारण बात थी कि इसमें शामिल करना था पीज़न को। इस वक्त सिद्धान्त में कोई मतभेद नहीं आया। जैसे और पशुओं के लिये एक्सेप्शन नहीं रक्खा गया उसी तरह से इसके लिये भी नहीं रक्खा जाना चाहिये। कहते हैं लेबोरेटरीज़ की जरूरत के लिये यह एक्सेप्शन कर दिया जावे। इस गरीब कबूतर की जाति ही गरीब है। उसका जिकर आया तो इधर उधर से हर तरह के अमेन्डमेन्ट आने लगे और विचारधारायें आने लगीं। वास्तव में पशुको पशु माना जा रहा है और उसे दया की दृष्टि से देखा जारहा है। इसके पीछे हमारी वे भावनायें हैं जिनमें हमें जिसने पैदा किया है उन्होंने उसको भी पैदा किया और उनके प्रति भी वही भावनायें हमें रखनी चाहिये जो हमारे प्रति हम रखते हैं, तो कोई कारण नहीं कि जिस तरह से मनुष्य के लिए एक्सपेरीमेन्ट करने के लिये न मनुष्य की हत्या नहीं करते, गाय, बैल और दूसरे वर्टिब्रेटेड बर्ड्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनको नहीं मारते और फिर भी वे जानकारी सबकी प्राप्त करते हैं तो इसकी भी वैसे ही की जा सकती है, इसको भी बिना मारे वे एक्सपेरीमेन्ट कर सकते हैं। अगर आप यह कहें कि इसको मारने से जानकारी सुविधा पूर्ण होती है तो मनुष्य की जानकारी भी सुविधापूर्वक करने के लिए फिर आप नरमेध यज्ञ करिये इससे डॉक्टरों का नया ज्ञान का मार्ग खुल जावेगा। तो इस प्रकार एक बहुत महत्वपूर्ण पीजियन शब्द को एड करने में बेकार की उलझन खड़ी करके गलती ही करते हैं इससे लाभ कुछ नहीं है। ऐसा फिर कोई अमेन्डमेन्ट भी नहीं है। अब कोई नये रूल बनावें तब बनावें। पर अभी तो प्राइवेट बिल के लिये

[श्री श्रीदास गोयल]

जो प्रोसीजर है उसी के अनुसार चलना चाहिये। एक मिनिट में एक तरह का अमेन्डमेन्ट आता है, दूसरे ही मिनिट दूसरे साहब उसमें कुछ नुक्स निकालते हैं और दूसरा अमेन्डमेन्ट देते हैं कि मेडीकल ग्राउन्ड पर सरटीफिकेट दे दिया जावे। तो ये सब परम्परा के विरुद्ध है। मैं निवेदन करूं कि ऐसा करना इसको घपले में डालने की चाल है। तो इन तमाम बातों के बाद मैं निवेदन करूं कि जो बिल लाया गया है वह वास्तव में मानवता की भावना से लाया गया है और इस सदन का उपकार ही किया है और इसी भावना को दूसरे मित्रों ने भी माना है, यहां तक कि हमारे सिंह शब्द को धारण करने वाले भी जो नॉन-वेजीटेरियन हैं उन्होंने भी पीजन शब्द को सम्मिलित करने का समर्थन किया है। पर दुख है कि कुछ मित्र व्यर्थ ही विपरीत चले गये, यह साधारण सा अमेन्डमेन्ट है। मेरा निवेदन है कि जो अमेन्डमेन्ट रक्खा गया है उसे वैसे ही रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चालू मान लिया जावे। यही मेरा अन्त में निवेदन है।

श्री घीसीसिंह—माननीय चेयरमेन, इस प्रस्ताव को जो धार्मिक रूप दिया जा रहा है मेरे ख्याल से धर्म चीज़ दूसरी है और व्यवहार दूसरी चीज़ है। धर्म का सम्बन्ध है परमार्थिक कार्यों से और आत्मा से। व्यवहार का सम्बन्ध है जिन चीजों से हमारा व्यवहार चलता है, जीवन चलता है, तो व्यवहार और धर्म में बड़ा भारी अन्तर है।

धर्म में हमारे यहां यम नियम को आधार बताया है। धर्म में हमारे यहां यम, नियम है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह आदि ये यम हैं। इनमें से अब हम कितनों का पालन करते हैं यह हमारे अपने पर विचार करता है। अगर हम इनमें से हम अपने ऊपर पालन नहीं कर सकते हैं और संसार में वह व्यवहार में अनियमितता पैदा करते हैं जिससे कि हमारे यहां विघ्न और बाधाएं उपस्थित हों तो धर्म नहीं होगा, वह बल्कि एक अधर्म भी खड़ा कर देगा। जिसमें बाधाएं पैदा होंगी वह अधर्म रूप से होगा। इसलिए हमें इन सारी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके धर्म के महत्व को समझने की आवश्यकता है कि धर्म का महत्व क्या है? शास्त्रों तक में धर्म का निरूपण किया है। मनुस्मृति जो कि हमारे यहां आदि से चली आ रही है उसमें धर्म का निरूपण किया है, लेकिन धर्म के पालन करने के लिए कोई भी कानून का बन्धन नहीं होना चाहिए। वह हर मनुष्यके हृदय से संबंध रखता है। उसके विचार और बुद्धि से संबंध रखता है। वह आत्मा से सम्बन्ध रखता है, वह किसी कानून से बन्धता नहीं है धर्म, बहुत सी बातें ऐसी हैं धर्म की जो कि हमें हमारे कानून का उल्लंघन करके भी पालन करना पड़ती हैं। जिस समय हमारे यहां परमहंस वृत्ति होती है उस समय यद्यपि नग्न रहना समाज के अन्दर बन्दिश है लेकिन धार्मिक पुरुष की जिस वक्त परमहंस की वृत्ति होती है जब कि उसको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है, उनकी वृत्ति बच्चों की सी मानी जाती है, तो उसके अन्दर कानून की पाबन्दी नहीं होती है। तो इस तरह से बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिन्हें कानूनी रूप देकर बहुत सी बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को धर्म के विषय में सदन को सोचना चाहिए। धर्म का तत्व ऐसा नहीं है कि कोई भी असेम्बली में खड़ा होकर उसकी विवेचना

[श्री धीसीसिंह]

कर दे। धर्म की विवेचना के लिए बड़े बड़े ऋषि, मुनि, और ज्ञानी भी थकित हो चुके हैं और आज धर्म की विवेचना इस सदन में करें और उस को ऐसा रूप दें कि जिससे हमारे समाज में विघ्न बाधाएं उपस्थित हों, मनमुटाव खड़े हों। भगवान की सृष्टि दो प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी और और दूसरी आसुरी। दैवी सृष्टि का कार्य दूसरा बतलाया है और आसुरी सृष्टि का कार्य दूसरा बतलाया है। दोनों तरह की सृष्टियां भगवान की रचना में चली आ रही हैं और चली जायगीं। तो आसुरी सृष्टि के लिए या दैवी सृष्टि में परिवर्तन करने के लिए कोई कानून को बन्दिश करें तो यह मेरे खयाल से कोई अच्छी बात नहीं होगी और न वह आसुरी सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए उन्हें धर्म का उपदेश करने की या उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए न तो मैं इस कानून का समर्थन कर सकता हूं और न विरोध करता हूँ। मैंने तो सदन के सामने अपने विचार रखे हैं। इस पर सदन विचार करे और विचार करके राय पास करे कि हमें यह पास करना है या नहीं करना है। इसमें सारी नीति को देखने की आवश्कता है।

श्री तेजमल बापना:—माननीय चेयरमेन, जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत है, जैसा कि मूल रूप में वह प्रस्तुत हुआ है, उसके समर्थन में दो शब्द कहना चाहता हूँ।

आज जो भावना इस बिल में प्रस्तुत करने की प्रस्तुत करने वाले महोदय की है उसको जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह है कि जो सार्वजनिक स्थानों पर, चलते राह पर को कबूतर की हिंसा कर लेते हैं। उसको रोकने का उनका खास प्रयोजन है, और जो अमेंडमेंट कुछ सज्जनों ने प्रस्तुत किया है कि साइन्टिफिक खोज के लिए, उसकी जानकारी करने के लिए या कुछ बीमारी के लिए कबूतर को मारने की छूट दी जानी चाहिए तो यह कोई ठीक उसका वजूत नहीं है कि जिसके ऊपर विचार किया जा सके। यह केवल विचारों का ही असर हो सकता है कि एक चीज को किस रूप में प्रस्तुत किया जाय। आज कितने ही पशु ऐसे हो सकते हैं, कितने ही प्राणी ऐसे हो सकते हैं, कि जिनमें कई तरह के बहाने लिये जा सकते हैं कि फलां काम के लिए यह आवश्यक चीज है। लेकिन जैसा कि कुछ मित्रों ने जाहिर किया है कि यह तो जो परम्परा चली आरही है वह परम्परा है और उसकी आवश्यकता किसी बात की होती है तो उसको मीट करने के लिए भी कई तरह की और दूसरी चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें मूल जो आधार है वह केवल धर्म भावनाओं का है। एक मोर को मारने, एक कबूतर को मारने या एक चींटी को मारने या किसी जीव विशेष को मारने में उसमें कोई सजा का कोई देना या कोई भावना का फर्क देना कोई महत्व नहीं रखता है। खास आधार एक दया का आधार है। उस प्राणी की हिंसा, उस जीव की हिंसा की धार्मिक भावनाओं से ओत प्रोत है। उसी को बचाने में यह जो एमेंडमेंट उस मूल बिल में रखा गया है, मैं उसी का समर्थन करता हूं।

दैवी और आसुरी के संबंध में मेरे पूर्व वक्ता ने बताया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आसुरी भावना तो केवल एक भावना पैदा होती है। मूल में जो सृष्टि का तत्व है वह दैवी

Page No 56

[श्री तेजमल बापना]

शक्ति पर आधारित है। जिस जिस मनुष्य के जिस व्यवहार में आ जाता है, जिस सृष्टि में वह चला जाता है, उसी प्रकार से उसका मानस बदलता रहता है। बाकी कोई भी धर्म ऐसा कहता हो कि आसुरी वृत्ति फलां चीज में जरूर चल सकती है। जीवन तो सादगी और सात्विकता से चलता है और वही हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया है। मैं विशेष समय नहीं लेते हुए बिल जो हमारे सम्मुख प्रस्तुत है उसके समर्थन में कहता हूँ और जो एमेंडमेंट रखा है उसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति [श्री रघुबीरसिंह]—प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सरटेन एनिमल्स [अमेन्डमेन्ट] बिल, १६५४ पर, जो श्री सोहनलालजी भटनागर ने एमेन्डमेन्ट रखा है,—

"That in clause 2 words 'and be deemed always to have been' be deleted."

इसको स्वीकार किया जाय।

[प्रस्ताव स्वीकृत]

जो एमेन्डमेंट श्री सोहनलाल जी भटनागर ने रखा है उसको इन्सर्ट किये जाने के लिए लिखा गया।

श्री देवीसिंह ने क्लॉज़ २ में एक प्रोवीज़न मूव किया है कि—

"Provided that except when prescribed by a competent physician in case of paralysis patient and other diseases, and when used for experimental purposes in medical and other scienrific colleges."

श्री देवीसिंहजी का जो प्रोविज़न है क्लॉज २ के लिए वह प्रोपरली वरड़ेड़ नहीं है तो मैं माननीय सदस्य से यह कहूँगा कि उसको जरा प्रोपर्ली वरड़ेड़ करके उसी तरह रखे तो वह लिया जा सकता है।

श्री श्रीदास गोयल— As it is रिजेक्ट समझा जाय।

श्री सभापति—प्रोपरली वर्डेड करके रख दें तो उसको लिया जा सकता है।

(विराम)

यह जो श्री देवीसिंहजी ने प्रोविजन रखा है मैं क्लॉज २ में उसको ठीक वर्ड्स में नहीं रखा है इसलिये उसको ठीक करके दें।

श्री देवीसिंह—आप दे दीजिए। उसको ठीक कर दूंगा या लीगल डिपार्टमेंट से करा लीजिये आप ठीक समझें तो।

(विराम)

श्री श्रीदास गोयल—माननीय चेयरमेन, यह जो अभी अमेन्डमेन्ट माननीय, श्री देवीसिंहजी ने रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभी तो उनका खुद का ही ख्याल बहुत साफ नहीं है और लेंग्वेज भी इस प्रकार की दी है जो स्वयम् इनकम्प्लीट है और एम्बीगुएस सी है। इसलिए ऐसी स्थिति में तो उसको स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर भी एक बात निवेदन कर दूं कि अगर माननीय सदस्य इसको लाना ही चाहते थे तो वह कम्पलीट होना चाहिये था और जिस मक्सद से उन्होंने यह प्रोविजन रखा है वह भी साफ होना चाहिये था। कोई भी व्यक्ति किसी डाक्टर का बहाना लेकर कबूतर को मार सकता है, और कह सकता है कि फलां डाक्टर के लिए ले जा रहा हूं और जब फंसने का सवाल आ जाता है तो हजारों डाक्टर हैं, लेबोरेटरी हैं, कहीं से भी कहला सकता है कि हमने मंगाया है। इससे तो इसको बचाने के एवज में और मारने का इन्करेजमेन्ट मिल जायगा। अगर इस तरह का अमेन्डमेन्ट लाना था तो उसमें कोई लीगल अधिकार होने चाहिये थे।

श्री भीमसिंह—On a point of order, Sir, can the Hon'ble member speak twice?

श्री श्रीदास गोयल—I am not speaking on the previous amendment, Sir. As it is a new amendment I can speak on this. It is not properly worded and the Chairman has all ready disallowed it. The amendment is not correct in the sense of grammer. Now this amendment cannot be taken and when there is no other amendment on the Bill, the House can pass the Bill moved by Shri Ram Ratan ji and this is the only alternative as no other amendment is in existence today.

श्री सभापति—श्री देवसिंह जी का जो अमेंडमेंट है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने उसको पहले मूव किया है। उन्हें मौका दिया जाय और जब तक वे ठीक तरह से वर्डेड करके यहां प्रस्तुत न कर दें तब तक इस बिल को स्थगित रखा जाय। वैसे इसको आज ही करना हैं।

श्री श्रीदासगोयल—फिर हम पन्द्रह मिनिट बैठे रहें। फिर स्थगित से क्या मतलब ?

श्री सभापति—१५ मिनिट के लिये दूसरा बिल ले लें।

(विराम)

[श्री सभापति]

अगर सदन की अनुमति है तो इसको स्थगित कर दिया जाय ।

(प्रस्ताव स्वीकृत)

'हां' पक्ष जीता । विचार विमर्श स्थगित किया जाता है ।

राजस्थान नग्न-उपस्थिति तथा प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयक, १९५५

(विचार-विमर्श स्थगित)

श्री भीमसिंह—Is to move Rajasthan Nude appearance and Exhibibion (prohibition) Bill, 1955.

श्री भीमसिंह—चेयरमेन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नग्न उपस्थिति तथा प्रदर्शन (प्रतिषेध) विधेयक, १९५५ को विचारार्थ लिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, (चेयरमेन महोदय) इसको विचारार्थ लिये जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं । इस बिल के बारे में, इसको इन्ट्रोड्यूस होने के बाद, कई प्रकार की चर्चायें, कई मित्रों ने मेरे से की और कई गलतफहमियां कई मित्रों को रहीं और कई प्रकार का भ्रम भी रहा । उस चीज को स्पष्ट करते हुए यह बिल शुरू में क्यों रखा है और अब विचारार्थ लिए जाने के लिये क्यों आग्रह कर रहा हूँ उसके बारे में कुछ शब्द निवेदन कर देना चाहता हूं । इस बिल को रखने के लिये इसलिए आवश्यकता महसूस की गई कि जिस वक्त किशनगढ़ के आम चुनाव हुये थे मुझे अरांई तहसील में काम करने को जाने का मौका पड़ा । उस गांव की धर्मशाला में जहां हमारा कैम्प लगा हुआ था उस स्थान पर वहां एक कुआ था और वहां बूढ़े बच्चे औरतें जवान सब पानी भरने के लिए गाँव के लोग आया करते हैं । वहां पर एक छः फीट की मूर्ती लगी हुई थी वह मूर्ति नग्न थी । मैंने वहां के लोगों से पूछा कि भाई यह मूर्ती आप गांव वालों ने क्यों रखी थी, क्या किसी देवता की मूर्ती है, क्या कोई प्रतिष्टित महानुभाव हुये थे जिसकी यह मूर्ती बनाई है, उस पर कोई नाम वगैरा था । उन्होंने कहा कि न तो यह मूर्ती किसी देवता की की है और न ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की । यादगार में या उसकी स्मृति के रूप में यह रखी हुई है, किन्तु गांव वालों ने इस मूर्ती को आमोद प्रमोद के लिये "नाथूलालजी" के नाम से रखी है और होली के दिनों में इसका प्रयोग किया जाता है । इसके अलावा बाकी साल भर में यह कोई खास महत्व नहीं रखती । मैं रोज यही देखता था कि इस मूर्ति के पास से सभी तरह की औरतें और बच्चे पास होते थे, मैं यह सोचता था कि वहां वाले यह महसूस नहीं करते कि बच्चों के हृदय

[श्री भीमसिंह]

पर इससे क्या संस्कार पड़ेंगे और औरतों पर क्या संस्कार पड़ेंगे और क्या वास्तव में वह मूर्ती गांव की शोभा बढ़ाती है या वहां के लोगों पर बुरा असर डालती है। मुझे गोढ़वाल की तरफ जाने का मौका मिला। रायपुर, जोजावर और उधर के पूरे इलाकों में एक दो बार जाने का मौका मिला। रायपुर के बीचों बीच ८ फुट बड़ी नग्न मूर्ति है, जोजावर में भी इसी प्रकार की मूर्ती मैंने देखी। बाद में मुझे मालूम हुआ कि गोढ़वाल के हर गांव के बीच में बाजार या चौपाल जैसे प्रमुख स्थान पर वही मूर्ती थी। मालूम करने हर मालूम हुआ कि वे मूर्तियां भी किसी देवता या प्रतिष्टत व्यक्ति की नहीं थीं। वह भी केवल आमोद प्रमोद के लिए रखी हुई थी। इनको लोग ईलोजी कहकर पुकारते थे। तो मैंने यह महसूस किया कि हम किस जमाने में से गुजर रहे हैं आज इनकी क्या जरूरत है? २०० वर्ष पहले जबकि आमोद प्रमोद के लिये लोगों के पास सिनेमा, थियेटर आदि नहीं थे उस समय शायद किसी आदमी ने किसी विचार धारा से इनकी रचना की होगी। लेकिन आज के युग में इनको रहने देना उचित नहीं है। साथ ही मुझे मालूम हुआ कि बाहर से जो फोरिनर्स आते हैं वे ज्योगरफीकैल सर्वे करते हैं या और देख भाल करने आते हैं वे इन मूर्तियों को देखते हैं तो कलर्ड रील्स लेते हैं और वहां जाकर उनको न्यूज पेपर्स में पब्लिकेशन देते हैं तो इन्डियन कल्चर के बारे में दूसरे देश वालों के दिमाग पर क्या रिफ्लेक्शन पड़ता होगा कि आजाद होने के बाद आज भी क्या इन्डिया का स्टेन्डर्ड इस तरह का है? वे लोग अपनी संस्कृति को दूसरी तरह से मिसरिप्रजेन्ट करते हैं।

इसके अलावा शहर में घूमते हुये मुझे इस प्रकार के व्यक्ति मिले जो पागल थे और नग्न थे। मैंने पास ही खड़े कॉस्टेबल से कहा कि ये पागल फिरते हैं, नग्न फिरते हैं तो इनको क्यों नहीं रोकते, तो उसने बताया कि इस तरह का कानून नहीं है, कोई धारा नहीं है, जिसके अन्तर्गत हम उनको हिरासत में रख सकें। कोई कानून नहीं है जिससे कि हम इनको मुलजिम ठहराकर हिरासत में लें। उन्होंने कहा कि कई साधू वगैरा भी इसी तरह से फिरते हैं।

इलाहाबाद में, मैं पढ़ता था उस वक्त कुम्भ के मेले के अवसर पर नागा साधुओं को मैंने नग्न फिरते देखा। ५,०००, ५,००० हजार नग्न साधू हाथियों पर बैठकर और पैदल कतार बांधकर निकलते हैं और धर्म की आड़ में इस तरह के नग्न साधु चाहे वे किसी भी धर्मावलम्बी हों, हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चे इनके जुलूस को देखते हैं। ये साधू हिन्दू संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं और इस मेले में जलूस निकाले जाते हैं। जब मैंने उनको देखा तो मुझे महसूस हुआ कि राजस्थान में तो कम से कम इस तरह का विधेयक लाया जाय जिसके जरिये संस्कृति पर रिफलेक्ट करने वाली बातों को या मोरेलिटी पर रिफ्लेक्ट करने वाली बातों को रोका जा सके।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल के पेश होने के बाद कुछ गलतफहमियां भी फैलाई गई हैं। उसके बारे में मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। यहां पर कई लोगों

Page No 60

[श्री भीमसिंह]

ने कहा कि इसको दूसरे तात्पर्य से लाया गया है और हमारे साथियों को गुमराह करने की कोशिश की गई। यह कहा गया कि धर्म विशेष, जैन धर्म, पर आघात करने के लिए लाया गया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी धर्म की खिलाफत करने की मेरी मंशा नहीं है। इसको रखने में मेरी मंशा जैन धर्म की खिलाफत से नहीं है और न यह जैन धर्म के खिलाफ पड़ता है। जैन मन्दिरों में जाने का मेरा काम पड़ा है वहां सारी मूर्तियें सिद्धासन में बैठी हुई मिलती हैं। जैसा मैंने मेरे बिल में डेफिनेशन में दिया है उसके बारे में एक शब्द अर्ज करदूं कि मैंने खास तौर से यह ध्यान रखा था कि किसी को भ्रम न हो कि किसी धर्म का खास विरोध करने के लिये रखा है। मैंने डेफिनेशन में नग्न या नग्नावस्था से तात्पर्य यह लिखा है कि जीवित मानव के प्रसंग में यह है कि वह इस प्रकार से नंगा हो कि जिससे उसकी प्रजननेंद्रिय (रिप्रोडक्टिव ऑर्गन) भली प्रकार दृष्टिगोचर होता हो। जो मूर्तियां सिद्धासन में बैठी हुई बनाई हैं उन मूर्तियों को किसी भी हालत में किसी भी एंगल से देखे तो तो उनकी प्रजननेंद्रीय नहीं दिखाई देती है। ऐसी हालत में वे एक्ट के खिलाफ हों ऐसी बात नहीं है। इस बारे में कुछ महानुभावों ने कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उन मूर्तियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है।

इसके अलावा कुछ साधुओं के बारे में चर्चा आई। यह कहा गया कि जिन्होंने संसार का परित्याग कर दिया है और जो बच्चों के समान अबोध हैं उनके बारे में किसी दूसरे तरह की विचार धारा रखते हैं तो कलुषित विचारधारा रखते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि साधुओं के नाम पर और धर्म के नाम पर हमारे यहां कई बातें हो चुकी हैं। इस तरह का उनको रूप देना अच्छा नहीं है। हमारे यहां पर मंदिरों में देवदासी के नाम पर महन्तों को लडकियें भेंट की जाती थीं और कहा जाता था कि महन्त महामहोपाध्याय ईश्वर का दूसरा रूप है। उनके लिये देवदासी बच्ची के समान है। इसकी आड़ मे क्या क्या अनाचार, भ्रष्टाचार फैले, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, यह भली प्रकार से विदित है। यह आवश्यक नहीं है कि हरेक साधु इसी स्तर का है या हरेक की मोरेलिटी ऊंची है। एक गृहस्थ भी साधू के समान हो सकता है और साधु के भेष में एक लोफर भी हो सकता है। उनको जज करने का कोई स्टेन्डर्ड नहीं है। एक साधु भगवे कपडे पहनकर निकलता है और लोग कहते हैं कि वह साधू है, लेकिन कौन कह सकता है कि साधू के वेश में भगवे कपड़े पहने हुए एक शैतान नहीं है और एक आदमी सफेद कपडे पहने हुए है, वह भी साधु के समान निकल सकता है और वह भी बहुत ऊंचा हो सकता है। साधुओं को, साधुभाव को पहचानना और यह कहना कि कौनसा साधू ऊँचे स्तर का है और कौन सा साधू नहीं है बल्कि शैतान है, यह आसान नहीं है। सबकी एक सी भावना हो यह मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूं।

दूसरा निवेदन यह है कि जिस साधू ने संसार त्याग दिया है तो उसके बाद में उनको शहर में और कस्बों में आने की क्या आवश्यकता है। साधूओं को सन्यास के बाद विचरण पहाड़ों, कंदराओं और नदी किनारों पर करना होता है, वहां बैठ कर उनको तपस्या करती होती है। जिनको

[श्री भीमसिंह]

उनसे सद्उपदेश लेने की आवश्यकता होती है या जिनको धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की आवश्यकता होती है वे खुद उन साधुओं के पास जाते हैं या वे उनकी तलाश करते हैं। ऐसे साधू होते हैं तभी पद प्रतिष्ठा मिलती है। शहरों और गांवों की गलियों में घूमने वाले साधू इस स्टेन्डर्ड के मिल सकते हैं यह मैं असंभव समझता हूं। जो ऊंचे स्टेन्डर्ड के साधू हैं वे स्वयं शहरों और गांवों में आना पसन्द नहीं करते। वे संसार के दल दल से निकल चुके हैं, जिसको बुरा समझ कर परित्याग कर दिया है और दूसरे मार्ग में लग गये हैं वे भला क्यों कीचड़ में आने लगे। यह दलील दी जाती है कि उनको शहर या गांव में थोड़े दिनों के लिये आना पड़ता है। यदि उन्होंने सारे वस्त्र त्याग दिये हैं तो देश भर में आम लोग तो इस स्टेन्डर्ड पर नहीं पहुँच गये हैं जो वस्त्रों का त्याग कर दें, इसलिये यदि वे वस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पत्तों का उपयोग करलें। यदि वे वस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकते तो पत्तों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ? इन सब धारणाओं से मैंने यह विधेयक रखा है। इसके बारे में यदि कोई महानुभाव और कुछ फरमावेंगे तो मैं उनको जवाब दूंगा।

तीसरी चीज यह है कि इस विधेयक में कुछ कमी रह गई है; इसमें बच्चों के बारे में भूल से रह गया है। यदि कोई बच्चा नग्न अवस्था में घूमता है तो उसका एक्सेप्शन रखना चाहिये था। यदि कोई महानुभाव इसके बारे में अमेन्डमेन्ट लायेंगे तो मैं उसे स्वीकार करने के लिये तत्पर रहूँगा।

कई होस्पिटल्स, मेडिकल कालेजेज़ वगैरा में डिमान्स्ट्रेशन देने के लिये नग्न स्केलटन और चित्र रखने पड़ते हैं, ये सारी चीजें मैंने डेफिनेशन में दे रखी हैं। मेडिकल कालेजेज़ आदि के लिये एक्सेप्शन कर दिया है। इसलिये कि इन चीजों का होना आवश्यक है, जहां तक चित्र, फ्रेम्स वगैरह का सम्बन्ध है मैंने रखा है।

हमारा कन्ट्री धीरे धीरे वेस्टरनाइज़ेशन की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका में ऐसे न्यूडिज्म के क्लब्स हैं, जो व्यभिचार के अड्डे बने हुए हैं। हमारे मुल्क के लोग भी अमेरिका वगैरह में वेस्टर्न कन्ट्रीज में जाते हैं और उनके सम्पर्क में आते हैं, जो ऐसे क्लब्स देखकर आये हैं तो यह सम्भव है कि हमारे यहां भी वे लोग कहें कि जब कि दूसरे देशों में न्युडिज़्म के क्लब्स खुले हुऐ हैं तो हमें भी हमारे यहां इस तरह के क्लब्स चलाने चाहिये। तो इन चीजों के लिये पहले से ही बन्दिश लग जाय तो इस चीज को यहां आने से रोका जा सकता है।

यही शब्द निवेदन करते हुए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो बिल मैंने विचारार्थ लिये जाने के लिये प्रस्तावित किया है उसे विचारार्थ लिया जावे।

श्री सभापति (श्री रघुवीरसिंह)—श्री श्रीमानसिंह।

श्री श्रीमानसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ आर्डर, सर, एक इसमें वैधानिक आपत्ति है। माननीय चेयरमेन, हमारे विधान में फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन की गारन्टी होती है। आर्टिस्ट न्यूड पेन्टिंग्स करें, न्यूड स्कल्पटर्स डिस्प्ले करें, यह वह सिंपल एन्ड प्योर माइन्ड से करता है। उसको इस बात की फ्रीडम ओफ एक्सप्रेशन है। इसका क्या असर आदमी के मोरल पर गिरता है। इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा, चेयरमेन महोदय, कि जब तक इस कान्स्टीयूशनल आपत्ति को दूर नहीं किया जाय, इस पर एडवोकेट जनरल की राय नहीं जान ली जाय, तब तक इस पर विचार न किया जाय।

श्री भीम सिंह—माननीय चेयरमेन, जो पाइन्ट ओफ ओर्डर मेरे माननीय सदस्य ने रेज किया है, उस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में दिया है कि उसमें कहीं किसी भी आर्टिस्ट का स्टुडियो नहीं आता। अगर घर में इस प्रकार का स्टुडियो, या इस प्रकार के चित्र पेन्टिंग्स कोई आर्टिस्ट लगाना चाहता है तो इस पर इस बिल से कोई बंदिश नहीं आती। इसलिये इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं आती।

श्री श्रीदास गोयल—जगन्नाथपुरी और अजन्ता की गुफाओं का क्या होगा?

एक माननीय सदस्य—यह बिल राजस्थान के लिये है और वे जगह राजस्थान के बाहर हैं।

श्री सभापति—श्री मानसिंह महार।

श्री श्रीमानसिंह—माननीय चेयरमेन, पहले मेरे पोइंट का निर्णय कर दिया जाय?

श्री सभापति—भीमसिंहजी ने कह दिया है वह प्राइवेट प्लेस में नहीं आता।

श्री श्रीमानसिंह—जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिस्ट को हैं अपने न्यूड पेन्टिंग्स को display करने का, he will be punished under this Bill. He has a right of expression to organise exhibitions of paintings etc. whether they are nude or not.

इसलिये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की गारन्टी विधान ने दे रखी है उसका इस बिल से कन्ट्रावेन्शन होता है।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—पहले मैं बोलूं माननीय चेयरमेन, या श्री मानसिंह बोलेंगे?

श्री सभापति—श्री मानसिंह बोलें।

श्री श्रीभान सिंह—लेकिन पहले मेरे कान्स्टीट्यूशनल पोइन्ट पर निर्णय हो जाना चाहिये।

श्री भीमसिंह— The right to freedom of religion, under Article 25, is subject to public order, morality and health.

अगर कोई चीज मोरेल्टी पर इफेक्ट करती हो तो वह डिसएलाउड की जा सकती है।

श्री श्रीभानसिंह—I am referring to freedom of expression, not freedom of religion.

मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कह रहा हूँ।

श्री श्रीदास गोयल—जहां तक पोइन्ट ऑफ आर्डर उठाया है वह साफ है। जिन शब्दों से माननीय सदस्य मदद लेना चाहते हैं इस बिल को रोकने के लिये, पेन्टर, आर्टिस्ट, बेहूदा चित्र, पेन्टस बनाता है और वह पेन्टर चाहता है कि उन चित्रों, पेन्टस और न्यूड पेन्टिंग्स वगैरह की प्रदर्शिनियां लगें तो आज क्या इस प्रकार की प्रदर्शिनियां ठीक होंगी? ऐसी प्रदर्शिनियों को रोकना चाहिये। पेन्टर वगैरह की आड़ में इस प्रकार की मदद लेना चाहते हैं उस पवित्र कान्स्टीट्यूशन की पवित्र, मनुपुराण की। वे माननीय सदस्य जरा वह धारा पढ़कर तो सुना दें, क्योंकि उन्होंने वह धारा पढ़ कर नहीं सुनाई, यों ही कोट कर दिया। वे पहले उस धारा को पढ़ कर सुनायें।

श्री श्रीभानसिंह—मेरे पास कान्स्टीट्यूशन की कापी नहीं है, जरा उधर से दे दीजिये मैं पढ़ कर सुना दूं। आर्ट गेलेरीज़ आपने विलायतों में देखी होंगी। यह कानून लागू करेंगे तो वर्ल्ड के ग्रेट आर्टिस्ट जिन्होंने वर्ल्ड में नाम कमाया है, उनको भी पनिश किया जा सकेगा।

श्री सभापति—अगर आप बुक्स का रेफेरेंस चाहें तो लाइब्रेरी से लेकर कर सकते हैं। पहले आप स्टेडी कर लें फिर रख सकते हैं।

श्री मानसिंह महार—माननीय चेयरमेन महोदय, राजस्थान नग्न उपस्थिति तथा प्रदर्शन प्रतिषेध विधेयक, १९५५ के समर्थन में मैं भी दो शब्द निवेदन करूंगा। माननीय चेयरमेन, सदन के समक्ष जिस उद्देश्यसे यह विधेयक प्रस्तुत किया गयाहै वह एक बहुतही उच्च उद्देश्य है। आज राजस्थान में हम अगर कहीं भी जाते हैं तो जैसा कि प्रस्तावक महोदय ने बताया कई गांवों में नग्न मूर्तियां वगैरह मिलती हैं, इन मूर्तियों का हमारी राजस्थान की लज्जाशील रमणियों पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। दूसरा यह है कि हमारे यहां के छोटे छोटे बच्चे इन मूर्तियों के नीचे से हो कर या पास हो कर निकलते हैं तो उनकी मोरेलिटी पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिये यह निश्चित बात है चेयरमेन महोदय, कि इस प्रकार की मूर्तियों पर·····

श्री श्रीमानसिंह—On a ponit of order,. Sir, Article 19 of the Constitution.........

श्री सभापति—You would please speak afterwards.

श्री श्रीमानसिंह—A constitutional point and a point of order has to have precedence.

"Fundamental Rights. 19.. (1) All citizens shall have the right to freedom of speech and expression...(g) to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business."

तो इस आर्टीकल के अन्दर में मेरा ओब्जेक्शन है और माननीय चेयरमेन, इस धारा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जैमिनी के डायरेक्टर एस.एस. वासन ने फिल्म प्रोड्यूस की थी। बोम्बे की गवर्नमेंट ने उस पर प्रतिबन्ध लगाया कि कानून के खिलाफ १५ रील्स की वह लम्बी फिल्म कैसे बनाई तो उन्होंने इस आर्टिकल में कहा कि मैं इतनी लम्बी फिल्म के बगैर अपने को एक्सप्रेसन नहीं कर सकता था। I can only express myself in 15 reels and nobody can prevent me from preparing a film of 15 reels.

आज मेरा यहां पर यह आर्ग्यूमेंट है कि एक आर्टिस्ट Venus भी है। यह बिल जो है वह इस राइट को कर्टेल करता है। यह कान्स्टीट्यूशनल पोइन्ट है और इसका निर्णय हो जाना चाहिये।। आर्टीकल १९ (१) को यह बिल वेल कवर नहीं करता।

श्री भीमसिंह—इसके जो आखिरी शब्द हैं उनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

"19 (2)—Nothing in sub-clause (a) of clause (1)..." This relates to "freedom of speech and expression". "shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law, in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause in the interests of the security of the State, friendly relations with foreign States, public order, decency or morality or in relation to..."

दो शब्द 'डिसेन्सी" एन्ड "मोरेलिटी" पर जोर देना चाहता हूँ और एक्सप्रेस करना चाहता हूँ:—

"in relation to contempt of court, defamation or incitement to an offence"

Page No 65

[श्री भीमसिंह]

डिसेन्सी और मोरेलिटी की हद को पूरा करती है। ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि मैंने जो कहा है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री श्रीदास गोयल—सभापति महोदय, अभी जो भीमसिंह जी ने कहा वह ए के संबंध में है। (जी) के बारे में।

"[g] to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business."

अब इसमें रेस्ट्रिक्शन क्यों रखा है? इस क्लॉज के सेक्शन ६ में है वह क्या है—

"[6] Nothing in sub-clause [g] of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes, or prevent the State from making any law imposing, in the interests of the general public, reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said sub-clause and in particular, nothing in the said sub-clause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to, or prevent the State from making any law relating to—

(i) the professional or technical qualifications necessary for practising any profession or carrying on any occupation, trade or business or......"

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो रेस्ट्रिक्शन (जी) पर रखा है वह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में लगाया जाता है और अगर ऐसा किया जाता है तो वाजिब है और वह रिजनएबल रेस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन में आता है। मैं यह कहूँगा कि माननीय मित्र ने जो कहा है और श्री भीमसिंह ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अपनी भावना प्रकट की है, उससे प्रतीत होता है कि इसका संबन्ध जहां तक जैन मन्दिरों और धार्मिक संस्थाओं से है, इस कानून के द्वारा किसी प्रकार की उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की भावना हो। इसी तरह से पद्मासन पर जो मूर्तियें विराजमान हैं उनको छोड़ कर दूसरी खड़ी मूर्तियां भी हैं, उनके लिये भी वे स्वयं संभवतः लावेंगे क्योंकि कहीं कहीं खड़ी हुई मूर्तियें भी हैं। इसलिये रिलिजियस भावना का जो प्रतीक है उनको एक्सक्ल्यूड करना चाहिये, इसमें बिल्कुल साफ है। जहां पर इस प्रकार का नग्न चित्रों द्वारा प्रदर्शन होने लगे और जिससे एक्साइटमेन्ट पैदा हो तो उसको संविधान में रीजनेबल रेस्ट्रक्शन रखा गया है। यह नहीं हो सकता कि किसी भी प्रकार का कोई धंधा करें और चलावें तो कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं और कोई भी नग्न प्रदर्शन करें तो उस पर कोई रोक नहीं हो। इसलिए यदि इस कानून के द्वारा इस पर रुकावट डाली जावे तो उसका हमें स्वागत करना चाहिये और इससे संविधान की

किसी तरह से अवहेलना नहीं होती। मगर यह बिल वास्तव में धार्मिक भावनाओं को एक्सक्यूड करेगा या नहीं, इसलिये अगर भीमसिंहजी, इस समय हाउस का कीमती वक्त जाया न करें इसको अभी पोस्टपोन कर दिया जावे और जब इस पर वे विचार कर लें तो इसको फिर ले लिया जावे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री भीमसिंह—जब क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होगा उस समय यह सब तय हो जावेगा।

श्री भैंरू सिंह—(१६) इस पर माननीय सभापति मेरी आपत्ति है। हमें अपने विधान के द्वारा अधिकार मिला है कि चाहे हम किसी भी धर्म के मानने वाले हों अपने धर्म का प्रचार अपनी मर्जी से करते रहें। विधान के आर्टिकल २५ में लिखा है कि "Right to Freedon of Religion."

25. (1) Subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practise and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law—

(a) regulating or restricting any economic, financial, pollitical or other secular activity which may be associated with religions practice;

(b) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus.

माननीय सभापति, यहां हमारे समक्ष दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि जो हम डिटेल सदन में प्रस्तुत करते हैं, वे धर्म में आघात नहीं करते हैं और अगर यह सोच कर चलें कि धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते तो भी कई कानून बना सकते हैं। जहां तक नग्न मूर्तियों का प्रश्न है वह दूसरी बात है। प्रचार के लिये ऐसी मूर्तियें निकालें और धर्म में दर्शन के लिये ऐसी मूर्तियें हों इसमें भावना में बहुत अन्तर होता है। भावना देखते हुए हम यह कहें कि यह कितनी सुन्दर या सुन्दर नहीं है और इसका हाथ कैसा है, इसका मुंह कैसा है, शरीर सुडोल है या नहीं, यह अलग चीज है और दूसरी तरफ यह प्रेरणा हो कि यह आदमी जो नग्न है, इससे क्या प्रेरणा मिलती है और किस प्रकार की प्रेरणा लेने की इच्छा है। जहां एक व्यक्ति नग्न होकर वृद्धा अवस्था में जाकर सारे मोह को छोड कर आता है उसमें एक प्रकार की शक्ति और आत्मबल होता है जिससे वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके विशेष धर्म की ओर ले जाता है। हमारे महावीर स्वामी जो इस धर्म के चलाने वाले थे उनका एक ही दृष्टिकोण था और वह यह था कि मनुष्य मात्र संसार की सारी लीलाओं से छुटकारा लेकर संसार को ठीक मार्ग पर ले जाने की चेष्टा करे। मकान में आराम से

[श्री भैरु'सिंह]

बैठना, गहने और कपड़े पहनना, अच्छा खाना और संसार के जितने भी पदार्थ शरीर को सुशोभित करने वाले हैं उनको परित्याग करके लोगों को धार्मिक शिक्षा दें, इस सिद्धान्त को लेकर आगे बढ़ते रहे। उन लोगों की आपको नग्न मूर्तियें जगह जगह मिलेंगी। मुझे इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा २०-३० से ज्यादा नही होगी। उन २० या ३० लोगों के लिये यह कहना कि इस तरह से नहीं रह सकते और नहीं रहना चाहिये, इसके लिये कानून बनाया जाना मैं समझता हूं कि यह उनके धर्म पर आघात किया जा रहा है और इस प्रकार से धर्म पर आघात किया जाना विधान सभा के लिये शोभा की बात नहीं। मुझ को इस बात का अफसोस है कि बकरे काटने बन्द करने का प्रस्ताव आया, उसका यह प्रतिशोध है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो लोग रामराज्य परिषद के नारे लगाते हैं और कहते हैं कि गौ-हत्या बन्द हो, धर्म की जय हो, वही आज धर्म में हस्ताक्षेप करने वाले कानून प्रस्तुत करने की बात करते हैं और कानू प्रस्तुत करते हैं।

श्री मानसिंह महार—क्या कोई भाषण हो रहा है या एडमिसिबिलिटी पर बात हो रही है ?

श्री भैरु'सिंह—(१६) यह जैनियों के धर्म में है और इसको हमें रोकना नहीं चाहिये। पहले यह धर्म है या नहीं इस पर विचार किया जावे और बाद में इस पर देखा जावे। मैं यह कहूंगा कि जैनियों मैं यह धर्म है। कई जगह मन्दिरों में नग्न मूर्तियें होती हैं। हिन्दुओं के मन्दिरों में नग्न मूर्तियें होती हैं। शिवजी और पारवती के चित्र हम देखते हैं। वह लिंग और योनी का सम्मिलन है, क्या हम उसको फेंक दें ? इसके लिये मैं यह कहूंगा कि शिवजी का मेला भी कई जगह भरता है और लाखों आदमी पूजा करते हैं। आपसे मैं यह कहूंगा कि इस तरह से यह धर्म पर आक्षेप होगा। इस पर किसी प्रकार का विचार होने से पहले कोन्सटीट्युशनल पोइन्ट को तय करना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें एडवोकेट जनरल की राय ली जावे तो ज्यादा उचित होगा और उसके बाद में इसको विचारार्थ लिया जावे।

(श्री मानसिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री भैरु'सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, पहले जो मैंने कोन्स्टीटयूशनल पोइन्ट रेज किया है उस पर निर्णय हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष (१६)—यह कोन्स्टीटयूशनल इश्यू दर असल है इस पर विचार होना चाहिये कि एडमिशन होने लायक है या नहीं ? इस पर माननीय सदस्य प्रकाश डालेंगे कि यह धर्मपर आक्षेप है या नहीं, अगर है तो यह एडमिट नहीं हो सकता। यदि पहले यह तय हो जाय कि यह एडमिट हो सकता है या नहीं, उसके बाद प्रीन्सिपल्स पर बहस हो जैसा कि पहले बिल पर हुआ था वही लाइन रखी जाय।

श्री श्रीमानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, पहले मैंने कोन्स्टीटयूशनल पोइन्ट रेज किया था। पहला तो मेरा यह ओब्जेक्शन था कि यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नहीं, यह कान्स्टीटयूशन की आर्टिकल १९ को वाइलोट करते हैं या नहीं ?

श्री श्रीदास गोयल—उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कोन्स्टीटयूशन की धारा १९ और २५ का प्रश्न है, जैसा कि दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा फरमाया उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि धार्मिक कृत्यों, धार्मिकविचारों, धार्मिकप्रणालियों, और धार्मिक संस्थाओं पर आघात पहूंचाने वाला अगर कोई कानून आता है तो हमारा कोन्स्टीटयूशन उसे बरदाश्त नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में जिन मन्दिरों में, खास कर दिगम्बर जैन मन्दिरों में, जहां एक पर्टिक्यूलर प्रणाली होती है अपनी भावनाओं को ज्यादा तंग बनाने के वास्ते उनके लिये इस प्रकार के कोई बिल आते हैं तो हमें उनको अलट्रावायर्स करार देना चाहिये कोन्स्टी टयूशन की धारा २५ के मातहत। मेरी यह निश्चित धारणा है कि धारा२५ के जो वर्ड्स हैं जैसा कि दांता रामगढ से आनेवाले माननीय मित्र ने कहा, वास्तव में यह एक धर्म के मानने वालों पर आघात होगा इसलिये हमें इस प्रकार के बिल का विरोध करना चाहिये। मैं भी यही समझता हूं कि मौजूदा हालत में जो बिल है वह कम्पलीट नहीं है इसमें धर्मिक स्थान भी शामिल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में इसे अस्वीकार किया जाना चाहिये। जैसा कि हमारे मित्र श्री मानसिंह जी ने कहा और उनका कहना मान लिया जाता है। लोग बाजारों में अमूमन दस्तकारी के नाम पर नगें फिरते हुए नजर आयेगें, इससे मनुष्यों के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी हालत में यहां धारा १९ एप्लाई नहीं होती, धारा २५ एप्लाई होती है।

श्री मानसिंह महार— उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोला नहीं हूं। तीन बार बोलने के लिये खडा हुआ किन्तु तीनों बार मुझे बोलने से रोक दिया गया....

(श्री गुलाबचन्द कासलीवाल के भी बोलने के लिये खडे होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—श्री मानसिंह का नाम तो लिखा हुआ है बोलने वालो में, आपको दुबारा बोलने के लिये इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री मानसिंह महार— उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब सिर्फ इसी इश्यू पर बोलूंगा जो अभी रेज हुआ है। यह लीगली एडीमिसिबल है या नहीं, इसी पर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—इसकी एडमिसिबिलिटी के आब्जेक्शन पर मैंने निर्णय दे दिया है। इसकी एडमिसिबिलिटी पर मेरा यह रूलिंग है कि इस पर पहले हाउस विचार करे, फिर उसके बाद तय किया जायगा।

श्री मानसिंह महारः— मैं सिर्फ एडमिसिबिलिटी पर ही बोलूंगा।

श्री भीमसिंह— उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में आपका ध्यान उस रुलिंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो माननीय अध्यक्ष ने एनिमल एन्ड बर्ड्स सेक्रीफाइज बिल पर दिया था।

[श्री भीमसिंह]

इसके बारे में भी वही रुलिंग लागू होनी चाहिये। एक दफा एक रुलिंग हो जाय दूसरी दफा दूसरी यह अच्छा नहीं होगा। उस वक्त भी बहस करके यह रूलिंग दिया गया था कि यह बिल एडमिट किया जाता है। इसमें भी उसी प्रकार के पोइन्ट रेज़ होंगे, उसी बहस को फिर सुनना होगा।

श्री श्रीदास गोयल—वह रूलिंग क्या थी, उसके शब्द क्या थे? जब तक आप पूरी तरह से यह नहीं बताते तो हम कैसे मान लें कि कोई रुलिंग दरअसल दी गई या नहीं। आप बताइये कि वह रूलिंग फलां तारीख की थी और इस प्रकार थी तो माना भी जा सकता है।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल की एडमिसिबिलिटी पर ही बोलूंगा कि यह बिल वैध है या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष जो कानून पेश हुआ है उस पर मेरे कुछ मित्रों को यह आपत्ति है कि यह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल के सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का एम है वह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम इस बिल द्वारा किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। इस बिल के द्वारा हम यह चाहते हैं कि हम नग्न आदमियों को और नग्न मूर्तियों का प्रदर्शन सरेआम करना नहीं चाहते। उसके लिये अगर कहा जाय कि किसी धर्म विशेष के ऊपर आघात है, इस बात को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह मेरी निश्चित धारणा है कि इस प्रकार की गलतफहमी जो फैलाई जाती है वह निराधार और निर्मूल है।

अभी दांता रामगढ से आये हुए माननीय सदस्य ने बडे जोरदार शब्दों में सदन को भ्रम में डालने के लिये यह कह दिया कि इस कानून के तहत शिव और पार्वती की मूर्तियां मन्दिर से निकाल कर फेंक दी जायंगी। मैं उनकी सूझ बूझ का कायल हूं। मैं मानता हूँ कि उन्होंने यह बात सदन को आकर्षित करने के लिये बडी जोरदार रखी। उन्होंने यह कहा कि रामराज्य वाले और हिन्दू महासभा वाले धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं, वे भी आज इस प्रकार की बातें कहते हैं। यह भी मैं मानता हूँ आज धर्म के अगर कोई सच्चे पुजारी हैं तो वह अभी हमने थोडी देर पहले देखा था, वे केवल जनसंघी हैं और तो सब जो यहां बैठे हैं वे धर्म ढोंगी हैं उनके कहने से। मैं जानता हूँ कि उनकी धर्म में कितनी श्रद्धा है। एक ओर जब ऐसा कोई बिल आता है तो उसके विरोध में बोलने के लिये खड़े हो जायेंगे दूसरी ओर जब बोला डकारने का मौका आता है तो डेढ सेर पक्का मांस जमाने वक्त पीछे नहीं रहेंगे और वे ही महाशय इस प्रकार की बातें सदन के अन्दर भ्रम पैदा करने की करते हैं, हम इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे भ्रम की बातें कहकर आपको शायद उभाडा जा रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनके भ्रम में न बहियेगा, आप उनकी इस प्रकार की बातों से किसी प्रकार भी घबरायें नहीं। अगर इस बिल में किसी के धर्म पर आक्षेप होता हो तो हम उनके साथ बैठकर जब इसका क्लाज बाई क्लाज डिसकशन होगा वैसा हेर-फेर कर सकते हैं। हमारी भावना इस बिल से किसी के धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचाने की नहीं है। हम कभी अनअकोमोडेटिंग नहीं कि किसी भाई के धार्मिक विचारों को आघात पहुंचायें और उसके बारे में डिवीजन क्लेम करें और जबरदस्ती इस प्रकार की बातें करें।

[श्री मानसिंह महार]

उन्होंने तो उपाध्यक्ष महोदय, दांता रामगढ से आने वाले सदस्य ने तो यहां तक फरमा दिया कि यह बिल तो महज श्री गोपीलालजी ने जो पशुबलि का बिल रखा है, उसको एक काउन्टर के तौर पर सदन में प्रस्तुत किया है। अगर काउन्टर के तौर पर भी माना जावे तो अन्याय नहीं है।

हमारे जिन भाइयों ने जिस प्रकार सर्व सम्मत होकर इस बिल का समर्थन किया है तो इस बिल का हम समर्थन करते हैं तो क्या अन्याय है ? पर हम तो इतने एकोमोडेटिंग हैं कि उन्होंने चाहे उसका सर्व सम्मति से समर्थन किया हो पर हम इस प्रकार के दकियानूसी विचार धारा को रखने वाले नहीं हैं। हम तो उनको एकोमोडेट करने को तैयार है। उनको किसी प्रकार से इससे घबराना नहीं चाहिये।

उनकी कॉन्स्टीट्यूशनली एडमिजिबिलिटी के बारे में मैं निवेदन करूंगा मैं यह मानकर चलता था कि जिस रोज पशुबलि का बिल सदन में पेश हो चुका था, उसकी एडमिजिबिलिटी पर इतनी बहस हो चुकी थी कि आज उसी चेप्टर को सदन के अन्दर दुबारा दोहराया जावेगा यह मैं नहीं मानता था लेकिन खेद है उपाध्यक्षजी कि आज वही चेप्टर सदन में फिर खोला जा रहा है और इस बिल को भी पोस्टपोन करने की बात कही जाती है। मैं सदन के समस्त सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे थोड़ा विचार से काम करें। वे सोच समझ कर काम करें। वे इस बिल को देखेंगे तो आज यह हो सकता है कि इसके काउन्टर में जो बिल लाया जावेगा वह अगर नहीं लाया जायगा तो आज तक तो शायद ऐसा हुआ नहीं, पर हो सकता है कल ही इसी सदन में कोई सदस्य अपने सारे कपड़े उतार कर यहां आकर बैठ जावेंगे। उस समय हमारे मित्रों की क्या हालत होगी और खासकर हमारें उन मित्रों का जो ट्रेजरी बेन्चों पर बैठते है उन सारे सहयोगियों की क्या हालत होगी इस ओर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। आज तक हम नहीं जानते थे कि इस प्रकार का कोई कानून ही नही है कि अगर कोई नग्न रूप में सदन में या और कहीं उपस्थित हो तो उस पर कानून कोई लागू नहीं होता है। पर अब जब यह चीज़ मालूम हो गई है तो साड़ियों के लेन देन और दूसरे मामलों में क्या हालत हो सकती है। तो इस पर भी हमें विचार करना है।

(हंसी)

तो मैं निवेदन करूंगा कि आज हमको इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये, हमें सोचना चाहिये कि आज हम इस बिल को किस प्रकार सदन में लावें। कुछ मित्रों का धार्मिक भावनाओं की ओर झुकाव है तो यहां धर्म की प्रतीक जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिस वक्त इसको मूव किया उस वक्त जैनी भाइयों की जो मूर्तियां हैं, वे किसी प्रकार की हों उन पर यह कानून किसी प्रकार से लागू नहीं होगा। दूसरी बात, मेरे मित्रों ने यह बताई कि यह जैनियों और हिन्दुओं को लड़ाने का एक तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिये भी मैं निवेदन करूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, यह बात हिंदुओं पर भी उतनी ही लागू होती है जितनी जैनियों पर होती हैं। मैं तो यह कहूंगा, इन्हीं महाशयों की जबान से ले लीजिये कि जैनी साधु तो १५, २० मिलेंगे पर अगर आप हरिद्वार में अर्ध कुम्भ हो रहा है उसमें जाइये तो सनातन धर्म के मानने वाले नंगे साधु हजारों की तादाद में मिलेंगे।

श्री भैरूंसिंह—वे आपके जैसे ही ढोंगी होंगे कोई।

श्री मानसिंह महार—वे तो आप जैसे होंगे या मेरे जैसे यह तो दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है।

(हंसी)

आज अगर कोई बात कही जाती है तो हम इसके लिए बाध्य नहीं करते कि वह कपड़े ही पहनें। पर अगर वे एक पत्ता भी बांध लेते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और फिर इतना सा काम होने के बाद बिल में जो कुछ बात है, खत्म हो जाती है। ऐसी सूरत में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मूवर महोदय से और खास कर सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह यहां पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को गलत तरीके से उभाड़ने की कोशिश की जाती है इसका नाजायज कुछ लोग फायदा उठाना चाहते हैं तो, इस प्रकार की बात सदन के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। धार्मिक भावनाओं को लेकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिये। हमें वास्तविकता को देखना है कि यह जो नग्न प्रदर्शन होता है उसको वैधानिक तरीके से किस प्रकार से रोका जावे।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—कॉन्स्टीट्यूशनल बात कहिये।

श्री मानसिंह महार—तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी वैधानिकता का तरीका है यह निवेदन करूंगा कि अब जो माननीय श्री देवीसिंहजी ने कुछ मुद्दे रखे और हमारे सवाई माधोपुर से आने वाले मित्र ने कुछ बातें जोरदार शब्दों में कहीं उनके लिये तो यह निवेदन करूंगा कि यह तर्क तो सारा उस समय इस सदन के अन्दर वापिस हो चुका था जब कि इस बिल के ऊपर उस मुद्दे को लेकर कई बार बहस हुई थी और इस सदन को उस समय भी एडवोकेट जनरल की राय मालूम हुई थी। उसके खिलाफ मत देकर इस चीज को जो आज भी सदन में मौजूद है, जब हमारे सामने इस प्रकार की चीज मौजूद है तो मैं नहीं समझता कि आज इस चेप्टर को दुबारा कान्स्टीट्यूशन के नाम पर, हमारे पवित्र कान्स्टीट्यूशन की दुहाई देकर टालने की कोशिश क्यों की जाती है। वह चीज तो एक बार तय हो चुकी। हम निर्णय ले चुके उस पर। आज यह कह देना कि यह अवैधानिक है हमारे कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ जाता है इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। मेरे मित्र ने जो हिंदू धर्म पर आपत्ति की बात कही उसके लिये मैं यह कह सकता हूँ कि कान्स्टीट्यूशनली हिंदू धर्म पर इसको पास करने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती है। यह बिलकुल वैधानिक चीज है और यह कानून जो सदन में प्रस्तुत हुआ है इस पर जनरल डिस्कशन होकर जितनी जल्दी पास किया जावेगा उतना ही अच्छा होगा। यह मैं समझता हूँ। चाहे हमारे मन्त्री लोग उसको किसी भी लाइट में लें, लेकिन इस मामले की वैधानिकता के बारे में सदन के सभी सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि इस मामले में आप लोग वैधानिक आपत्तियां न उठावें। इस मामले को सदन में आने दीजिये। इस पर जनरल डिस्कशन होना चाहिये और इसके बाद आप और हम सभी बैठकर चाहें तो पास कर दीजिये या चाहें तो सिलेक्ट कमेटी में दे दीजिये। आप फिर कुछ भी करिये पर इसकी एडमिसिबिलिटी पर आपत्ति करते है, यह कोई उचित बात नहीं है। मैं सदन के सभी सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि इसकी एडमिसिबिलिटी पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करें। जो सदस्य पहले आपत्ति नहीं करते थे वे लोग आज आपत्ति करें यह तो इस पर बड़ा भारी कुठाराघात

[श्री मानसिंह महार]

है। इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ यह हमारे परम पवित्र विधान को अपवित्र बनाने वाली बात है। अगर एक बार आपने भूल की है तो आपको इसका खामियाजा उठाना चाहिये और आज खामियाजा उठा कर आप लोग इसको भी मंजूर करिये और मंजूर करके यहां आप एक सद्भावना का वातावरण पैदा करिये और अगर ऐसा वातावरण पैदा करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिन भाइयों को इस प्रकार की शंका होगी उनकी हर शंका को हम दूर करेंगे, उनको एकोमोडेट करेंगे। पर एक तरफ तो एकोमोडेशन की स्पिरिट दिखाने की बात करते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार से गलत तरीके से वैधानिक आपत्तियां उठाते हैं तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है इसलिये मैं सदन के सभी सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह जो वैधानिकता का मामला है, इस वैधानिकता के चक्कर में आप न पड़िये। इसकी वैधानिकता तो पहले ही तय हो चुकी है। इसके अन्दर आज आप क्या कह सकते हैं। इस सदन की प्रोसीडिंग्स को ले लीजिये और उस रोज देख लीजिये क्या क्या बातें हुई हैं। उस दिन भी यह पोइन्ट रेज हुआ था और इसके बाद ही माननीय अध्यक्ष ने इसको एडमिजिबिल्टी की इजाजत दी थी। वे सारी बातें यहां दोहराने की जरूरत नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी बात कुछ लोग क्यों कहते हैं? इसलिये निवेदन करूंगा कि इसकी एडमिजिबिलिटी के पोइन्ट पर ज्यादा गौर न देकर इस मामले को आपसी बात से तय करेंगे तो अच्छा होगा।

आज यह नग्न प्रदर्शन का सदन के समक्ष बिल आया है तो आप लोग कहते हैं कि यह तो जैन धर्म पर आघात है। पशु बलि का जिस रोज सदन के अन्दर बिल आया था तो उन भाइयों ने यह क्यों नहीं सोचा, मैं तो साफ लफ्जों में कहता हूँ कि वह भी कुछ लोगों के धर्म पर आघात था। उस रोज उन्हें मौन रहना था। उन्हें अपनी सद्भावना मौन रह कर दिखानी थी। उस रोज यह बात कहते तो कुछ हद तक आपकी इस बात को मानते, लेकिन आज जब खुद के घर में इस प्रकार की बात होती है तो बौखलाहट पैदा होना कोई उचित चीज नहीं है।

मेरे माननीय मित्र जो कि दांता रामगढ़ से आये हैं उन्होंने कहा कि इस पर एडवोकेट जनरल की राय ली जाय। तो राजस्थान तो वह विचित्र प्रान्त है कि जहां एडवोकेट जनरल है ही नहीं। एडवोकेट जनरल को यहां रखना वाजिब ही नहीं माना जाता तो यह दलील देना बिल्कुल गलत है। जहां एडवोकेट जनरल जैसी कोई चीज ही नहीं है तो किस चीज की राय मालूम करेंगे। उन्हें शायद यह बात मालूम नहीं थी, वर्ना वे इस प्रकार की भूल नहीं करते। कोई एडवोकेट जनरल है ही नहीं। आप यह कहें कि इन-एडवान्स जो एडवोकेट जनरल होने वाले हैं उनकी राय ली जाय तो ऐसी बात को मानने वाला मैं नहीं हूं, माननीय उपाध्यक्ष। अगर कोई एडवोकेट जनरल है, अगर आपने किसी को किया है तो हम गजट में देखेंगे, कि वाकई में वह एडवोकेट जनरल है तो हम उसकी राय की कद्र करेंगे, वर्ना इधर उधर के लोग जबर्दस्ती यहां राय देंगे तो हम उस राय को मानने वाले नहीं हैं। मुझे मालूम है कि पहले एडवोकेट जनरल को बुलाया गया था तो कृपाशंकर जी हजेला जैसे व्यक्ति ने राय व्यक्त की थी उनको हक था, वे सदन में आकर बैठ सकते थे। जब एडवोकेट जनरल ही

[श्री मानसिंह महार]

नहीं है तो यह एक कानूनी अड़चन है, माननीय उपाध्यक्ष । कोई एडवोकेट जनरल है ही नहीं तो राय कैसे दे सकते हैं । तो दीगर व्यक्ति को अगर एडवोकेट जनरल कहना चाहते हैं तो वह सरासर गलत है........

श्रीसोहनलाल भटनागर—हूजेजा साहब की क्या राय थी ?

श्री मानसिंह महार—वह राय जिस तरह से खत्म हो गई थी उस वक्त मालूम हो गया था कि एडवोकेट जनरल का कोई महत्व नहीं है । फिर भी एडवोकेट जनरल जैसी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोई चिड़िया हो तो उसको बुलाया जाय, मैं यह नहीं कहता कि नहीं बुलाया जाय, लेकिन जो कि चीज है नहीं और पोस्ट वेकेन्ट है । एडवोकेट जनरल जैसी चीज को रखना नहीं चाहती है हमारी सरकार । एडवान्स्ड सरकार का यह काम होता है कि एडवोकेट जनरल जैसे काबिल लायर रखे...

श्री माधोसिंह—(भैंसवाड़ा) प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के मिनिस्टरों की सब बेंचें खाली हैं कोई मिनिस्टर उपस्थित नहीं है तो निर्णय कौन देगा ?

श्री भैंरू सिंह—आप उन सीटों पर जाकर बैठ सकते हैं ।

श्री माधोसिंह—सरकार के मन्त्रियों को जवाब देना चाहिए । मन्त्री लोगों की सब सीटें खाली हैं । उनकी उपस्थिति आवश्यक है या नहीं, इस पर निर्णय दें ।

श्री उपाध्यक्ष—यह प्राइवेट बिल है ।

श्री मानसिंह—इसका अर्थ यह लिया जाय कि ऑफिशियल बिल हो तो हम उपस्थित न हों, हम लोग उठ कर चले जायं । प्राइवेट बिल है तो भी मिनिस्टरों को जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए । खास तौर से लॉ मिनिस्टर को रहना चाहिए । वह बता सकें कि एडवोकेट जनरल है या नहीं । सदन में यह मांग की जा रही है कि एडवोकेट जनरल की राय ली जाय और हमारे विधान के अन्दर यह है कि एडवोकेट जनरल यहां आकर राय दे । लेकिन आज राजस्थान में एडवोकेट जनरल नहीं है जो हाउस की इस कुर्सी पर बैठने का हकदार हो, हमें कानून में सलाह मश्वरा दे ।

हमारे उद्योग और व्यापार मन्त्री जी भी विराजमान हुए हैं । उनसे आशा करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस कानूनी मसले पर कुछ बातें फरमा कर हमारे दिमाग को तरो व ताजा फरमायेंगे । इसलिए मैं इस बात को दोहरा देता हूं ।

कुछ मित्रोंने, उपाध्यक्ष महोदय, यह मांग की थी कि एडवोकेट जनरल सदन में आकर अपनी राय जाहिर करे । यह मैं मानता हूँ कि एडवोकेट जनरल इस सदन में बैठने का हकदार है, अपने विचार व्यक्त करने का हकदार है । वह मत नहीं दे सकता है, लेकिन विचार व्यक्त जरूर कर सकता है। सदन के सदस्य जो यह मांग करते हैं तो वह एडवोकेट जनरल कौन सा है जिसे यहां पर बोलने वाला, इस कुर्सी पर बैठने का हकदार मानें । जब तक इस बात का ट्रेजरी बेन्चेज से जवाब नहीं आता है तो मैं समझता हूं कि जो कुछ बातें एडवोकेट जनरल

Page No 74

[श्री मानसिंह महार]

के बारे में मैंने कहीं हैं वे सत्य हैं कि एडवोकेट जनरल जैसी चीज़ राजस्थान में है ही नहीं। कोई भी आदमी कन्स्टीट्यूशनली इस लायक नहीं है कि वह इस सदन में आकर राय व्यक्त कर सकता हो। ऐसी सूरत के अन्दर जिन लोगों ने एडवोकेट जनरल की बात कही है वह सरासर गलत है। और कुछ लोग, उपाध्यक्ष महोदय, एडवोकेट जनरल की हैसियत से बोलें और उसके ऊपर किसी प्रकार का विचार किया जाय तो मैं तो पहला आदमी हूंगा कि उन बातों पर कतई ध्यान नहीं दूंगा। सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर इस बिल पर राय लेना है तो एडवोकेट जनरल का एप्वाइन्टमेन्ट गजट में शाया करें कि फलां आदमी एड्वोकेट जनरल नियुक्त किया गया है और उसके बाद बोलने की जुर्रत करे। अगर सरकार (घन्टी) यह किये बिना ही दीगर आदमी को बोलने के लिए कहें तो उनकी राय सुनने के लिए हम कतई तैयार नहीं होंगे।

यह चन्द बातें कह कर सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कुछ बातें कहीं गई हैं उनको सद्भावनापूर्ण वातावरण में लेकर आपस में बैठ कर बात करें। यह प्राईवेट मेम्बर्स का काम है, कोई सरकार का काम नहीं है। कोई किसी की प्रेस्टिज का सावल नहीं है, आपस के एडजस्टमेंट का काम है। आपस की थुक्का फजीती कोई अच्छी बात नहीं है। सब पार्टियों के आदमी बैठकर सोचें और जो बातें वाजिब हों उन बातों को मन्जूर करके, तय करके फिर करें तो ज्यादा उचित होगा, बमुकाबले उसके कि एक ओर तो यह कहा जाय कि कॉन्स्टट्यूशनली ड्राप कर देंगे और दूसरो से कहा जाय कि नहीं करने देंगे। यह खींचमतान चले तो ऐसी सूरत में सदन से निवेदन करूंगा कि इसके लिये सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाया जाय तो बहुत अच्छा है।

(इस विधेयक पर विचार-विमर्श स्थगित)

राजस्थान प्रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स (संशोधन) विधेयक, १९५४
(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री उपाध्यक्ष—श्री देवीसिंह।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल— माननीय उपाध्यक्ष, मैं बहुत देर से निवेदन कर रहा हू कि समय मुझे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष— यह अभी बहस जिस बिल पर हो रही थी वह इसलिए रख दी थी कि एमेंडमेंट तैयार नहीं था। इसलिए चूंकि श्री देवीसिंह जी ने एमेन्डमेन्ट रखा था, वह मूव करें।

श्री देवीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एमेंडमेंट मेरा था यह मैं आपके सामने पेश करता हूं। वह बिल की क्लॉज दो के बाद में एक प्रोवीज़ो है। मेरा एमेन्डमेंट इस प्रकार है :

"Provided that it shall not be an offence to kill a Pigeon with the previous permission of a Magistrate, first class, for scientific studies.

श्री भैंरूंसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है यह अभी सदन के समक्ष आया है। इसकी कापीज सदन के सदस्यों को नहीं मिली हैं इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो संशोधन पेश किया गया है उस संशोधन को सदन में विचारार्थ लेने की अनुमति नहीं दी जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में बड़ा साफ है प्रोसीजर कि, यह तो चेयर के अपने डिस्क्रीशन में है कि यदि वह मुनासिब समझे तो इस संशोधन को एड-मिट कर ले। इसका निर्णय देना चेयर के पॉवर में है। इस बिल पर इतनी डिबेट हो चुकी है। यह एक छोटा सा एमेन्डमेंट है। इसको इन्क्लूड करके प्रोटेक्शन किया जा रहा है। इस पर २, ३, घन्टे तक बहस की जा चुकी है, और जिस मुद्दे पर माननीय देवीसिंह जी ने एमेंडमेंट रखा है तो वैसे ही प्राइवेट बिल्स को बहुत कम समय मिलता है। महीनों में एकाध दिन आता है। हमारी दिल्ली की पार्लियामेन्ट की परम्परा उसके थोड़ी विपरीत जाती है, वहां हर फ्राईडे को रिजोल्यूशन्स और प्राइवेट बिल्स आजाते हैं। कुछ वास्तविक भावनाओं से प्रेरित होकर पीजन को इसमें इन्क्लूड किया गया है। इस तरह से माननीय मित्र कोई इसको पोस्टपोन करने का विचार नहीं रखेंगे और जिस तरह का अमेन्डमेंट है उस पर डिबेट करके बहुत जल्दी निर्णय कर लेंगे ताकि यह बिल वन वे और दी अदर तय हो जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्लॉज पर अमेन्डमेन्ट श्री देवीसिंहजी का पहले ही मूव हो चुका था और वह अलाऊ भी किया जा चुका था। लेकिन चूंकि यह प्रोपरली वर्डेड नहीं था और लीगल फॉर्म लाना था इसलिए इसको स्थगित किया गया था। अब यह प्रोपरली वर्डेड होकर आया है।

श्री उपाध्यक्ष—वर्ड्स का ही इम्प्रूवमेन्ट है और इस पर किसी को कुछ कहना हो तो कहें।

श्री श्रीदास गोयल—अब तो माननीय चेयरमेन ही फरमा दें।

श्री उपाध्यक्ष—भाषा की रद्दोबदली करनी थी वह करके यह रक्खा गया है। कोई नया अमेन्डमेन्ट नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—अमेन्डमेन्ट तो अभी माननीय सदस्य ने सदन में प्रस्तुत किया है। नये और पुराने का सवाल नहीं है इसलिए इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाय।

श्री श्रीदास गोयल—यह अमेन्डमेन्ट, उपाध्यक्ष महोदय, पहले ही आ चुका है। उस अमेन्डमेन्ट के पक्ष और विपक्ष में विचार भी रखे जा चुके थे, लेकिन चूंकि भाषा स्वस्थ नहीं होने से उसको स्वस्थ बना कर पेश करने के लिए रखा गया था। अमेन्डमेन्ट तो पहले से ही मौजूद है।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर किसी को बोलना है तो बोलें।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त इस बिल पर बोले थे उस वक्त इस पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं था और कम से कम जब मैं बोला था उस वक्त तो कोई अमेन्डमेन्ट नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष—इस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री भैरोंसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो यह आता है कि क्या आपने इस अमेन्डमेन्ट को एडमिट करने की इजाजत दे दी?

श्री उपाध्यक्ष—जी हां, दे दी।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, टोंक से आये हुए माननीय सदस्य के बिल पर एक अमेन्डमेन्ट रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं। अमेन्डमेन्ट यह है कि किसी मजिस्ट्रेट की इजाजत से कबूतर मार डाले जांय तो उसके अन्दर किसी प्रकार की सजा नहीं दी जायगी। मैं तो इस अमेन्डमेन्ट की भाषा को ही एक विचित्र भाषा मानता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, उस घोर पाप के भागी उस बेचारे मजिस्ट्रेट को क्यों बनाया जाय? मैं इसका सिद्धांततः विरोध करता हूँ उपाध्यक्ष महोदय।

हमें यह देखना है कि मेरे टोंक से आये मित्र ने किस ओब्जेक्ट से यह अमेंडिंग बिल प्रस्तुत किया है? उनका ऐम यह है कि यह कबूतर को मारना हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है और उसी बात को रखने के लिए ही यह अमेन्डिंग बिल प्रस्तुत किया है। अब सदन के समक्ष एक नयी बात पेश होती है। उस नयी बात का सुझाव तो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महोदय दो मिनिट विराज कर दे जाते हैं और फिर माननीय देवीसिंहजी उसको सुचारू रूप से ठीक ढंग से लाकर प्रस्तुत करते हैं।

श्री देवीसिंह—ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन, सर, यह आप बोल रहे हैं तो मैं अर्ज करूं कि चीफ व्हिप के बोलने के पहले ही मैं अपना अमेन्डमेन्ट दे चुका था।

श्री मानसिंह महार (जारी)—वह दे चुके हों आप, लेकिन आपने मजिस्ट्रेट वाली बात पहले नहीं रखी थी, यह न मालूम किस महानुभाव का सुझाव है। यह हम मानते हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि कबूतर को मारना हिन्दू धर्म को ठेस पहुँचाना है और यह बहुत बड़ी बुरी चीज़ होगी कि किसी हिन्दू मजिस्ट्रेट से यह इजाजत चाही जाय कि कॉलेजों में जो पढ़ने वाले हैं, सौ दो सौ कबूतरों को मारने के लिए वह उनको इजाजत दे। यह उनके हिन्दू धर्म पर कुठाराघात होगा। अमेन्डमेन्ट लाया गया उस वक्त तो कोई और बात थी, कालेजों के अन्दर पढ़ाई के सिलसिले में या बीमारी के सिलसिले में इजाजत की कोई बात होगी, बात की जायगी इस प्रकार की चर्चा थी। लेकिन जब अमेन्डमेन्ट आया है तो वह एक विचित्र स्थिति लेकर आया है। उसमें यह बात कही गई है कि किसी हिन्दू धर्म को मानने वाले मजिस्ट्रेट को इजाजत देने के लिए बाध्य किया जायगा कि वह इस पाप का भागी बने, हमारे महाराजा कालेज, जयपुर, जसवन्त कालेज, जोधपुर और उदयपुर के कालेज के लिए सौ दो सौ कबूतर का हृदय काट कर देखने के लिए उनको मारने की इजाजत दे दें, हमारे लोगों को, विद्यार्थियों को इजाजत दे दें। ये जो बातें हैं वह मेरी समझ में नहीं आई। दूसरे पक्षी है, चिड़ियायें हैं, तीतर, बटेर मौजूद हैं। वे भी कबूतर के हृदय जैसे है, उनको ले लिया जाय। हम तो इस सिद्धान्त को मान कर चलते हैं कि कबूतरों को मारने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए और एक और आप कहते हैं कि कबूतरों को मारने पर प्रतिबन्ध होना चाहिए लेकिन मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी चाहिये। कोई गरीब ग्रामीण कबूतर को गलती से भी मार देगा तो उसको दो महीने की सजा होगी। यह अमेन्डमेन्ट लाकर सदन के सामने ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि मजिस्ट्रेट मारने की इजाजत दे दें। मैं नहीं मान सकता, हिन्दू धर्म का मानने वाला कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, मजिस्ट्रेट उसको इजाजत दे दें तो उसको मारने दिया जावेगा। आज तो यह कह दीजिये कि यह अमेन्डमेन्ट है कबूतरों के लिए, कल कह दीजिये कि गाय के लिए यह अमेन्डमेन्ट होना चाहिए और फिर मोर के लिए भी ऐसा अमेन्डमेन्ट होना चाहिए। जहां तक वह आपकी भावना थी कि कबूतरों पर इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, वहां तक तो आपके सुझाव का स्वागत था, लेकिन यह जो नई बात रख दी है है कि कॉलेजों में इस बात को महसूस करते हैं, इसलिए इजाजत देना चाहिए, तीसरा आदमी यह कहेगा कि मैं २० वर्ष से कबूतर खाता हूं इसलिए वह मजिस्ट्रेट से परमिट ले और यह काम करता रहे यह तो बड़ी अन्यायपूर्ण चीज़ होगी इसलिए मैं इस अमेन्डमेन्ट का विरोध करता हूं। जिस रूप में किसी हिन्दू धर्म के मानने वाले मजिस्ट्रेट का धर्म भ्रष्ट करने के लिए यह अमेन्डमेन्ट लाया गया है यह सरासर गलत है और इस रूप में यह अमेन्डमेन्ट रख कर जिस भावना से यह सदन में बिल रखा गया है उस भावना को खत्म किया जा रहा है। इसलिए मैं सदन के सब सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे कानूनों के चक्कर में न आवें, वे वकीलों के चक्कर में न आवें और न ही इस चीज को वास्तविकता का रूप दिया जाय। एक तरफ तो आप कबूतरों को मारने के लिए मजिस्ट्रेट से मोहर लगाने की बात नहीं करते थे,

[श्री मानसिंह महार]

कोई मेम्बर ने यह बात नहीं कही थी कि कोई कबूतरों को मारे, आज आप अन्ट संट बातों को लेकर आप कहते हैं कि कबूतर को मारने की कोई इजाजत चाहे तो सरकारी मोहर उस पर लगा दी जाय, उसको इजाजत दी जाय। मजिस्ट्रेट जो हिन्दू धर्म को मानने वाला मजिस्ट्रेट हो उसको बाध्य किया जाय कि वह इजाजत दे। यह मूवर की भी भावना नहीं है और जब मूवर महोदय ने बिल को मूव किया तो दो शब्द ही कहे, उन्होंने चाहा कि यह रुटीन में निकल जाय तो अच्छा है, उनको भी इस सम्बन्ध में ध्यान देना पड़ेगा। कोई हिन्दू धर्म का मानने वाला कट्टर हिन्दू मजिस्ट्रेट बैठा हुआ है उसके सामने यह बात रखेंगे कॉलेजों में सौ दो-सौ कबूतर मारने के लिए मोहर लगाये, इजाजत दीजिये, वह हृदय से कभी उसकी इजाजत नहीं देगा, अगर उसको अपनी नौकरी रखना होगी तो अपने धर्म को और अपने हृदय को कुचल कर उसको इजाजत देनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते है कि सरकार उस मजिस्ट्रेट के धर्म पर कोई कुठाराघात करें। कोई वाया मीडिया निकालते तो उसको मंजूर कर लेते। मजिस्ट्रेट की कबूतर को मारने की इजाजत के लिए मोहर लगवाना को वकीलों का सुझाव हो सकता है।

श्री सोहनलाल भटनागर—सुझाव आप बता दीजिये।

श्री मानसिंह महार—उपाध्यक्ष महोदय, मेरी यह राय है, मेरा यह स्पष्ट सुझाव है अगर कॉलेजों के अन्दर इस प्रकार की पढ़ाई में कबूतर की जरूरत है तो बटेर हैं, तीतर भी हैं, जो नीचे स्तर के जानवर हैं, वे मंगवा कर कटवा दिये जायेंगे तो कोई अन्याय नहीं होगा। हिन्दू धर्म के ऊपर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुँचेगा। अभी जो लोग धार्मिक मामलों पर आघात पहुंचाने की चर्चा कर रहे थे उनसे प्रार्थना करूंगा कि हमें क्या मतलब है इससे, यदि कॉलेजों में दिक्कत आयगी तो प्रोफेसर्स वगैरा आप ही रास्ता निकालेंगे। हम क्यों कहें कि तीतर बटेर मारें। हमतो यह कहते हैं कि कबूतर नहीं मारें, जिन कबूतरों के लिये पाबन्दी है उनको नहीं मारें। बाकी जैसा चाहें वैसा करें। आप यह भी तरीका अपना सकते हैं कि मरे हुए कबूतर विलायत से इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके विविसेक्शन कर सकते हैं। हम धर्म पर आरूढ हैं इस लिए हमारा धर्म कायम रहे। हमारे धर्म में कबूतर मारने पर पाबंदी है तो हम इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि कालेजों में लड़कों को बुरा तरीका बतावें और कॉलेज में वे कबूतरों को हलाल करें और उनकी आंतडियां तोड कर देखें और बाद में क्या हम उनसे उम्मेद कर सकते हैं कि वे हिन्दू धर्म को मानेंगे, हम यह उम्मेद नहीं कर सकते।

जिस तरह से चीफ व्हिप साहब ने कहा था कि मैंने २० कबूतरों को मारा था। यह दुर्भाग्य है कि हिन्दू होते हुए भी आप कबूतरों को हलाल कर चुके हैं यह हमें मालूम नहीं था, आज मालूम हुआ है।

जो संशोधन सदन के सामने आया है उसके बारे में मैंने उचित समझा कि मैं उसका विरोध करूं। मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप उस ओर मत जाइये की चीफ व्हिप की

[श्री मानसिंह महार]

क्या राय है। आप तो यह कहिये कि कबूतर मारने पर सख्त से सख्त पाबन्दी होनी चाहिये। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि कबूतर मारनेवालों को ६ महीनों की सजा होनी चाहिये और दूसरी ओर यह कहते हैं कि मजिस्ट्रेट से इजाजत लेकर कबूतर मारदें। यह कहां तक उचित है, देखिये। जैन भाइयों से कहूँगा कि वे तो हमारा साथ देंगे ही। मैं आशा करता हूँ कि जो जैसा अमेन्डमेन्ट सदन के सामने लाया गया है वह हमारे धर्म पर कुठाराघात है इसलिये इसको कभी पास नहीं करेंगे। कॉलेजों के पास सैकड़ों तरीके हैं जिनसे काम कर सकते हैं, इस प्रकार के काम मेढ़कों से, चूहों से होते हैं, तो और कोई ऐसे जानवर हैं जिसको मारने से हमको आपत्ति नहीं होगी उनको काट लिया करेंगे। मैं यह कहता हूं कि कालेजों में ऐसी हत्यापूर्ण बातें क्यों सिखाई जांय। कल तो अंग्रेज कह देंगे कि मोर को मारना उपयुक्त होगा तो क्या आप अमेन्डमेन्ट लायेंगे कि मेजिस्ट्रेट की छाप लगाकर मोर मारने की इजाजत हो जाय। मैं मूवर महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेलें क्योंकि उनको इस वख्त इस चीज को नहीं देखना चाहिये कि चीफ व्हिप क्या कहते हैं इस से अपनी भावना में बह चुके तो.......

श्री देवीसिंह:—ओन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर, सर, आप रिपीटेशन करके टाइम क्यों खराब करते हैं, जल्दी खत्म क्यों नहीं करते ?

श्री मानसिंह महार:—मैं बहुत जल्दी खत्म करता हूं। मैं समझाना चाहता हूँ कि यह कबूतर मारने वाली बात राजस्थान में कतई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिये। आप मेजिस्ट्रेट से आज्ञा लेकर खुला रखना चाहते हैं, तो यह ठीक नहीं है। आप इसको वापिस ले लीजीये ताकि श्री टिक्की वाल जी का अमेन्डिंग बिल वापिस लिया जा सके।

श्री शम्भूसिंह:—उपाध्यक्ष महोदय,

श्री श्रीदास गोयल:—मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूँ। इस पर काफी समय हो गया है, १२ बजने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष:—श्री शंभूसिंह जी २ मिनट में अपना भाषण खत्म करदें।

श्री शंभूसिंह:—उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का संशोधन पेश करके इस बिल के महत्व को कम किया जा रहा है। यदि इस प्रकार की छूट हो जाती हैं तो इस तरह का बहाना बनाकर मेजिस्ट्रेट से कबूतर मारने की इजाजत लेकर कबूतर मारते गये तो इस बिल का महत्व ही क्या रह जायगा ? यह आवश्यक नहीं कि कालेजों में जिस तरह बाइलोजी, जूलोजी पढ़ाते हैं उनमें कबूतरों पर ही परीक्षण किया जाय। जो तीतर, बटेर आदि पक्षी हैं उनपर ही परीक्षण किया जा सकता है, जो पक्षी अवध्य हैं उनको नहीं मारना चाहिये। पीजन, हरियल कहते हैं वे भी पीजन हैं उनको लिया जा सकता है और अन्य भी बहुत से तरीके हैं जिनसे परीक्षण कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कबूतर अवध्य है उसका ही वध करके परीक्षण किया जाय। पोस्टमारटम होता हैं और जब

[श्री शम्भूसिंह]

डाक्टर्स पढ़ाई में विद्यार्थियों को एनोटोमी फिज्योलोजी की तालीम दी जाती है तो एनोटोमी की तालीम में मनुष्य के शरीर की चीड़ फाड़ की जाती है तो क्या उसके लिए जिन्दा आदमी परीक्षण करते हैं ? उसके लिए मरे हुए मनुष्य के शरीर पर परीक्षण किया जाता है। इसी तरह मरे हुए कबूतर पर भी परीक्षण किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष:—order please.

श्री शम्भूसिंह:—मैं जल्दी ही खत्म करने वाला हूँ। यह संशोधन बिल के महत्व को बिल्कुल कम कर देता है, इस लिये इस अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता नहीं है। संशोधन विधेयक जिस तरह से प्रस्तुत हुआ है उसी तरह से स्वीकार होना चाहिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री:—उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री श्रीदास गोयल:—मैं क्लोज़र मूव करना चाहता हूँ, काफी समय हो गया है।

श्री रूपनारायण शास्त्री:—मैं बहुत कम समय लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष:—आप एक मिनट में खत्म करिये।

श्री रूपनारायण शास्त्री—मैं यह मानता हूँ कि जो संशोधन प्रस्तुत हुआ है उसके पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूं कि कबूतरों की हत्या नहीं हो। वे यह कहते हैं कि इसमें हत्या नहीं है। श्रीराम-रतनजी टिक्कीवाल ने जो संशोधन पक्षी बिल के सम्बन्ध में रखा है उसके मैं पक्ष में हूँ। उस संशोधन के ऊपर फिर संशोधन रखा गया है उसके पक्ष में मैं नहीं हूं। मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि हत्या बुरी है, इसको प्रत्येक प्राणी मानता है। केवल वैदिक विधि के अनुसार जो हिंसा की जाती है वह अहिंसा मानी जाती है। वैदिक विधि को छोड़ कर कोई भी हिंसा की जाती है वह पाप है और दंड का भागी है। शास्त्रों ने कभी नहीं बताया कि हत्या अच्छी चीज है। कबूतर वास्तव में भोला भाला पक्षी है। यह बहुत ही उपयोगी जानवर है। केवल इसकी हवा से पक्षाघात (लकवा) जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। इतना उपयोगी पक्षी है उसको बिना कारण के मारना यह मानवता नहीं दानवता है। इस दानवता के नग्न नृत्य को मैं देखना पसन्द नहीं करता। इसलिये मैं चाहता हूँ कि मेजिस्ट्रेट द्वारा भी इजाजत देना उचित नहीं है। मूल संशोधन के ऊपर कोई बाधा नहीं आनी चाहिये। कबूतर-हत्या से मुक्त किये जांय, इसके बारे में जो संशोधन है मैं उसके पक्ष में हूं। इसको स्वीकार किया जाय। इतना कह कर ज्यादा समय नहीं लेकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान प्रिजर्वेशन ओफ सरटेन एनिमल्स (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५४ पर जो संशोधन श्री देवीसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(करतलध्वनि)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज २, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज २, संशोधित रूप से विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १, प्रिएम्बल व टाइटल विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, प्रिएम्बल और टाइटल विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामरतन टिक्कीवाल—माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बिल पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह बिल पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ।

बूंदी में सोल्जर्स होम का निर्माण स्थगित करने सम्बन्धी तारांकित प्रश्न पर आधे घन्टे का वाद-विवाद

अब हाफ एन अवर डिस्कशन है, उसमें श्री केसरीसिंह अपना प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर होगा।

महाराज श्री केसरीसिंह—माननीय उपाध्यक्ष,........

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

"(1) Whether the Government had received an aid of Rs. 25,000/-from the Bundi State and an equal sum from the Central Government in 1948 for the construction of 'Slodiers Home' in Bundi ?

(2) Whether foundation stone was laid down 1948 by Lord Mountbatten for the construction of 'Soldiers' Home' in Bundi ?

[महाराज श्री केसरीसिंह]

(3) Whether it is a fact that the foundation stone for the soldiers' home is removed by the Government ?

(4) Whether the above mentioned amount of Rs. 50,000/- was accumulated by the Government ?'

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने ६ मार्च, १९५६ को.........

महाराज श्री केसरीसिंह—सुनाई नहीं देता।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं फिर से सुनाता हूं। माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जीने ६ मार्च, १९५६ को सदन में दिया था और उस उत्तर में उन्होंने यह बताया था कि जून, सन् १९४७ में पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन फन्ड में से २०,००० रुपये की रकम बूंदी रियासत के दीवान को सोल्जर्स होम बनाने के लिये दी गई है और बूंदी रियासत के २५०,०० रुपया ऐसी रकम जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, इस काम में दिया जाना नहीं पाया जाता। अभी तक सोल्जर्स होम बूंदी में नहीं बन पाये हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि ४७ में जब इन्टीग्रेशन से पहले अपने यहां राजस्थान में इस सोल्जर्स बोर्ड का फंड, जो ए. जी. जी. आबू में कार्य करते थे, यह सारी रकम उनके पास थी। बूंदी में सोल्जर्स होम बनाने के लिए २०,००० रुपया बूंदी रियासत के दीवान को दिया था पर इसके बाद यह सही है, पूरी जानकारी के बाद, उस रोज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि यह बात उनकी जानकारी में नहीं है कि सोल्जर्स होम का फाउन्डेशन स्टोन ले किया गया या नहीं, पूरी जानकारी करके कह सकता हूँ, उस रोज उन्होंने इस बात से इन्कार नहीं किया था।

अब मैं पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद अर्ज करता हूं कि सोल्जर्स होम के लिए ७ मई, सन् १९४८ में लॉर्ड माउन्टबेटन द्वारा इस सोल्जर्स होम का फाउन्डेशन स्टोन ले किया गया था और जब मर्जर हो गया, इन्डिपेन्डेन्स आने के बाद पोस्टवार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी के जिसके कि पहले ए. जी. जी. प्रधान थे, ए. जी. जी. ओपरेट करते थे फिर इस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान् राजप्रमुख हुए। वह रकम, २०,००० रुपया जो सोल्जर्स होम बनाने के लिए बूंदी के लिए दिया गया था, वह अब पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी के पास है और वह सोल्जर्स के वेल्फेअर के लिये जगह ब जगह खर्च किया जाता है।

बूंदी में सोल्जर्स होम अब तक नहीं बनाने की वजह यह है कि पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी ने सोल्जर्स होम कहां बनाये जांय, इस बारे में विचार किया और उनके ध्यान में यह बात लाई गई

[श्री दामोदरलाल व्यास]

कि सोल्जर्स की जिस जगह ज्यादा तादाद हो, सोल्जर्स जिस हिस्से में बहुत थिकली पोपुलेटेड हों, ज्यादा सोल्जर्स को इससे फायदा पहुंच सके, उन स्थानों को प्रायोरिटी देने का निश्चय किया। क्योंकि बूंदी का इलाका ऐसा है जहां की बनिस्पत दूसरी कई जगह सोल्जर्स की ज्यादा संख्या है, इस लिए पहले प्रायोरिटी उन जगहों को दी गई। इस वजह से बूंदी में सोल्जर्स होम नहीं बन पाया। जिन और जगहों पर बूंदी से ज्यादा सोल्जर्स की तादाद है वहां पर सोल्जर्स होम बन जाने के बाद बूंदी में सोल्जर्स होम बनाने की कार्यवाही पोस्टवार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी द्वारा की जायगी, ऐसी सूचना पोस्टवार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी द्वारा प्राप्त हुई है।

महाराज श्री केसरीसिंह—अभी कहा गया कि मर्जर बाद में हुआ और फाउन्डेशन स्टोन पहले रखा। मैं यह जानना चाहूंगा कि मर्जर पहले हुआ कि फाउन्डेशन स्टोन पहले रखा गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि ७ मई, १६४८ को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउन्टबेटन ने फाउन्डेशन स्टोन ले किया।

महाराज श्री केसरीसिंह—मेरा प्रश्न यह है कि फोर्मर राजस्थान बनने से पहले फाउन्डेशन स्टोन ले किया गया क्या ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैने तारीख बता दी है, पहले हुआ या बाद में हुआ, आप देख लीजिये।

महाराज श्री केसरीसिंह—वहां मन्त्री महोदय थे कि नहीं ? उस वख्त मन्त्री महोदय ने कहा था कि मैं नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास—७ मई, १६४८ को फोर्मर राजस्थान बन चुका था और उस वख्त लॉर्ड माउन्टबैटन ने फाउन्डेशन स्टोन ले किया था। वित मंत्रीजी वहां थे कि नहीं, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया।

महाराज श्री केसरी सिंह—क्या फाउन्डेशन स्टोन का महत्व सरकार नहीं मानती ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अवश्य मानती है, पर पोस्टवार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी ने महसूस किया कि जहां सोल्जर्स की ज्यादा आबादी है वहां सोल्जर्स होम पहले बनाये जायं। जितने ज्यादा सोल्जर्स इसका फायदा उठा सकें, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पोस्टवार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी जहां सोल्जर्स की ज्यादा आबादी है उन स्थानों को प्रायोरिटी देती है और उनके मुकाबिले में बूंदी में बनाने का कम महत्व महसूस करती है। और स्थानों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है उन स्थानों में बन जाने के बाद फिर बूंदी का नम्बर आवेगा।

श्री महाराज केसरी सिंह—जो बूंदी के लिये यह रकम मिली है तो इसका मिस एप्रोप्रियेशन क्यों किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मिस एप्रोप्रियेशन नहीं किया गया। वह रकम पोस्ट वार रीकन्स्ट्रक्शन कमेटी के पास है, सरकार के पास नहीं है।

श्री भैंरूसिंह (१६)—मैं पूछ सकता हूं साहब ?

श्री अध्यक्ष—yes.

श्री भैंरूसिंह—जिस समय फाउन्डेशन स्टोन ले किया गया तो क्या योजना थी कि वहां सोल्जर्स के लिये मकान बनेगें ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने जैसा अर्ज किया कि १६४७ में यह रकम २० हजार बूंदी जिले में सोल्जर्स होम बनाने के लिये दी गई थी और उसी निश्चय के माफिक ...

श्री भैंरूसिंह—फाउन्डेशन स्टोन लगाने के पहले कोई योजना बन चुकी थी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बूंदी स्टेट में सोल्जर्स होम के बनाने के लिए Post-war Reconstruction द्वारा जिसके कि अध्यक्ष पद को उस समय ए. जी. जी. operate करता था, ने इसके लिये २० हजार रुपये की रकम दीवान रियासत बूंदी को सोल्जर्स होम बनाने के लिये दी।

श्री भैंरूसिंह—क्या बूंदी के सोल्जर्स को मकानों की सुविधा दी गई ?

श्री अध्यक्ष—Only on those points on which clarification or a specific reply is required the hon' ble Member can table questions and the Member tabling half-an-hour discussion has noted those four points. If there is anything to get explanation over those points, those points only can be pressed and that too by only those members who have given their names on the half-an-hour discussion notes.

श्री दामोदर लाल व्यास—I may be told so that I may not be forced to reply other questions.

श्री अध्यक्ष—I will check them.

श्री सज्जनसिंह—मैंने अपना नाम तो नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—टेबल करिये और फिर पूछियेगा।

[श्री अध्यक्ष]

Under the rules I cannot allow any person other than those who have given their names.

श्री सज्जनसिंह—Should I take it that I am not allowed to ask questions.

श्री अध्यक्ष—I will close the debate.

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि चीफ मिनिस्टर उसके पेट्रन हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके पेट्रन श्री राजप्रमुख हैं। चीफ मिनिस्टर के बारे में मेरी जानकारी नहीं है।

श्री केसरीसिंह—क्या यह सही है कि चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वाकई में फाउन्डेशन स्टोन रखा गया और योजना होगी तो विचार किया जावेगा। क्या सरकार अब इसको बनाने के लिये तैयार है?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने साफ कहा है कि यह काम सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है, यह पोस्टवार रिकंस्ट्रक्शन कमेटी कर रही है। बूंदी के लिये इन्कार नहीं किया गया कि बूंदी में सोल्जर्स होम नहीं बनेगा लेकिन उसका नम्बर उन स्थानों के पश्चात है जहां बूंदी की अपेक्षा सोल्जर्स की आबादी अधिक है।

श्री भैरूंसिंह—सरकार यह किस आधार पर कह रही है?

श्री दामोदरलाल व्यास—जानकारी के आधार पर कह रही है।

श्री भैरूंसिंह—जानकारी का आधार क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास—दफ्तर से जानकारी की गई है।

श्री भैरूंसिंह—फाउन्डेशन स्टोन को क्यों हटाया गया जब कि वह एक दफा ले डाउन किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने बताया कि सोल्जर्स होम बनेगा, मगर नम्बर आने पर बनेगा।

श्री भैरूंसिंह—वह पत्थर जिस जगह ले डाउन किया गया था उस जगह पर नहीं है?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

That is not within the scope of this question.

श्री भैंरूसिंह—It is within the scope, Sir. Whether the foundation stone was laid down in 1948 by Lord Mountbatten and whether it is a fact that the foundation stone for the Soldiers'Home is removed by the Government ? It is within the scope.

श्री अध्यक्ष—इन्फोर्मेशन दे दीजिये कि कहां रखा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह फाउन्डेशन स्टोन पी. डब्ल्यू. डी. में रखा हुआ है।

श्री भैंरूसिंह—यह फाउन्डेशन स्टोन कब और किसके हुक्म से उठाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तारीख मेरी जानकारी में नहीं है कि कब हटाया गया, क्यों कि वह फाउन्डेशन स्टोन लगाया गया था लेकिन बिल्डिंग की कार्यवाही शुरू नहीं हुई इसलिए उसको पी. डब्ल्यू. डी. में रख दिया है। पी. डब्ल्यू. डी. उसको सुरक्षित रखती है। आपको इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये। जब बिल्डिंग बनेगी काम में लाया जावेगा।

श्री भैंरूसिंह—किसके हुक्म से उठाया गया। राजप्रमुख के हुक्म से या सरकार के हुक्म से हटाया गया, यह मेरा प्रश्न है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तारीख और किसके हुक्म से हटाया गया, यह तो नहीं बता सकता लेकिन यह बता सकता हूँ कि यह रखा हुआ सुरक्षित है।

महाराज श्री केसरीसिंह—इसका स्पष्टीकरण........This is within the scope,

श्री अध्यक्ष—It is immaterial because it is with the Government.

महाराज श्री केसरीसिंह—The Government does not know whether it is with them or not.

श्री अध्यक्ष—There is a clear declaration.

श्री दामोदरलाल व्यास—It is with the P.W.D.

महाराज श्री केसरीसिंह—In the district or at the centre ?

श्री अध्यक्ष—With the P.W.D.

श्री दामोदरलाल व्यास—I am only concerned with the Rajasthan P.W.D.

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member likes to know the exact place and the room in which it is locked.

श्री दामोदरलाल व्यास—It is safe.

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं चाहता हूँ कि इसको सुरक्षित रखा जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने कहा कि पी. डब्ल्यू. डी. में सुरक्षित है।

श्री भैंरूसिंह—क्या इसका नक्शा भी तैयार कराया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नक्शा पहले से था।

श्री भैंरूसिंह—नक्शे के माफिक योजना को पूरा क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—How it is all relevant ?

श्री भैंरूसिंह—दो वर्षों में उनके मकानात क्यों नहीं बने ?

श्री अध्यक्ष—The hon'ble member has received information to the effect that the Soldiers' Post War Reconstruction is not within the purview of the Government's function. One thing is clear.

The reply to another thing that the hon'ble member wanted is that the foundation stone was laid down and foundation stone is actually in the possession of the Government. It is a different matter why the money was not utilized for that very purpose. That will not fall within the scope. Now the hon'ble member can persue the further course as to whether the government is in a position to utilize that money or not. Any other supplementary which requires clarification of these four points can be asked now and for other things the Government will certainly require notice.

We adjourn for tomorrow at 8.

[तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२ बजकर २० मिनट पर, बुधवार, दिनांक १८ अप्रेल, १९५६ के ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।]

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—१७ अप्रेल, १९५६।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये और जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है।)

५१४. (६४। आर. एम.) श्री चौधरी मोटाराम, एम. एल.ए., डिवीजन नम्बर १०४:—क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि तहसील सिवाना में खालसा की भूमि से हजारों हरे पेड़ काट कर बेचे जाते हैं जिसकी रकम सरकार में जमा नहीं होती है ?

(२) क्या इन हरे पेड़ों के काटने में स्थानीय पटवारी और तहसीलदार का हाथ है ?

(३) क्या सरकार को मालूम है कि वहां के लोगों ने इन हरे पेड़ों को काटने को रोकने के लिए सैकड़ों दरख्वास्तें दी; यदि हां, तो उन पर गौर नहीं करने का क्या कारण है ?

(४) क्या सरकार उसको शीघ्र ही रोकने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(१) तहसील सिवाना के कुछ लोगों के लिए यह शिकायत हुई है कि हरे पेड़ काटकर मोकलसर व आमसीन स्टेशन से रवाना करते हैं और इनकी कीमत राज्य में नहीं देते।

(२) जी नहीं।

(३) हरे पेड़ काटने की बाबत जो शिकायतें हुई हैं उनकी जांच की जा रही है। सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है और रेलवे को लिख दिया गया है कि हरे पेड़ों की बिल्टी नहीं काटे।

(४) तहसीलदार सिवाना को आदेश दे दिये गये हैं कि चोरी से हरे पेड़ काटने वालों के खिलाफ जैर दफा ८३, ८४, ८५ (टिनेन्सी एक्ट) के तहत कार्यवाही की जावे और उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा भी चलाया जावे।

५२७. (५४। सी. आई. एम.) श्री कंवरलाल जेलिया, एम. एल. ए, डिवीजन नम्बर ७०:—क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) क्या कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले में सरकार द्वारा हरिजन बस्तियों के सुधार कार्यों के लिए कोई कार्य सन् १९५४-५५ में किये गये हैं ?

Page No 89

(ब) यदि हां, तो कहां २ किस किस कार्य में कितनी २ धनराशि किस रूप में व्यय की की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स) क्या कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले में हरिजनों के मकानों को ढाकने के लिए सरकार द्वारा चद्दरें भी सन् ५४-५५ में दी गई थीं ?

(द) यदि हां, तो किन किन तहसीलों व शहर में कितनी कितनी चद्दरें दी गईं ?

(य) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(अ) नहीं

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

(स) हां।

(द) निम्न लिखित मनुष्यों को चद्दरें दी गई हैं :—

	नाम	गांव	तहसील	जिला	तादाद चद्दर
१.	मांगीलाल	आहाता	लाडपुरा	कोटा	६
२.	गोदा	मन्डावा	"	"	६
३.	बोरीलाल	"	"	"	६
४.	राधाकिशन	"	"	"	६
५.	किशोरीलाल	बड़ोद	"	"	१२
६.	मांगा	"	"	"	६
७.	सूरजा	"	"	"	६
					५७

(य) प्रश्न नहीं उठता।

५२६. (४१। एफ. एम.) श्री बृजेन्द्र पाल, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर २३:—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) सब-ट्रेजरी करौली में कितनी रकम जमा रखने की स्वीकृति है ?

(ख) क्या यह सही है कि कर्मचारीगण तथा पेन्शन पानेवालों की रकम कम जमा रहने के कारण सेलेरी बिल्स का पेमेन्ट देरी से मिलता है ?

उत्तर

(क) सब ट्रेजरी करौली में फिलहाल २०,०००) रुपये तक जमा रखने की स्वीकृति है।

(ख) रकम कम जमा रहने के कारण सेलरी बिल के पेमेन्ट की कभी कोई देरी हुई हो परन्तु अभी कर्मचारीगण तथा पेन्शन पाने वालों के कोई बिल्स पेन्डिंग नहीं हैं।

५३३. (३६। एम. एल. एम.) श्री प्रभुदयाल, एम.ए ल. ए., डिवीजन नम्बर ११६—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि बीकानेर शहर के दक्षिण की ओर बहुत बड़ा ढेर कूड़े करकट का पड़ा है जिसकी समय २ पर मोहल्ले की ओर से शिकायतें की गई हैं?

(ख) क्या यह सही है कि पास के मोहल्ले का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है और लोगों का रहना दुश्वार हो गया है?

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है और देरी का कारण क्या है?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) पहले इस स्थान पर ज्यादा आबादी नहीं थी अब यहां घरों में लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। स्वास्थ की दृष्टि से इसे साफ सुथरा रखना लाभप्रद है।

(ग) पहिले इस स्थान पर ज्यादा आबादी नहीं थी अब यहां पास में लोगों ने रहना शुरू किया है। उसे हटाया जाने के लिये नजदीक के खड्डों को भर कर दो मील की सड़क बनवाई जाना जरूरी है और साथ ही साथ यातायात के साधनों की आवश्यकता है। नगरपालिका की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से मौजूदा सूरत में यह ढेर हटाया नहीं जा सकता। यह विषय डेवेलपमेंट स्कीम में रखा हुआ है और फन्ड प्राप्त होने पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य की पूर्ति की व्यवस्था की जावेगी। अभी इस स्थान को साफ सुथरा रखे जाने की व्यवस्था कर दी गई है।

५२६. (१५८। सी. एम.) राव राजा श्री सरदारसिंह, एम. एल. ए., डिवीजन नम्बर १३७—क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उनियारा में कोई कन्या पाठशाला है?

(२) यदि हां, तो वहां कितनी अध्यापिकाएं हैं?

(३) क्या वहां से प्रधानाध्यापिका का स्थानान्तरण हो गया है?

(४) यदि हां, तो कब और क्या उस स्थान की पूर्ति कर दी गई है?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) २ अध्यापिकाओं की स्वीकृति है मगर एक कार्य कर रही है।

(३) जी हां।

(४) नवम्बर, १९५५ में। शिक्षा अध्यक्ष को तुरन्त पूर्ति करने के आदेश दे दिये हैं।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५१३ का उत्तर देखिये)

सूची भूमि वितरण की

नाम तहसील	तादाद भूमि जो हरिजनों के अलावा अन्य को दी गई	तादाद भूमि जो हरिजन किसानों को दी गई
	बीघा—बिस्वा	बीघा—बिस्वा
(१) करौली		१०६–१७
(२) सवाई माधोपुर	१५–०	२७६–१०
(३) मलारना चौड	कोई नहीं।	कोई नहीं।
(४) टोडा भीम	४६–२	कोई नहीं।
(५) महुआ	कोई नहीं।	कोई नहीं।
(६) खन्डार	कोई नहीं	कोई नहीं।
(७) बामनवास	१२५–०	१२४–०
(८) नादोली	३०८–०	७८–०

नोट:–अन्य तहसीलों की बाबत उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५१६ का उत्तर देखिये)

(क) विवरण निम्न प्रकार है :—

	नाम अध्यापिका	क्या कारण था	क्यों
१९५४ ई०	१. तारा	त्याग पत्र दिया	विवाह हो जाने से
	२. श्री उमा हेनरी	,,	सरकारी नौकरी मिल जाने से
	३. ,, जनक गौरवानी	अनुपस्थित रहने से अलग की गई	
१९५५ ई०	१. श्री रामनारायणजी	त्याग पत्र दिया	मरजी से
	२. ,, सुन्दरलालजी जोशी	,,	मर जाने के कारण
	३. ,, कंचन देवी शर्मा	,,	सरकारी नौकरी मिल जाने से
	४. ,, कंवरसिंह भन्डारी	,,	,,
	५. ,,	,,	विवाह होने से
	६. ,, के० सत्यवानी	,,	सरकारी नौकरी मिल जाने से
	७ ,, शतील प्रसाद भटनागर	,,	अपने प्रान्त में नौकरी मिल जाने से
	८. ,, ललिता व्यास	,,	पति का तबादला हो जाने से
	९. ,, एम० के० साध	,,	सरकारी नौकरी मिल जाने से
	१०. ,, आशा मुकर्जी	,,	अपने प्रान्त में नौकरी मिल जाने से
	११. ,, मालिनी नैयर	,,	ग्रीष्म अवकाश के बाद उपस्थित न होने की वजह से

१२. श्री सुन्दर देवी जी	,,	आज्ञा उलंघन करने से कमेटी से बरखास्त की गई
१६५६ ई० १३. ,, बख्तावर देवी	,,	त्याग पत्र दिया

(ख) जो नई नियुक्तियां की गई हैं यह विद्यालय के नियमानुसार की गई है, उनके नाम निम्न प्रकार हैं :....

१. श्री रमा श्रीवास्तव	२. श्री जयलक्ष्मी देवी द्राविड़
३. ,, जयन्ती दीक्षित	४. ,, ब्रह्मा नन्द राय
५. ,, एम० एम० सिंह	६. ,, कृष्ण मोहनी
७. ,, रतनलाल शर्मा	८. ,, डी० जी० चौधरी
९. ,, एस० के० शर्मा	१०. ,, उषा भटनागर
११. ,, विद्या कान्धारी	१२. ,, चन्द्र कान्ता
१३. ,, शशी कला	१४. ,, इन्द्रा कवरानी
१५. ,, दमयन्ती दत्ता	१६. ,, के० धरानी
१७. ,, राधा रन्जन गोस्वामी	

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ५२१ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF TECAHERS APPOINTED DURING THE YEAR 1955-56. (DISTT. ALWAR)

GRADE 90-5-120

1.	Shri Om Prakash Tyagi	H. S. Ramgarh
2.	„ Rajpal Singh	„ Laxmangarh
3.	„ Udaipratap Singh	„ Barod
4.	„ Mukat Behari	„ Bansur
5.	„ Revindra Shankar Nath	„ Bansur
6.	„ Raghulal Sharma	„ Tijara
7.	„ Ram Charan Mathur	„ Kherli
8.	„ Kailash Prasad Sharma	„ Ramgarh
9.	„ Nang Ram	„ Narainpur
10.	„ Bishamber Dayal	„ Pratappur
11.	„ Hukam Chand Jain	„ Laxamangarh
12.	„ Babo Lal Jain	„ Pratappur
13.	„ Kali Ram Sharma	„ Majri Kalan
14.	„ Girdhar Prasad Sharma	„ Alwar
15.	„ Shyam Lal Gupta	„ Barod
16.	„ Brij Mohan Kulshereshtha	„ Kherli
17.	„ Hari Shanker Jha	„ Barod
18.	„ Krishna Lal Sharma	„ Barod
19.	„ Yasdeo Upadhya	„ Kotkasim
20	„ Ram Swaroop Mathur	„ Kotkasim
21.	„ Om Prakash Sharma	„ Bansur
22.	„ Ram Kumar Sharma	„ Barod
23.	„ Priya Sharan	„ Barod
24.	„ Janendra Kumar	„ Kotkasim
25.	„ Laxmiraj Singh	„ Thanahouse Alwar
26.	„ Puran Mal Pareek	M. S. Nogaon Barod

GRade 70-4-90

27. Shri Mahendra Kumar Joshi	H. S. Majri Kalan
28. „ Durga Singh	„ Shahjahanpur
29. „ Munshi Lal	„ Bansur
30. „ Prem Prakash	„ Kot Kasim
31. „ Murari Lal	„ „
32. „ Durga Prasad	„ Malakhera gate Alwar
33. „ Krishna Pal Singh	„ Kotkasim

GRADE 50-4-70.

34. Shri Lalit parasad	M. S. Chandpur
35. „ Krishna Awtar Ray	„ Joria
36. „ Brijesh Chandra	H. S. Marjri Kalan
37. „ Prabhati Lal	M. S. Kutina

GRADE 35-1-40.

38. Shri Prahalad Rai	H. S. Gadoj
39. „ Makhan Lal	Jalwas
40. „ Arjun Singh	Chandpur
41. „ Mam Raj	Tijara
42. „ Shambhu Dutt	M. S. Majrikalan
43. „ Satya Narain Sharma	P. S. Rajgarh
44. „ Gyanendra Kumar Sharma	Lily
45. „ Sadhu Ram Saini	Boongra Ahir
46. „ Ram chandra	Jorawala
47. „ Prabhu Dayal	Hazurigate
48. „ Kalyan Sahai	Shetwat
49. „ Krishna Sharma Rajore	
50. „ Babo Lal	Dagdaga
51. „ Hans Raj	Fallupura
52. „ Indra Narain	Firozpur
53. „ Sangal Ram	Anantpura
54. „ Raghubir Singh	Sherpur

Page No 96

55.	Shri Ratipal Singh	Katuwas
56.	„ Banwari Lal Gupta	Salarpur
57.	„ Ram Ratan	Sarod
58.	„ Gulzari Lal	Mirzapur
59.	„ Sultan Singh	Gunsar
60.	„ „	Khanpur Ahir
61.	„ Rati Ram	Bolni
62.	„ Lakshmi Narain	Patan Ahir
63.	„ Rama Kant	Bairla
64.	„ Manohar Lal	Tilwar
65.	„ Lalta Prasad	Kolaheda
66.	„ Ramji Lal	Shilibawari
67.	„ Ramji Lal Gupta	Ajabgarh
68.	„ Om Prakash Mishra	Holwaas
69.	„ Bansidhar	Fatehpur
70.	„ Harkaran Singh	Naglawas
71.	„ Bhup Singh	Dehmi
72.	„ Rama Nand	Bawariya
73.	„ Shri Krishan Sharma	Manohan
74.	„ Kalyan Chand Sharma	Rampur
75.	„ Daulat Ram Sharma	Bhindusi
76.	„ Moti Lal	Shahbad
77.	„ Mool Chand	Jonaichakalan
78.	„ Omprakash	Ajabpura
79.	„ Shiv Vatus	Tatarpur
80.	„ Ram Chandra Nai	Jonaichakalan
81.	„ Brij Kishore	Tilwar
82.	„ Madan Lal	Narainpur
83.	„ Jagdish Pd.	Chamu

SURPLUS EMPLOYEES OF CUSTOMS DEPARTMENT

84.	„ Hira Lal	Giglana
85.	„ Hira Lal	Jakharana

86.	„	Roshan Lal	Neemrana
87.	„	Babu Lal	Peepli
88.	„	Kalu Ram	Jonaichakalan
89.	„	Bhajan Lal	Kutina
90.	„	Gyasi Ram	Khohr Basai
91.	„	Sampat Ram	Mandhan
92.	„	Uma Shankar	Sambla
93.	„	Rattan Lal	Ronpur
94.	„	Raman Lal	Kaleda
95.	„	Hari Ram	Rawarka
96.	„	Ram Swaroop	Var'shpur
97.	„	Bhagwan Sahai	Karawajat
98.	„	Amar Nath	Khojka
99.	„	Babu Lal	Pali
100.	„	Madan Lal	Choruti
101.	„	Gulzari Lal	Malawas
102.	„	Narain Lal	Kharithal Mandi
103.	„	Narain Lal	Kamala
104.	„	Ramji Lal	Majri
105.	„	Mamdsudan Lal	Basna
106.	„	Moti Lal	Barka
107.	„	Durga Prasad	Harsora
108.	„	Ayodhya Prasad	Manakpur
109.	„	Chand Behari	Binjari
110.	„	Chiranjiv Lal	Nagaludlia
111.	„	Ram Sawroop	Nagaon

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ५३५ का उत्तर देखिये)

जिला अलवर

क्रम सं०	नाम पंचायत	तहसील	मनोनीत होने वाले सदस्य का नाम		मनोनीत करने का कारण	विशेष विवरण
१.	ऊंटवाल	अलवर	श्री हुसेना	पंच	चुनाव में भाग न लेने के कारण	
२.	मांचा	किशनगढ़	,, उमारवलाल	,,	,,	
			जिला टोंक			
१.	नगर	दूनी	श्री निवास	सरपंच	पार्टी बाजी तथा लडाई की सूरत होने से चुनाव नहीं हो सका।	
२.	दतोव	टोडारायसिंह	,, मदनलाल	,,	,,	
३.	इन्दोली	मालपुरा	,, मोहनसिंह	,,	,,	
			जिला कोटा			
१.	ककरावदा	पीपल्दा	श्री पूर्णानन्द	सरपंच	निर्वाचन के समय जनता ने भाग नहीं लिया	
			,, रघुनाथ	पंच	,,	
			,, गुलाबचन्द	,,	,,	
२.	फतहपुरा	बांरा	,, किशनलाल	जालेडा	,,	
३.	तलाव	पीपल्दा	,, भेरूलाल	पंच	,,	
			,, मोठीलाल	,,	,,	
४.	बोहत	मांगरोल	,, भंवरलाल	,,	,,	
५.	विनायका	इटावा	,, भंवरलाल	,,	,,	

क्रम सं०	नाम पंचायत	तहसील	मनोनीत होने वाले सदस्य का नाम	मनोनीत करने का कारण	विशेष विवरण
			जिला झालावाड़		
१.	मंडावरा	झालरापाटन	श्री कानसिंह पंच	नि० के लिये जनता ने भाग नहीं लिया	
२.	गोविन्दपुरा	„	„ छीतरलाल „	„	
३.	चूरेलिया	इकलेरा	„ गिरधारी „	„	
४.	डोंडी	डग	„ रामसिंह „	„	
			वीजिला बूंदी		
१.	खेढ़ली	केशारायपाटन	श्री देवीराम पंच	नि० के समय मतदाताओं के भाग न लेने पर	
			„ मोड्डू „	„	
			„ राजसिंह „	„	
			„ नन्दा काकरा „	„	
			„ रघुनाथ उपसरपंच	„	
			जिला पाली		
१.	राणीखुर्द	देसूरी	श्री कादरखां सरपंच	सरपंच का निर्वाचन, निर्वाचन समय पर न होने से	
			जिला डूंगरपुर		
१.	बडोद	आसपुर	श्री दौलतसिंह पंच	जनता द्वारा निर्वाचन में भाग नहीं लेने से	
			जिला गंगानगर		
१.	मिरजेवाला	गंगानगर	श्री हरीराम पंच	निर्वाचकगणों द्वारा निर्वाचन में पंच चुनने में विफल होने से	
			जिला चूरू		
१.	हमीरवासबडा	राजगढ़	श्री श्योचन्द ...	नि० दि० को पंचायत का नि० विफल होने से	

Page No 100

क्रम सं०	नाम पंचायत	तहसील	मनोनीत होने वाले सदस्य का नाम		मनोनीत करने का कारण	विशेष विवरण
[illegible]	[illegible]	[illegible]	श्री होशियारसिंह		नि० दि० को नि० विफल होने से	
			,, हरनाथ		,,	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,, बलाराम		,,	
			,, पेमराज		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,, अमरराम		[illegible]	
			,, श्यामचन्द (पंडित)		,,	
			,, नेराराम		,,	
			,, वेराराम	पंच	,,	
[illegible]	नवा	राजगढ़	,, नौरंग राम	,,	,,	
			,, चुन्नीलाल	,,	,,	
			,, मालाराम	,,	,,	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,, बेनीसिंह	,,	,,	
			,, घासरराम	,,	,,	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,, पीसराम	,,	,,	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,, रामप्रताप	,,	,,	
[illegible]	[illegible]	,,	,, मोहरसिंह	,,	,,	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,, नवरसिंह	,,	[illegible]	
			,, कासीराम	,,	,,	
[illegible]	[illegible]रासर छोटा	राजगढ़	,, रामसिंह	,,	,,	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	,, धूवाराम	,,	,,	[illegible]
			,, शिवकरण	,,	,,	

क्रम सं०	नाम पंचायत	तहसील	मनोनीत होने वाले सदस्य का नाम		मनोनीत करने का कारण	विशेष विवरण
			श्री गोपीराम	,,	नि० दि० को नि० विफल होने से	
			,, धनरूप	,,	,,	
			,, घुमेल	,,		
			,, बीजेराम		,,	
			,, ईसरीसिंह	,,	,,	
			,, सोहनराम	,,	,,	
			,, किशनलाल	,,	,,	
			,, फूमसिंह	,,	,,	
४.	मांखू	राजगढ़	,, सूर्यभान	,,	,,	
			,, कालूराम	,,	,,	
			,, बनवारीलाल		,,	
			,, भैयाराम	,,	,,	
			,, सगारमल	,,	,,	
			,, अर्जुनराम	,,	,,	
			,, मोतीसिंह	,,	,,	
			,, नानूराम	,,	,,	
			,, गणपतराम	,,	,,	
			,, कुरडाराम	,,	,,	
५.	दाणीमोजी	राजगढ़	,, दानाराम	,,	,,	
			,, गोपालदास			
			,, घडसीराम	,,	,,	

क्रम सं०	नाम पंचायत	तहसील	मनोनीत होने वाले सदस्य का नाम		मनोनीत करने का कारण	विशेष विवरण
			श्री प्रहलादराम	„	नि० दि० को नि० विफल होने से	
			„ नेकीराम	„	„	
६.	भामासी	चूरू	„ शैतानसिंह	„	„	
			„ सागरमल	„	„	
			„ बहादुर राम	„	„	
			„ बहादरराम	„	„	
			„ मगनसिंह	„	„	
			„ बदूराम	„	„	
			„ शिवकर	„	„	
			„ देबुराम	„	„	
			जिला जयपुर			
१.	ईटका	सिकराय	श्री नारायण	सरपंच	सरपंच के नि०के समय जोरसे वर्षा होने से	
२.	सिकन्दरा	„	„ जगन्नाथ मिश्र	पंच	इस वार्ड के निर्वाचन के समय काफी हुल्लड़ होजाने से	
			जिला जोधपुर			
१.	निवेरा	शेरगढ़	श्री सोंगसिंह	पंच	जनता द्वारा मतदान में भाग न लेने से	
			जिला गंगानगर			
१.	पक्का सारनान	सादूलगढ	श्री जगमाल	पंच	निर्वाचनगण नि० कराने में विफल रहे	
			„ शोकरण	„		
			„ लेखराम	„		

क्रम सं०	नाम पंचायत	तहसील	मनोनीत होने वाले सदस्य का नाम		मनोनीत करने का कारण	विशेष विवरण
			,, हरीराम	,,	निर्वाचनगण नि० करने में विफल रहे	
			,, बलवन्तसिंह	,,	,,	
२.	चाऊवाली.		,, गंगाराम	,,	,,	
३.	ढावा		,, पतराम	,,	,,	
			,, प्रताप	,,	,,	
			,, हरिश्चन्द्र	,,	,,	
४.	जीवली	गंगापुर	,, जयसिंह	,,	,,	
			,, मोती	,,	,,	

परिशिष्ट ६

राजस्थान पशु-पक्षी बलिदान (प्रतिषेध) विधेयक, १९५६ पर विचार विमर्श स्थगित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर विभाजन

'हां' पक्ष

नं०	वि०सं०	नाम सदस्य	नं०	वि नं०	नाम सदस्य
१.	२	श्री लेफ्टिनेंट कर्नल राजाधिराज अमरसिंह	१३.	५३	श्री हरिदेव जोशी
२.	१०	,, भैरवलाल 'काला बादल'	१४.	५६	,, हजारीलाल शर्मा
३.	११	,, मेजर ठा० भैंरूंसिंह (सोजत देसूरी)	१५.	६२	,, द्वारकादास पुरोहित
४.	१७	,, ठा० भोमसिंह	१६.	६३	,, ईश्वरसिंह
५.	२०	,, भोपालसिंह	१७.	६७	,, जवानसिंह सोलंकी
६.	२६	,, पं० चन्द्रकांत राव	१८.	६९	,, कानसिंह
७.	२८	,, छतरसिंह	१९.	७५	महाराजा श्री केसरीसिंह
८.	३२	,, दलीपसिंह	२०.	७८	श्री किशनलाल शाह
९.	३४	,, दीन बन्धु परमार	२१.	८३	,, लालसिंह शक्तावत
१०.	३५	कु० श्री देवीसिंह	२२.	८५	,, लक्ष्मन हीरात
११.	३९	लेफ्टिनेंट कर्नल श्री आर. दलीपसिंह	२३.	९०	ठाकुर श्री माधोसिंह (जालौर 'प')
१२.	५०	श्री हनवन्तसिंह	२४.	९५	श्री मन्ना भील

नं०	वि सं०	नाम सदस्य	नं०	वि सं०	नाम सदस्य
२५.	६७	रावत श्री मानसिंह	३१.	१२५	श्री रामकरन जोशी
२६.	१००	श्री मोहब्बतसिंह	३२.	१३१	पंडित रूपनारायण शास्त्री
२७.	११४	,, नाथूसिंह	३३.	१३२	केप्टेन सज्जनसिंह
२८.	११७	,, प्रतापसिंह	३४.	१३६	रावत श्री शम्भूसिंह
२६.	१२०	मेजर ठा० रघुबीरसिंह	३५.	१४१	श्री श्रीमानसिंह
३०.	१२३	श्री रामदयाल उपाध्याय	३६.	१४६	,, सोमा वाला भील

'ना' पक्ष

नं०	वि सं०	नाम सदस्य	नं०	वि सं०	नाल सदस्य
१.	८	श्रीमती यशोदा देवी	८.	४०	श्री दुर्लभसिंह
२.	१५	श्री भवानीसहाय शर्मा	६.	४३	,, घासीराम
३.	१६	,, भोलानाथ	१०.	४६	,, जयसिंह राणावत
४.	२४	,, चन्दनमल वैद	११.	५१	,, हंसराज आर्य
५.	३०	,, छीतरमल शर्मा	१२.	७२	,, कस्तूरचंद
६.	३१	,, चुन्नीलाल बिड़ला	१३.	८४	,, लालूराम
७.	३८	,, धूलजी भाई भावसार	१४.	८७	,, चांदमल

नं०	वि सं०	नाम सदस्य	नं०	वि सं०	नाम सदस्य
१५.	९२	श्री महादेव प्रसाद बंका	२१.	१४४	श्री श्यामलाल गोयल
१६.	१०६	,, नारायण चतुर्वेदी	२२.	१४७	,, सुगनचन्द जैन
१७.	११०	,, नारायण लाल	२३.	१४६	,, तेजमल बापना
१८.	१२८	,, रामरतन टिक्कीवाल	२४.	१५२	,, तेजपाल
१९.	१३५	,, अंगदराम	२५.	१५५	,, उदयलाल बरदिया
२०.	१४२	,, श्रीदास गोयल	२६.	१५६	,, वीरेन्द्रसिंह